खण्ड-250, अंक-9
गुरूवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1886
(6 अगस्त, 1964 ई0)

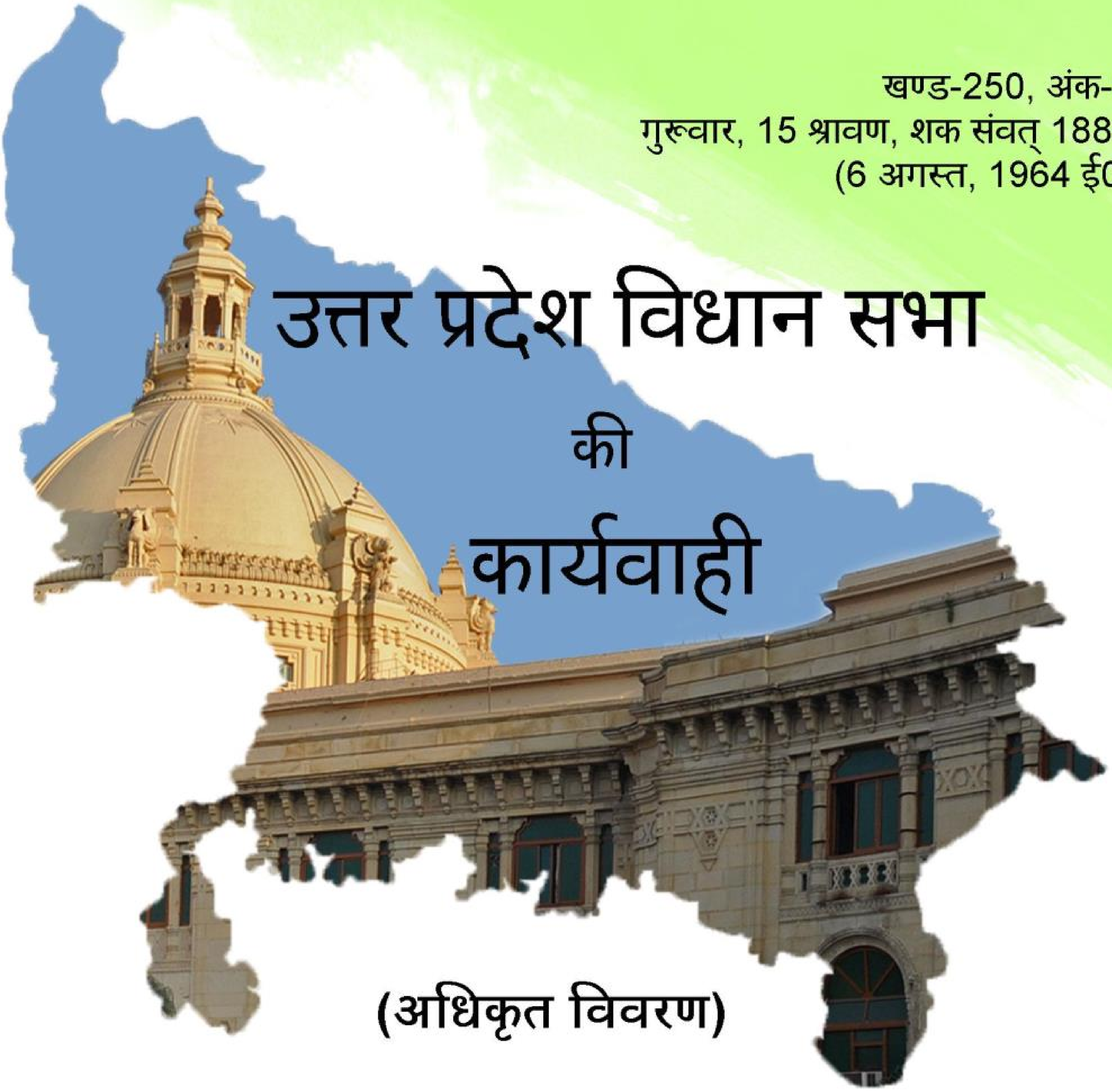

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६९९–७०३
प्रश्नोत्तर	७०३–७३२
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	७३३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	७३२–७३३
विधायक, श्री अवधेश कुमार सिनहा पर सीतापुर में हुए घातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७३३–७३४
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं	७३४
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गये खाद्यान्न (नियंत्रण प्राप्ति और वितरण) आदेश के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य	७३४–७४१
१२ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ४–६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७४१
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (प्रस्ताव कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक पर विचार किया जाय. विचार जारी) ..	७४१–८१०
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ (सदन की मेज पर रखे जाने पर आपत्ति)	८११
नत्थियां	८१२–८२२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कृष्णचन्द्र, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुजशर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल यादव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलीलअब्बासी, काजी
जसराम सिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद, पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंकटासिंह, श्री, (टुन्नूसिंह,)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान दीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताजमुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द्र शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल' श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथपाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न, शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतमिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ६ अगस्त, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

पे कमेटी

**१---श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने किसी पे कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से लोग रखे गये है और उसमें क्या कोई कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधि भी सदस्य बनाया गया है तथा उसके Terms of reference क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

१---जी हां, सरकार ने इस संबंध में एक कमेटी का निर्माण किया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति रक्खे गये है---

(१) श्री बी० मुकर्जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश .. अध्यक्ष
(२) डा० रामधर मिश्रा, सदस्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश सदस्य
(३) श्री अच्युत पटवर्धन, वाराणसी .. .. .. ,,
(४) डा० आर० बी० दास, विभागाध्यक्ष, सार्वजनिक प्रशासन, लखनऊ विश्वविद्यालय .. .. ,,

(५) श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव, प्रशासकीय सदस्य, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश सदस्य
(६) श्री विपिनबिहारी लाल, आयुक्त एवं सचिव, सिंचाई एवं विद्युत् विभाग तथा अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश .. .. ,,
(७) श्री वी० एम० भिडे, आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
(८) श्री पी० सी० जैन, उप-सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन .. सचिव

इसमें कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि सदस्य नहीं बनाया गया है ।

श्रीमान् जी, जो प्रश्न भेजा गया था उसके उत्तर के समय टर्म्स आफ रिफ्रेन्स छपे नहीं थे इसलिये जो जवाब भेजा गया है उसमें ये नहीं भेजे जा सके । उन की कापी मैं दे दूंगा ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी इन टर्म्स आफ रिफ्रेन्स में इस सुझाव को मानने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों को जिनके लिये यह पे कमेटी बनाई गई है, उनको ३० रुपये अन्तरिम भत्ते के रूप में रखे जायं ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, १, अप्रैल, १९६४ से कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धि हुई है इसलिये इतनी जल्दी उपलब्धियों में और वृद्धि करने की कोई बात सरकार के सामने नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें लेबर का कोई रिप्रेजेन्टेटिव या सदन का कोई सदस्य नहीं रखा गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री जयराम वर्मा--

सरकार ने, काम को देखते हुए कमेटी में जिस तरह से योग्य से योग्य व्यक्तियों को रखना उचित समझा, रखा है ।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

क्या इस बात को ध्यान में रखकर कि दो प्रकार के नौकरी पेशा लोग हैं--हैव और हैव नाट्स--अर्थात जो बड़ी तनख्वाह पाते हैं और जो कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं । तो जब कम तनख्वाह पाने वाले लोगों का विचार हो, उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा तो उनकी बातों पर प्रकाश नहीं पड़ेगा । सरकार ने उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा है और क्या यह समाजवाद के अनुरूप है ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, इसमें सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनों के अभिनवीकरण और सेवा की दूसरी शर्तों के बारे में बिचार होगा, केवल अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर विचार नहीं होगा । अगर अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को उसमें रखा जाय फिर प्रश्न यह हो जाता है कि अन्य वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को क्यों न रखा जाय ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

यह पे कमेटी क्या सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अर्ध सरकारी कर्मचारियों जैसे स्थानीय निकायों या अन्य एजूकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में रिपोर्ट देगी ?

श्री जयराम वर्मा—

उनके बारे में रिपोर्ट में दिये हुए टर्म्स आफ रिफरेंस में शामिल नहीं किया गया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

यह तो सरकार को मालूम ही है कि कम वेतन पाने वालों की तादाद बहुत अधिक है और जो यह कमेटी बनी है वह हार्डली दो-तीन परसेंट सरविसेज को रिप्रेजेंट करती है। तो यह ९५ परसेंट जिनकी तादाद है, उनके प्रतिनिधि का इस कमेटी में न होना कहां तक उचित है और सरकार उस पर बिचार कर सकती है कि उनके रिप्रेजेन्टेशन को अब भी बढ़ा दें ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, कमेटी के सामने अल्पवेतनभोगी कर्मचारियों के असोसियेशन्स अपनी बातें रख सकेंगे और वह कार्य जो प्रतिनिधि के रहने से होता, वह पूरा हो जायगा।

श्री शिब्बनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

क्या अब तक कोई भी पे कमेटी बनी है सेन्ट्रल या प्राविनिन्शयल जिस पर विधान सभा के प्रतिनिधि नहीं रहे हों या मजदूरों के प्रतिनिधि न रहे हों ? तो दस बार क्यों नहीं ऐसे प्रतिनिधि लिये गये ?

श्री जयराम वर्मा—

इसके बारे में तो सूचना की अवश्यकता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

अर्ध सरकारी, राज्य सरकारी और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये विभिन्न प्रकार के महंगाई भत्ते दिये जाते हैं जबकि तीन तरह के सरकारी कर्मचारी एक ही दूकान से सामान खरीदते हैं और उन्हें एक ही तरह की मंहगी वस्तुयें खरीदनी पड़ती हैं तो क्या उनके महंगाई भत्तों को एक-सा बनाने के प्रश्न पर इस कमेटी में विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उनके सोचने की बात है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह कई बार देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार पे कमेटी बैठाती है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्थिति भविष्य में न आवे इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था टर्म्स आफ रिफरेंस में करेंगे कि वह स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के इन्डेक्स को देखते हुए एक प्रोग्रेसिव सिस्टम वेजेज के बारे में निर्धारित करें ? इसका समावेश आपने किया है टर्म्स आफ रेफरेंन्स में ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, टर्म्स आफ रेंफरेंस तो मैंने पढ़कर सुना दिया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसमें तो है नहीं। करेंगे, यही तो मैंने पूछा था।

श्री अध्यक्ष--

देखिए, सूरत यह है कि किस तरह से वह तय करेगी, क्या आधार रखेगी, कौन-कौन सी बातें देखेगी, यह तो काम कमेटी करेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, टर्म्स आफ रेफरेंस में तो यह है . . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए , उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मंत्री जी इस सूचना पर विचार करने के लिये तैयार हैं और जब सूचना मिल जाय तो इस सुझाव पर विचार करने को तैयार हैं कि आज तक जितनी पे कमेटीज बनी हैं चाहें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बनायी हो, चाहें प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट ने बनायी हो, सबमें एक लेबर का प्रतिनिधि या इस सदन का प्रतिनिधि जरूर रखा गया है, लेकिन इस पे कमेटी में कोई लेबर का नुमाइन्दा नहीं रखा गया है, तो क्या यह सूचना मिलने के बाद वह इस बात पर विचार करेंगे कि इस कमेटी में कोई लेबर या सदन का प्रतिनिधि जरूर रखा जाय ?

श्री जयराम वर्मा--

श्रीमन्, सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार करके ही इस तरह की कमेटी बनाई गई है और एक बात और मैं साफ कर दूं कि यह कोई ठीक अर्थ में "पे कमेटी" नहीं है, वेतनक्रम निश्चित करने के लिये कोई कमेटी नहीं है बल्कि जो वेतन क्रम निश्चित है उनका अभिनवीकरण करने के लिये है, उन्हें जो सुविधायें वगैरह प्राप्त है उनका अभिनवीकरण करने के लिये है । सही मानों में यह वेतनक्रम निर्धारित करने वाली कमेटी नहीं है।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

इस पे कमेटी का फैसला कब तक हो जायगा, कोई तारीख निश्चित है क्योंकि जरूरत तो इस वक्त है जब कि महंगाई है ?

श्री जयराम वर्मा--

कोई तारीख तो निश्चित नहीं है । लेकिन इस बात की कोशिश की जायगी कि जल्दी से जल्दी हो ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इस समय जो मंहगाई की हालत है उसको देखते हुए क्या सरकार ने इस बात का भी निर्देश उस कमेटी को किया है कि वह बताये कि वह ऐडहाक इन्क्रीज क्या चाहती है ?

श्री जयराम वर्मा--

विचारणीय विषय जो उनके सामने है वह मैंने पढ़ कर सुना दिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस पे कमेटी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि अभिनवीकरण किया जाय, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभिनवीकरण का मतलब क्या यह तो नहीं है कि यहां पर कर्मचारियों का वर्कलोड बढ़ गया है, इसलिए उसको छांटा जाय और क्या इसको रोकने के लिए कि छटनी न हो बल्कि वर्कलोड कम किया जाय. . .

श्री अध्यक्ष—

अभिनवीकरण में छंटनी तो नहीं होगी, यह वह पूछ रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा—

नहीं, अभिनवीकरण में छंटनी नहीं होगी ।

तारांकित प्रश्न

बाजपुर चीनी मिल के केन्द्र सुल्तानपुर पर गन्ने की तौल में गड़बड़ी

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मार्च, १९६४ के दूसरे सप्ताह में कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के सुल्तानपुर, केन सेंटर पर, गन्ने का अन्डर वेमेन्ट किया जाना एस० डी० एम०, काशीपुर द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया है ? यदि हां, तो सेंटर इंचार्ज ने इंस्पेक्शन बुक, एस० डी० एम० को देने से क्यों इन्कार कर दिया ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां, निर्दिष्ट फैक्टरी के सुल्तानपुर सरकड़ा सेन्टर पर एस० डी० एम०, काशीपुर द्वारा दिनांक १० मार्च, १९६४ को गन्ने की कम तौल (अन्डर वेमेन्ट) किया जाना पकड़ा गया किन्तु सेन्टर इन्चार्ज द्वारा उक्त अधिकारी को यह गलत सूचना दी गई कि इन्सपेक्शन बुक बाजपुर केन यूनियन के वाइस चेयरमैन (श्री एस० एन० शर्मा) ले गये हैं ।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने का अन्डर वेमेन्ट करने वाले उपर्युक्त केन सेन्टर इंचार्ज, फैक्टरी के क्लर्क तथा सोसाइटी के प्रतिनिधि कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या इस विषय पर केन कमिश्नर को गन्ना उत्पादकों का कोई सामूहिक आपत्ति-पत्र भी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त सेंटर इन्चार्ज, फैक्टरी क्लर्क तथा सोसाइटी के प्रतिनिधि कर्मचारी को नौकरी से पृथक कर दिया गया है । इस विषय पर गन्ना आयुक्त के कार्यालय अथवा जिला गन्ना अधिकारी, हलद्वानी एवं गन्ना निरीक्षक, मुरादाबाद के कार्यालयों में भी ऐसी कोई गन्ना उत्पादकों का सामूहिक आपत्ति-पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतएव शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि अन्डर वेमेन्ट होने के परिणामस्वरूप हजारों लोगों का गन्ना वहां पर कम दाम में गया और किसानों का नुकसान हुआ जो क्लीयर क्रिमिनल केस ४२० में आता है, तो उनको नौकरी से हटाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दायर किया जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें बड़ी दिक्कत पड़ती है सबूत मिलने में । यह जो केस है इस में उनको नौकरी से ही नहीं हटाया है बल्कि उनकी जमानत को भी जब्त कर लिया गया है और यह आर्डर कर दिया गया है कि यू० पी० में किसी यूनियन में उनको नौकरी में न रखा जाय ।

*३—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

[हटा दिया गया ।]

प्रान्तीय रक्षक दल में ब्लाक आर्गनाइजर्स की पदोन्नति

*४—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच) तथा श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्तीय रक्षक दल के असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर्स का चुनाव दिनांक २० अगस्त, १९६३ को किस आधार पर और किस प्रकार से किया गया ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

ऐसा एक चुनाव, चुनाव परिषद् ने किया। ज्येष्ठता के अनुसार ब्लाक आर्गनाइजर्स को बुलाया गया और एक लिखित और out door परीक्षा ली गई। तत्पश्चात् साक्षात्कार भी किया गया। जो उम्मीदवार उसमें सफल हुये। केवल उनकी पदोन्नति की गई।

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेम सिंह तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि प्रान्तीय रक्षक दल के कुछ ऐसे ब्लाक आर्गनाइजर्स को जो सामान्य ज्ञान व हथियार शिक्षा के टेस्ट्स में सफल नहीं हुये थे उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बना दिया गया और ऐसे ब्लाक आर्गनाइजर्स को जोकि इन टेस्ट्स में सफल हो गये थे उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर नहीं बनाया गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं। कुछ ऐसे ब्लाक आर्गनाइजर्स जो पहली परीक्षा में सफल नहीं हुये थे किन्तु जिनकी चरित्र पुस्तिका प्रशंसनीय थी तथा जो शिक्षा योग्यता में पूर्ण थे एक प्रशिक्षण देकर फिर एक परीक्षा ली गई जो सफल हो गये उनकी पदोन्नति कर दी गयी।

*६—श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुछ ऐसे ब्लाक आर्गनाइजर्स को जो हाई स्कूल भी पास नहीं हैं या जिनको कि खराब कार्य होने के कारण विभाग से निकाल दिया गया था या कभी उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही की गई थी उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर्स बना दिया गया है और कुछ कर्मचारियों को जो आफिशिएटिंग असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर भी रह चुके हैं उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर नहीं बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

केवल एक ब्लाक आर्गनाइजर हाई स्कूल पास नहीं था जिन्हें असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बनाया गया। उनकी पदोन्नति के लिये शिक्षा योग्यता का कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

ऐसा कोई नहीं था जिसे खराब कार्यों के कारण निकाला गया हो तथा बाद में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बना दिया गया हो।

केवल एक ब्लाक आर्गनाइजर की वेतन वृद्धि सन् १९५० में रोकी गई थी किन्तु बाद के वर्षों में उसके विरुद्ध कुछ नहीं पाया गया और उनको असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बनाया गया।

केवल इस आधार पर कि कोई व्यक्ति कभी कार्यवाहक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर रह चुका हो उसका चुनाव इस पदोन्नति के लिये नहीं किया गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस चुनाव में कुछ ऐसे लोगों को, जो एक दफा फेल हो गये थे, कुछ ऐसे लोगों को जो हाई स्कूल नहीं थे, कुछ ऐसे लोगों को जिनकी तनख्वाह में बढ़ोत्तरी रोक

दी गई थी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर बनाया गया और ऐसे लोगों को जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर के तौर पर काम कर चुके थे उनको नहीं बनाया गया है और इस तरह से इस सेलेक्शन में पक्षपात किया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो मैंने उत्तर में साफ पढ़ दिया है कि यह सेलेक्शन बोर्ड था उसने उन सारी चीजों को कंसीडर किया है। इसमें सब लोग तो नहीं केवल एक आदमी हाई स्कूल पास नहीं थे। राजेन्द्र सिंह। वह हाई स्कूल तक पढ़े थे और हमारे जी० ओ० में यह है कि जो बी० ओ० अच्छे होंगे उनके लिये शैक्षणिक योग्यता बाधक नहीं होगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि जब शिक्षा की योग्यता बाधक नहीं है तो बगैर पढ़े-लिखे लोग भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट आर्गनाइजर हो सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो हमारे जिले में इस संगठन में प्रथम आये हैं इम्तहान में, आज तक उनका एप्वाइन्टमेंट क्यों नहीं हुआ ? उनका नाम है कमक्षा पांडेय और वे बिलहरी ब्लाक के हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—

अगर माननीय सदस्य लिख कर नाम, आदि दे दें तो मैं जांच करा कर बतला दूंगा कि स्थिति क्या है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी इन बातों को देखते हुए फिर इस बात की जांच करायेंगे कि यह सेलक्शन सही तरीके से हुआ था या इसमें पक्षपात किया गया ?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

सेलेक्शन बिल्कुल सही हुआ है और उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ।

नियोजन अधिकारी, जिला बाराबंकी

*७—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बाराबंकी के वर्तमान नियोजन अधिकारी कितने समय से वहां पर हैं ?

*८—क्या यह सही है कि उनका तबादला तीन बार किया गया और फिर रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

वह बाराबंकी में २६ अगस्त, १९६३ से तैनात हैं, किन्तु जिला नियोजन अधिकारी के पद पर ९ जून, १९६४ के अपरान्ह से कार्य कर रहे हैं।

जी नहीं।

खागा थाने में अपराध

*९—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थाना खागा, जिला फतेहपुर में पिछले १ नवम्बर, १९६३ से ३० अप्रैल, १९६४ तक चोरी, डकैती तथा कत्ल की कितनी घटनायें हुयीं, उनमें कितने केसों में फाइनल रिपोर्ट लगी और कितने केस चलाये गये? उनमें कितने कामयाब हुये?

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिय नथी 'क' आगे पृष्ठ ८१२ पर)

*१०—श्री नाथूराम शिक्षक—

उक्त घटनाओं में कौनसी घटनाओं की जांच अफसर दोयम, श्री दयानन्द तिवारी द्वारा की गई?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त घटनाओं में ४ कत्ल व २८ चोरी की घटनाओं की जांच श्री दयानन्द तिवारी द्वारा की गई।

श्री नाथूराम शिक्षक—

जिन चार केसेज में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है क्या वे सब श्री दयानन्द द्वारा जांच किये गये थे?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या इसका उत्तर पता लगा कर मंत्री जी देने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अगर आप इस बारे में सवाल पूछियेगा तो पता लगा लिया जायगा, वरना यह कोई महत्व का सवाल नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी को ऐसी शिकायत मिली हैं कि दयानन्द तिवारी ने रिश्वत लेकर इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है, लेकिन मैं आपका स्वागत करूंगा कि अगर आप इसकी जांच कर के ऐसी रिपोर्ट मुझे दें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय सदस्य के एक प्रश्न को आपने स्वीकार कर लिया था और मंत्री जी ने उसे महत्व का नहीं है कह कर उत्तर नहीं दिया। तो जब कोई प्रश्न स्वीकार कर लिया जाता है तो वह महत्व का हो जाता है। महत्वहीन होते हुए भी महत्व का हो जाता है। तो उनका ऐसा कहना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष--

उसे मैं देख लूंगा।

*११--श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)--

[४थे गुरुवार के लिए स्थगित किया गया।]

रजा पुस्तकालय, रामपुर को अनुदान

*१२--श्री रक्षपालसिंह तथा श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कला और संस्कृति के विकास के लिये सरकार किन-किन संस्थाओं, समितियों तथा पुस्तकालयों को वार्षिक अनुदान देती है तथा १९६३-६४ में कितना-कितना रुपया किस-किस को दिया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)--

उन सभी संस्थाओं की एक सूची जिन्हें वर्ष १९६३-६४ में अनुदान सहायता दी गई, माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नथी 'ख' आगे पृष्ठ ८१३ पर)

*१३--श्री रक्षपालसिंह तथा श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रजा पुस्तकालय, रामपुर द्वारा किस कला और संस्कृति का विकास होता है जिस के लिये सरकार ने इस वर्ष ५३,५०० रुपया अनुदान स्वीकृत किया है तथा क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि उक्त पुस्तकालय का प्रबन्ध किसके द्वारा होता है ?

डाक्टर सीताराम--

साधारणतया सभी पुस्तकालय एक देश की कला और संस्कृति की उन्नति में सहायता करते हैं और रजा पुस्तकालय, रामपुर पूर्ण रूप से जो सहायता उसको मिलती है उसका वह हकदार है। इस पुस्तकालय का प्रबन्ध एक बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा होता है जिसके सेक्रेटरी जिलाधीश रामपुर हैं।

श्री रक्षपालसिंह--

वह कौन सी विभिन्न मदें हैं जिनसे इन संस्थाओं को सहायता दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--

इसमें १२ नम्बर का एक व्यापक प्रश्न है। १९६३-६४ में जो सहायता दी गयी है उसमें नम्बर १ और २ में आवर्तक अनुदान केवल दो संस्थाओं को दिया गया है और बाकी ९ संस्थाओं को अनावर्तक अनुदान दिया गया है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ५३,५०० रु० का अनुदान दिया गया, इस प्रकार की और भी किसी संस्था को रकम दी गई है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम--

यह १९६३-६४ की रकम नहीं है, बल्कि १९६४-६५ की है। एक दूसरी संस्था साइन्टिफिक रिसर्च ऐन्ड कल्चरल अफेयर्स है, जो कि अब आटोनामस बाडी है, उसको २ लाख १ हजार रुपया दिया गया है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बतायेगी कि जो रजा पुस्तकालय, रामपुर, है, उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—

इसकी सूचना नहीं है ।

*१४—१५—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

रायबरेली से बम ले जाने वाली ट्रक का बिहार में पकड़ा जाना

*१६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में जनवरी, सन् १९६४ से ३० मई, सन् १९६४ तक कितने बम बरामद हुये हैं और जिला रायबरेली की कोई ट्रक जो रायबरेली से कलकत्ता बम लाद कर जा रही थी किस तारीख को पकड़ी गई तथा उसके खिलाफ जिला अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ? उस ट्रक का नम्बर क्या है और उसका मालिक कौन है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जनवरी, सन् १९६४ से ३० मई, सन् १९६४ तक जिला रायबरेली में कोई बम बरामद नहीं हुआ । रायबरेली की एक ट्रक दिनांक ३० अप्रैल, सन् १९६४ को थाना बरही, जिला हजारीबाग, बिहार में पकड़ी गई । इस ट्रक में बकरियां ले जायी जा रही थीं परन्तु थाना बरही की पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर इस ट्रक के अन्दर साइड बक्से से एक झोले में रखे हुये चार छोटे जिन्दा बम तथा टेनिस के गेंद के बराबर २ बम एक फटे पुराने कपड़े में लिपटे हुये बरामद हुये । ट्रक के मालिक तथा ड्राइवर को मौके पर गिरफ्तार किया गया और क्लीनर बदलू जो भागकर रायबरेली आ गया था, रायबरेली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके हजारीबाग भेजा गया । इन लोगों के विरुद्ध थाना बरही, जिला हजारीबाग, बिहार की पुलिस कार्यवाही कर रही है । इस ट्रक का नम्बर यू० एस० यू० ४०९ है और इसके मालिक, श्री अब्दुल हक सागर पुत्र श्री बाबू मियां, निवासी खतराना, थाना कोतवाली, जिला रायबरेली हैं ।

श्री रतीपाल—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि यह बम जो बरामद हुये हैं, वे अपने देश के बने हुए हैं या किसी दूसरे मुल्क के बने हुये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इस बात की जानकारी तो नहीं है कि कहां के बने हुये हैं ।

श्री रतीपाल—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी बात की सही सूचना मानकर सदन को अवगत करायेंगे कि अब्दुल हक नामक व्यक्ति, जब गाड़ी में बम बरामद हुये तो वहां से भाग आया और उसने रायबरेली जिले के गौरा हास्पिटल में जाकर भर्ती होना चाहा । वहां के डाक्टरों ने उसको भर्ती तो नहीं किया किन्तु भर्ती का सर्टीफिकेट दे दिया और क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि अब्दुल हक की पाकिस्तानियों से दोस्ती है और वह पाकिस्तान से बम लाकर कलकत्ता ले जा रहा था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर माननीय सदस्य ब्योरेवार इस विषय में लिख कर दें, तो जांच करा सकते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी ने इस बात की जांच कराई है कि अब्दुल हक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके तमाम रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और उनके द्वारा वह यह षड़यन्त्र कर रहा है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

देखिये, इसकी जितनी जांच है, वह हजारीबाग पुलिस द्वारा हो रही है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस एरिया में बम बरामद हुये हैं, वह बिहार में है और अब्दुल हक यू० पी० का रहने वाला है तो आपकी सरकार ने यह जानने के लिये कि वह पाकिस्तानी एजेन्ट है कि नहीं, उसके रहन-सहन आदि का ढंग किस प्रकार का है, इसकी कोई जांच करने की कोशिश की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये एक यहां का सब-इंस्पेक्टर बिहार में भेज दिया गया है। लेकिन हजारीबाग की कार्यवाही वहां की पुलिस करेगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि वह पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का एजेन्ट है, इस बात की आपको सूचना है कि नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात की सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या पुलिस मंत्री इस घटना की गम्भीरता को इस संकटकाल में देखते हुये १५ दिन के अन्दर इन तथ्यों का पता लगवा कर सदन में रखने की कृपा करेंगे कि ये बम किस जगह बनाये गये, कौन-कौन बनाने वाले थे और किसका षड़यंत्र है ?

श्री अध्यक्ष—

यह हजारीबाग की पुलिस इन्वेस्टीगेट कर रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

जो ट्रक पकड़ा गया उसका और ड्राइवर का लाइसेंस सरकार ने कानफिस्केट किया या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ये वहीं पकड़े गये, वहीं केस चल रहा है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या ड्राइवर और ट्रक के मालिक के घरों की तलाशी पुलिस ने ली या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जितनी जरूरी कार्यवाहियां यू० पी० में करनी थीं, सब की गयीं ।

श्री विजयसिंह--

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस संबंध में कुछ दिलचस्पी ली और वह कौन-सी कार्यवाहियां थीं जो सरकार ने कीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)----

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि पाकिस्तान से बम कानपुर आते रहे और कानपुर से उसे ६ हजार रु० लेके ट्रक पर ढाका भेजे जाते थे ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

अगर ऐसी बात आप लिख कर भेजेंगे तो जरूर जांच करायेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह हर बात लिख कर भेजना कहां तक उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का मंतव्य सूचना प्राप्त करना है, देना नहीं है । लिखकर तो आपको भेजना ही होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह ट्रक सारे उत्तर प्रदेश में सफर करता हुआ बम लादे हुये बिहार में चला गया, उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं पकड़ पायी ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता ।

चमोली जिले में खाद्य तथा नियोजन अधिकारी

*१७--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिले चमोली में जहां जिला स्तर पर खाद्य-पूर्ति व नियोजन अधिकारी से सम्बन्धित कार्य एक ही अतिरिक्त डिप्टी कलेक्टर से लिया जा रहा है ? और खाद्य स्थिति से जनता में असन्तोष है वे नियोजन व खाद्य पूर्ति अधिकारियों की शीघ्र ही पृथक्-पृथक् नियुक्ति करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

चमोली जिले में पूर्ति व नियोजन कार्य के लिये पृथक् पृथक् अधिकारियों की नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी--

नियोजन, खाद्य-पूर्ति के महत्व और गुरुता को देखते हुये तथा उत्तराखंड की विशेष कठिनाइयों और परिस्थितियों को देखते हुये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी शीघ्र ही इन दो पदों पर पृथक् पृथक् अधिकारियों की नियुक्ति कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

चमोली बहुत छोटा जिला है, ४ खंड मंडलाधीश वहां काम करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह सुझाव दिया कि चूंकि यहां का शासन इंटिग्रेटेड है तो एक ही डिप्टी कलेक्टर पूर्ति का भी काम देखता रहे । लेकिन अब चूंकि अनाज की कमी को माननीय सदस्य महसूस करते हैं, उसको देखते हुये अब हमने चीफ इंस्पेक्टर, आफिसेज से कहा है कि वह देखें कि अगर इतना काम होगा तो अलग से बनाने पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वहां के जो खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी इस समय हैं उनका व्यवहार जनता के प्रति बहुत खराब और सहानुभूतिहीन रहा है, उनका अविलम्ब कहीं ट्रान्सफर करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उनके व्यवहार आदि के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है । अगर आप कहेंगे तो उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि वहां पर सब्सीडाइज्ड रेट पर खाद्यान्न दिया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आप माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

सरकार ने उत्तर दिया है कि यह विचाराधीन है । तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कब से विचाराधीन है और कब तक फलीभूत होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जून, सन १९६४ में वहां के कमिश्नर का यह सुझाव आया था कि वहां के लिये अलग से खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी हो । यह एक छोटा-सा जिला है जहां पर ४ डिप्टी कलेक्टर्स रहते हैं । अब चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेज को हमने कहा है कि वे वहां जांच करके अपनी रिपोर्ट दें कि वहां इसकी आवश्यकता है या नहीं, काम को देखते हुये । उनकी रिपोर्ट आने पर उसको देखेंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने वहां के इन अधिकारियों को नियोजन अधिकारी के भी अधिकार क्यों दे दिये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जिससे कि काम सुचारु रूप से चल सके ।

श्री होरीलाल यादव—

जो आफिसर वहां पर खाद्य के मामले को भी देखते हैं और जिनके खिलाफ जनता को शिकायत भी है तो सरकार क्या उनका ट्रान्सफर करेगी जिससे वहां का काम भी चल जाय और दूसरी जगह भी न बढ़ानी पड़े ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—

एक अलग नियोजन अधिकारी नियुक्त करने की मांग सरकार के पास कब आयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक बार फरवरी में जब समिति की बैठक हुई थी, वहां यह सुझाव आया था। फिर जून में कमिश्नर साहब ने यह सुझाव भेजा ।

श्री गंगाधर मैठाणी—

उत्तराखंड के लिये तृतीय योजना केलिये जितना रुपया रखा गया था वह वहां पर पृथक् नियोजन अधिकारी न होने के कारण खर्च नहीं हो सका और लैप्स हो रहा है । तो क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र निर्णय करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कहा इस पर विचार हो रहा है। जब रिपोर्ट आ जायेगी तो उस पर जरूर विचार किया जायेगा ।

नायब थानेदार, मधुबन के विरुद्ध जांच

*१८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मंत्री दिनांक ६ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या २३ और २४ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि नायब थानेदार के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच थाना इन्चार्ज ही से क्यों कराई गई जबकि जिले में और अधिकारी हैं तथा नायब थानेदार एवं इन्चार्ज थानेदार का सदा साथ रहता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इंचार्ज थानेदार, नायब थानेदार से वरिष्ठ अधिकारी हैं और नायब थानेदार उनकी देख-रेख में कार्य करते हैं इसलिये इंचार्ज थानेदार से जांच कराई गई ।

*१९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न २४ के उत्तर के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्र की जांच पुनः किसी उच्च अधिकारी से करा कर आवेदकों के बयान एवं प्रमाणों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

चूंकि प्रार्थना-पत्र की जांच कराई गई और आरोप सही नहीं पाये गये अतः पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

*२०—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवेदकों के बयान एवं साक्ष्य-पत्र कहां और किस अधिकारी की देख-रेख में था तथा उसके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ये कागजात पब्लिक प्रोसीक्यूटर के डिस्पैच के पास से गायब हुये हैं । उनकी चरित्र-पंजी में दुश्चरित्र लेख लगाने के लिये आदेश दिया जा चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र में नायब थानेदार के खिलाफ कौन-कौन-सी शिकायतें थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यही था कि हफीजुल्ला वगैरह रास्ता रोक रहे थे, २०-३-६३ को ४ बजे दरोगा आये और उन सब ने उन्हें अनायास ही गाली देना शुरू कर दिया ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने कहा कि इंचार्ज एक वरिष्ठ अधिकारी है । लेकिन थाने की मिली-जुली घूस में उसका भी हिस्सा होता है । ऐसा होते हुये वह किस औचित्य पर नायब थानेदार के खिलाफ इन्क्वायरी करता है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें घूस की कोई बात नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान माननीय चरणसिंह जी जब पुलिस मंत्री थे तब के उनके आदेश की तरफ गया है कि थानेदार के खिलाफ शिकायत की इन्क्वायरी डिप्टी पुलिस कप्तान करेगा ? यदि हां, तो क्यों इन्क्वायरी थाना इनचार्ज से कराई गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मेरी जानकारी में यह बात नहीं है । अगर ऐसा उनका आदेश होगा तो उनके टाइम में वैसे ही जांच होती रही होगी ।

श्री विजयसिंह—

क्या थानेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार या नैतिक व्यवहार की शिकायत के बारे में सी० आई० डी० से इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

मैं करीब-करीब सब केसेज में यही करता हूं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

थानेदार के खिलाफ इन्क्वायरी कम से कम सर्किल अफसर से ही कराने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब सब कागज गायब हो गये तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि शिकायत गलत थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

दरोगा से पुनः रिपोर्ट मांगी गयी थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब कागज ही गायब हो गये तो दूसरी रिपोर्ट को सही कैसे माना जाय ? मैं कहता हूं कि पहली रिपोर्ट सही थी और इसलिये कागज गायब किये गये चूंकि थानेदार उसमें फंसता था ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जांच करने वाला वही दरोगा था । कागज गायब हो गये तो उसका दिमाग तो नहीं बदला ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

दरोगा ने दूसरी बार अपना दिमाग ठीक करके क्या रिपोर्ट दी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

रिपोर्ट की प्रति इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या मंत्री जी अपने मंत्रित्वकाल में कोई नियम बनवा कर छपवायेंगे कि अमुक दरोगा की जांच उससे सीनियर अफसर करे, या अमुक की जांच सी० आई० डी० करे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

इसके इकट्ठा करने में और छपवाने में लाभ से अधिक श्रम होगा और वह भी लाभदायक नहीं होगा, इसलिये सरकार इसे करने में असमर्थ है ।

*२१-२२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिये गये ।]

*२३—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी—

[४ थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कमिश्नर

*२४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने कमिश्नर हैं तथा उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस प्रदेश में १० कमिश्नर आफ डिवीजन हैं । इनकी शैक्षिक योग्यता संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८१४ पर ।)

*२५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि उपरोक्त कमिश्नरों में से कितने ऐसे हैं जो Confirmed कलेक्टर भी नहीं हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सब अफसर आई० सी० एस०, आई० ए० एस० के सीनियर टाइम स्केल में Confirmed हैं ।

*२६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उनमें कितने मिलिटरी से आये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपरोक्त कमिश्नरों में से केवल ४ की नियुक्ति आई० ए० एस० में उनकी War Service के आधार पर की गई है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ४ नियुक्तियां आई० ए० एस० में हुई हैं उन पर जो लोग वार सर्विस से आये हैं उनके वहां पर पद क्या थे और यहां पर उनको क्यों एक्जेम्प्शन दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

आई० ए० एस० आफीसरों की नियुक्तियां भारत सरकार करती है जो अपने ही बनाये नियमों के अनुसार करती है। पहले उनके पद क्या थे, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर, श्री सी० एम० निगम हैं जो फौज से आये हैं, उन्होंने गोंडा में श्री रामरतन गुप्ता को चुनाव जितवाया था, इसलिये उनको कमिश्नर बना दिया गया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फौज से जो लोग आये हैं वे कौन-कौन सी जगह पोस्टेड हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सभी वार सर्विसेज वाले नहीं हैं। वार सर्विस वालों के नाम ये हैं---जगदीश बिहारी टंडन आई०ए० एस०, कमिश्नर वाराणसी, खंड वाराणसी, श्री चन्द्र मोहन निगम, आयुक्त गोरखपुर, खंड गोरखपुर, श्री राम सहाय, कमिश्नर लखनऊ, खंड लखनऊ, श्री श्रीप्रकाश कृशन, आई० ए० एस०, उत्तराखंड व कुमायूं, नैनीताल।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन चार में से दो कमिश्नरों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्जेम्प्शन दिया है और सी० एम० निगम साहब को एक्जेम्प्शन नहीं दिया गया था लेकिन जैसा उग्रसेन जी ने कहा गोंडा के एलेक्शन के बाद उनको कमिश्नर बना दिया गया, क्या इस सम्बन्ध में जांच करा कर मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह बात सही नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिस समय निगम साहब को कमिश्नर बनाया गया क्या उनके विरुद्ध कोई जालसाजी के मामले की जांच हो रही थी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

मेरे पास जो फाइल है उसमें इस तरह की कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये वही साहब हैं जो कुंभ के मेले के अवसर पर हरद्वार में थे और जिन्होंने ठेकेदारों से ठेकानामा नहीं लिखाया था जिसके कारण ७ लाख रुपये का नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसकी सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि श्री दास साहब, जो आज कल चीफ सेक्रेटरी हैं, जब वे निगम साहब के बारे में करप्शन की जांच कर रहे थे, उस समय पहले के चीफ सेक्रेटरी ने लिखा था कि उन्हें कन्फर्म्ड कलेक्टर न किया जाय ? यदि हां, तो उस आदेश की अवहेलना करके इनकी नियुक्ति कमिश्नर के पद पर करने का कारण क्या है, इसकी वे जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास यह सूचना है कि ये सीनियर स्केल में कन्फर्म्ड हैं।

श्री सुधामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सभी कमिश्नरियों में कमिश्नर सीनियर टाइम स्केल के हैं, तो झांसी कमिश्नरी जो क्षेत्रफल में बड़ी है, वहां के कमिश्नर का अधिकार स्तर कम क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ये एप्वायंटमेंट्स ऐसे हैं कि १० डिवीजन में से ९ डिवीजन में तो सुपर टाइम स्केल में आफिशिएट करने वाले कमिश्नर हैं और झांसी डिवीजन में एक सीनियर आई० ए० एस० आफिसर हैं जिनको अपने स्केल के ऊपर ३०० रु० और मिलता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये वही सी० एम० निगम साहब हैं जो देवरिया में कलेक्टर थे और जिन्होंने राजा साहब, रुद्रपुर की टाउन एरिया के बाद जो जमींदारी थी, उसको अपने आदेश से जोड़ दिया और आज भी जुड़ी हुई है, जिसके लिये आज भी तमाम जनता की शिकायत है, लेकिन कमिश्नर, गोरखपुर होते हुए आज वे उसकी जांच नहीं करा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

*२७–२८—श्री मुहम्मद रफी खां—

[४थें गुरुवार के लिए स्थगित किये गये।]

गवर्नमेन्ट सेकन्डरी टेक्निकल स्कूल, गाजीपुर के भंगी की बर्खास्तगी

*२९—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर के टेक्निकल स्कूल के कुछ भंगी कर्मचारियों को अक्तूबर, १९६३ में प्रिंसिपल ने बुरी तरह मारा और इन कर्मचारियों को स्कूल के कार्य करने से वंचित कर दिया ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

(क) जी नहीं।

(ख) फरवरी, १९६४ में डायरेक्टर आफ टेक्निकल एजूकेशन, उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल, गाजीपुर के एक भंगी को अस्थायी पद के कार्यभार से मुक्त कर दिया।

*३०—श्री रघुवीर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त भंगियों द्वारा टेक्निकल डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, कानपुर को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां, उक्त व्यक्ति ने नौकरी से निकाले जाने के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया था जो अस्वीकृत कर दिया गया।

श्री रघुवीर—

जिस भंगी कर्मचारी को प्रिंसिपल साहब ने बुरी तरह से स्कूल में पीटा, उसने इसके बाद एक प्रार्थना-पत्र एजूकेशनल डाइरेक्टर को भेजा, तो क्या माननीय मंत्री जी उस प्रार्थना-पत्र को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मेरे पास है, आप अगर आयेंगे तो मैं जरूर दिखला दूंगा।

श्री रघुवीर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह भंगी अपने पद से क्यों हटा दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसने स्कूल के प्रिंसिपल के विरुद्ध झूठी शिकायत की थी, जिसकी जांच की गयी और उसी आधार पर उसे हटा दिया गया।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि टेक्निकल स्कूल के जिस भंगी को इन प्रिंसिपल साहब ने मारा वह किस जाति का है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जाति तो हमारे पास लिखी नहीं रहती।

श्री उग्रसेन—

तो उसका नाम ही बता दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नाम तो फाइल में नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या उस भंगी के पत्र पर प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रघुनाथसिंह—

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि समाजवादी शासन व्यवस्था में सब को समान अधिकार और सुविधायें मिलनी चाहिये, भंगी की शिकायत पर उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह जो शिकायत थी इसकी जांच डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर ने की थी और मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि इसमें कुछ और लोगों का हाथ था जो प्रिंसिपल के खिलाफ इस तरह की दरख्वास्तें दिया करते थे। रामजनक से उन्होंने पूछा कि यह पत्र तुमने किससे लिखवाया, तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं। फिर पूछा कि किस वकील से लिखाया तो उसने कहा यह नहीं मालूम। फिर पूछने पर कि वकील को क्या दिया। उसने बताया कि ५ रुपये दिये पूछा गया कि रुपए कहां से आये तो बताया कि यह भी मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष—

इतने डिटेल में आप न बतायें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसको यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारी शिकायत क्या थी, उसने कहा कि यह तो वकील साहब ने लिखा है। जांच से पता चला कि शिकायती-पत्र भी छपा हुआ था। उससे पूछा गया कि तुमने टाइप कहाँ कराया, तो उसका भी पता नहीं। जब शिकायत करने वाले को किसी चीज का भी पता नहीं, कहां टाइप हुआ, किसने लिखा, कहां से रुपया आया तो फिर कैसे माना जाय ?

नारायण बगड़ ब्लाक में हाई स्कूल के लिये आदेश

*३१—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि चमोली सीमान्त जिले के अन्तर्गत नारायण बगड़ विकास खण्ड में कोई उच्च माध्यमिक विद्यालय (हायर सेकेंडरी स्कूल) नहीं है ? क्या इसके लिये उस विकास खण्ड की जनता यथा क्षेत्र विकास समिति की ओर से कई वर्षों से मांग पेश होती चली आ रही है ? यदि हां तो क्या अब सरकार अविलम्ब इस हाई स्कूल की मांग को पूरा करने की कृपा करेगी और उपर्युक्त विकास खण्ड नारायण बगड़ में जो राजकीय पूर्व लघु माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल) स्थापित है उसे आगामी जुलाई से उच्चीकरण करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

नारायण बगड़ ब्लाक में स्थित राजकीय जूनियर हाई स्लूक को इस शिक्षा सत्र (जुलाई, १९६४) से हायर सेकेंडरी स्तर तक उच्चीकरण करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

कमालगंज थान में आर० पी० इन्टर कालेज के वलीबाल खंभों की चोरी

*३२—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की फर्रुखाबाद जिले के थाना कमालगंज के अन्तर्गत आर० पी० इण्टर कालेज के वालीवाल के लोहे के पोल कब चोरी गये थे ? क्या इनकी रिपोर्ट F. I. R. दर्ज हुई थी।

श्री हरगोविन्दसिंह—

आर० पी० इन्टर कालेज के वालीवाल के लोहे के दो पोल ५/६ नवम्बर, १९६२ की रात को चोरी गये थे। इनके चोरी जाने के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट ६ नवम्बर, १९६२ को थाना कमालगंज पर दर्ज हुई थी।

*३३—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार की जानकारी में है कि यह लोहे के पोल एक लम्बी अवधि के बाद एक महाशय के घर में बरामद हुये और थाना इंचार्ज महोदय ने पोल कालेज को वापस लौटा दिये किन्तु इस सम्बन्ध में कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की ? यदि हा, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वर्तमान थाना इंचार्ज महोदय ने रिश्वत लेकर अपराधियों को छोड़ दिया ?

नोट— तारांकित प्रश्न ३० के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री हरगोविन्दसिंह—

चोरी गये दोनों पोल दिनांक १२ अक्तूबर, १९६३ को श्री रामेश्वर दयाल के गैररिहायशी मकान से, जो एक असुरक्षित स्थान था, बरामद हुए। इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत न मिलने के कारण १३ अक्तूबर, १९६३ को जांच समाप्त कर दी गई और जे० ओ०, छिबरामऊ की स्वीकृति से दोनों पोल प्रिंसिपल आर० पी० कालेज को लौटा दिये गये।

चूंकि कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया, अतः पुलिस द्वारा घूस लेने व अपराधी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

*३४—श्री सूबेदारसिंह—

क्या उपर्युक्त लोहे के पोल बरामद होने की सूचना कुछ स्थानीय समाचार-पत्रों में भी छपी थी? यदि हां, तो किन तिथियों एवं किन समाचार-पत्रों में?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसा कोई विवरण नहीं प्राप्त हो सका कि उक्त लोहे के पोलों के बरामद होने की सूचना स्थानीय समाचार-पत्रों में छपी थी।

सचिवालय में डिलिवरेन्सी रजिस्टर

*३५—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि सचिवालय के कुछ विभागों में डिलिवरेन्सी रजिस्टर के नाम से कोई रजिस्टर रखा जाता है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां।

*३६—श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपरोक्त रजिस्टर सरकार के किस नियम तथा आदेश के अन्तर्गत खोला गया है तथा किन लोगों के लिये है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ सचिवों ने अपनी शाखा के आन्तरिक परिचालन के हेतु यह रजिस्टर चलाया है। यह उन्हीं शाखाओं के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए है।

*३७—श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह रजिस्टर किस-किस विभाग में रखा जाता है तथा क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह रजिस्टर गृह सचिव शाखा तथा स्वायत्त शासन सचिव की शाखा के विभागों में रक्खा जाता है। यह कर्मचारियों की कार्यदक्षता बनाए रखने के आशय से रखा गया है। इसके द्वारा उनकी विशेष त्रुटियां उनको मालूम हो जाती हैं जिससे वह भविष्य में उन्हें न होने देने का प्रयास करें।

पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा जेलों से लिखित पत्रों के प्रकाशन पर विचार

*३८—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० जवाहर लाल नेहरू के कार्यों को चिरस्थाई रूप प्रदान करने हेतु सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है तथा उस पर कुल कितना धन व्यय होने की आशा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा विभिन्न जेलों से लिखे गए पत्रों का प्रकाशन कराये जाने के विषय पर एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर विचार होना है।

आगरा जिले में ट्रक दुर्घटनाएं

*३९—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लालगढ़ी, तहसील एतमादपुर, जिला आगरा के अन्तर्गत डकैती तारीख १२ से १५ मई, १९६४ में पड़ी है? यदि हां, तो उसमें पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ग्राम लालगढ़ी, तहसील ऐतमादपुर, जिला आगरा में उक्त अवधि में कोई डकैती की घटना नहीं हुई। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*४०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर व जिले में जनवरी, १९६४ से मई, १९६४ तक कितनी ट्रक दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितने लोगों की मृत्यु हो गई ?

श्री हरगोविंदसिंह—

आगरा नगर व जिले में पहली जनवरी, १९६४ से ३० मई, १९६४ तक की अवधि में कुल ४१ ट्रक दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें ११ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

*४१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

पूर्वी जिलों के संबंध में पटेल आयोग के सुझाव

*४२—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी जिलों की गरीबी मिटाने के लिये जौनपुर, आजमगढ़ गाजीपुर, देवरिया जिलों मे लघु सिंचाई योजना के कार्यान्वियन मे क्या कठिनाई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सीमेन्ट, लोहे की चादरे तथा प्राविधिक कर्मचारियों की कमी के कारण लघु सिंचाई साधनों के निर्माण-कार्यक्रम मे बाधा पड़ रही है।

*४३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पटेल आयोग ने पूर्वी जिलों की गरीबी मिटाने के लिये क्या सुझाव दिये हैं और क्या पटेल आयोग क. रिपोर्ट की एक प्रति विधायकों को देने का कष्ट सरकार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मुख्य सुझाव संलग्नक में दिये गये हैं। रिपोर्ट की प्रतियां माननीय सदस्यों को बांटी जा चुकी हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८१५–८१६ पर।)

*४४–४६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[*४थ् गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*४७—श्री कल्पनार्थसिंह—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

मोहम्मदी थाने में बलात्कार की शिकायत

*४८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर), श्री मन्नालाल (जिला खीरी) तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला खीरी के थाना मोहम्मदी के ग्राम सभा लछना के बंगला पर रहने वाली श्री देवी दास की पुत्री श्रीमती विद्या देवी को दिनांक २५ अप्रैल, १९६४ की रात में श्री राजेन्द्र सिंह व श्री निर्मल सिंह व श्री बलराम व श्री मुरलीधर, निवासी रामालछना, जबरदस्ती पकड़ ले गये और उस लड़की के साथ बलात्कार किया ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—

जी नहीं, यह कथन सत्य नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*४९—श्री श्रीराम, श्री मन्ना लाल तथा श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त लड़की को वे पंजाब में बेचने के लिये ले जा रहे थे, परन्तु उक्त लड़की किसी भी दशा में जाने को तैयार न हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध शीघ्र कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री हर गोविंदसिंह—

जी नहीं, यह कथन भी सत्य नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*५०—श्री लखपतराम शर्मा—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१—श्री संतसिंह यूसुफ—

[५ अगस्त, १९६४ को तारांकित प्र० सं० ३४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*५२–५४—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

उत्तराखन्ड में निर्माण कार्य

*५५—श्री यादवेन्द्रदत्त—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जब से उत्तरा खण्ड डिवीजन का निर्माण हुआ है तब से जितनी भी नवीन सड़कें वहां बनी हैं उन सड़कों पर कितने पुल बने और उन पर अलग-अलग पुलों पर कितना-कितना रुपया व्यय किया गया और उनमें से कितने पुल ऐसे हैं जो कि अब तक टूट गये या यातायात के लिये खतरनाक घोषित किये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तरा खण्ड मंडल के सृजन के उपरान्त वहां बनी अथवा बन रही सड़कों पर अब तक कुल २८ पुल बनाये जा चुके हैं, जिनके निर्माण में अनुमानतः कुल ३३.९२ लाख रुपये की लागत लगी है। चूंकि इनमें से अधिकतर पुल सीमा पर बनने वाली सड़कों पर हैं, अतः प्रश्न के इस भाग का उत्तर देना जनहित में न होगा। इनमें से केवल ५ पुल ऐसे हैं जोकि या तो टूट गये या यातायात के लिये खतरनाक घोषित किये जा चुके हैं।

*५६—श्री यादवेन्द्रदत्त—

जो पुल टूट गये या खतरनाक घोषित किये जा चुके हैं उन पर मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण में कितना धन व्यय किया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि उनमें से ४ तो डी० जी० बी० आर० को हस्तांतरित हो चुके हैं। शेष १ के स्थान पर एक नया पुल बनाने की योजना विचाराधीन है।

हिन्दी में अधिनियम बनाने के लिये आयोग

*५७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि कानूनी शब्दावली और प्रादेशिक कानून हिन्दी में तैयार करने की व्यवस्था करने का कोई आयोग चार हिन्दी भाषी राज्यों के सहयोग से बनाया जा रहा है? यदि हां, तो यह तब तक कार्य करने लग जायेगा?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस विषय पर दिल्ली में तारीख २६ जून, १९६४ को चारों हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की केन्द्रीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में सबों की यह राय हुई कि चारों हिन्दी भाषी राज्यों के जो अधिनियम अभी अंग्रेजी में हैं उनका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ तैयार करने के लिये एक संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गयी। इस संयुक्त आयोग को बनाने में अभी कुछ समय लग सकता है।

पाली रानीखेत में जमीन के झगड़े के संबंध में आदेश

*५८—श्री राम किशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा और लूटपाट करने के बारे में मु० फौ नं ७/४३ सन् १९६२ में पाली रानीखेत के खण्ड मंडलाधीश ने दिनांक १८ दिसम्बर, १९६१ को जो वार्निंग कुछ अपराधियों को दी, क्या वह सभी अपराधियों को दे दी गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस-किस तिथि को किस अधिकारी द्वारा उक्त वार्निंग अपराधियों को दी गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न में मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि उसमें उल्लिखित मुकदमें की पत्रावली नष्ट हो चुकी है। संबंधित रजिस्टर से ज्ञात होता है कि मैजिस्ट्रेट के आदेश का पालन हो चुका है।

*५९—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या जनवरी, १९६४ में सरकार ने भी उपरोक्त अपराधियों को वार्निंग देने के आदेश जारी किये ह और उनमें तीन अपराधियों को वार्निग दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शेष अपराधियों को कितने दिन के अन्दर जिलाधीश वार्निंग देंगे ? यह वार्निंग उन अपराधियों को पहली बार दी जा रही है या दूसरी बार, क्या सरकार निर्देशित वार्निंग की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

१९ दिसम्बर, १९६३ को इस आशय के राजकीय आदेश जारी किये गये कि यदि अदालत के आदेश का पालन न किया गया हो तो तुरन्त किया जाय। अतः विपक्ष के तीन व्यक्तियों को अदालत का आदेश फिर से भेजा गया। शेष दो में से एक अपने घर पर नहीं मिले और दूसरे ने आदेश डाक विभाग द्वारा, जहां वह काम करते थे, भेजने को कहा। पत्रावली नष्ट हो जाने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि यह वार्निंग कौन सी थी। क्योंकि दोनों पक्षों के बीच Cr.P.C. की धारा १४५/१४६ के अन्तर्गत एक मुकदमा मुन्सिफी अदालत में चला और एक दीवानी दावा चल रहा है, इसलिये शेष दो व्यक्तियों के प्रति कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

वस्तुस्थिति इसी प्रकार है, अतः निर्देशित कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखना आवश्यक नहीं है।

*६०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि कुछ ऐसे भी केस हैं जिन्हें ड्राप कर दिया गया है और उन्हें कोई भी वार्निंग नहीं दी गई है ? यदि हां तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायेगी कि वे कौन से केस हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चूंकि केसों के पूर्ण विवरण नहीं दिये गये हैं इसलिये प्रश्न में मांगी गई सूचना देना संभव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

पुलिस अधिकारियों को घोड़ा भत्ता

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को घोड़ा रखने पर कितना और एक सब-इन्सपेक्टर पुलिस या इंस्पेक्टर पुलिस को कितना-कितना रुपया एलाउन्स दिया जाता है ? यदि सुपरिन्टेन्डेट पुलिस को ज्यादा दिया जाता है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला पुलिस अधीक्षक को घोड़ा रखने के लिये ६० रुपया मासिक तथा पुलिस सब-इंस्पेक्टर्स व इंस्पेक्टर्स को पहाड़ी क्षेत्रों में ५५ रुपया, जिला हेडक्वाटर्स पर ५० रुपया तथा अन्य स्थानों पर ४५ रुपया मासिक भत्ता दिया जाता है। इंस्पेक्टर्स व सब-इंस्पेक्टर्स पुलिस के घोड़े भत्तों की दरों में बढ़ौती का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। सब-इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक के घोड़े भत्तों की दरों में अन्तर का कारण इनका पद प्रतीत होता है।

२–४—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिये गये ।]

५–६—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—

[हटा दिये गये ।]

कमालगंज थाने में अपराध स्थिति

७—श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज थाने के इंचार्ज के कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के अपराधों की क्या स्थिति रही ? यह महाशय कब से इस थाने में कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कमालगंज थाने के वर्तमान इंचार्ज इस थाने पर १७–४–६३ से कार्य कर रहे हैं । दिनांक १७–४–६३ से २७–७–६४ तक उक्त थाने पर दर्ज हुये विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या २५२ है । इनका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ. ८१७ पर ।)

८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

खाद्यान्नों का उत्पादन

९—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री आंकड़ा विभाग द्वारा प्रसारित तथा संकलित आंकड़ों को सदन की मेज पर रक्खेंगे जिसमें दिया हो कि १९५० में उत्तर प्रदेश में चावल, गेहूं, दाल की कुल कितनी खपत हुई तथा जून, १९६४ तक अब कितनी खपत हो रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९५० में ऐसे आंकड़े आंकड़ा विभाग द्वारा न तो संकलित किये गये हैं और न ही प्रसारित किये गये हैं । जून, १९६४ तक खपत का अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

१०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि सन् १९५० में उक्त चीजों का क्या उत्पादन प्रदेश में हुआ ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कृषि विभाग द्वारा प्रसारित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में १९४९–५० (जुलाई १ से ३० जून) में गेहूं का २६ लाख मीट्रिक टन, चावल का २५ लाख मीट्रिक टन तथा दालों (साबुत) का १४ लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था । (दालों में अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, मटर तथा मोंट सम्मिलित हैं ।)

११–१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

गवर्नमेन्ट लेदर स्कूल, फतेहपुर के सुपरिंटेंडेन्ट, श्री के० के० मेहता के खिलाफ जांच

१३—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६३–६४ में फतेहपुर स्थित गवर्नमेंट लेदर स्कूल के सुपरिन्टेन्डेन्ट का ट्रांस्फर किसी अन्य स्थान के लिये हो गया था ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण रोके जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, गवर्नमेंट लेदर स्कूल, फतेहपुर के वर्तमान सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री के० के० मेहता को प्रिन्सिपल, गवर्नमेन्ट इन्डस्ट्रियल ऐन्ड टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, चरखारी (हमीरपुर) के पद पर जून, १९६३ में स्थानांतरित किया गया, परन्तु श्री मेहता की अस्वस्थता के कारण उक्त स्थानान्तरण रोक दिया गया । मार्च, १९६४ में फिर श्री मेहता को फोरमेन (बार्क टैनिंग) गवर्नमेन्ट लेदर स्कूल, आगरा के पद पर स्थानांतरित किया गया, परन्तु यह स्थानांतरण भी प्रशासकीय आधार पर स्थगित कर दिया गया ।

१४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या उक्त सुपरिंटेंडेंट महोदय के विरुद्ध इस समय भी कोई विभागीय जांच जारी है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं और उक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, उक्त सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध इस समय मोटर की मरम्मत, मशीनों का बैठाना, यंत्रों की खरीद, राजकोय कोष के दुरुपयोग से संबंधित है दोषारोप जिन पर जांच की जा रही है ।

भ्रष्टाचार निवारण समितियों के पुनर्गठन का आदेश

१५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला भ्रष्टाचार निवारण समितियों के पुनर्गठन का आदेश उनके द्वारा जिलाधीशों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की सरकार कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, आदेश की एक †प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सचिवालय के सचिवों का स्थानान्तरण

१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के ३ वर्ष से अधिक कार्य करने वाले किन-किन सचिवों का स्थानान्तरण किया गया है और उनके स्थानों पर किन-किन की नियुक्तियां हुई हैं ?

---

†छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित †सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८१८---८२० पर)

१७---श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१० अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत स्थानांतरित किया गया ।]

१८-२०---श्री नाथूराम शिक्षक--

[हटा दिये गये ।]

२१-२३---श्री रामसुन्दर पांडेय--

[४थे गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

मन्झनपुर तहसील में उद्योग

२४---श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के अन्तर्गत कौन-कौन से ग्रामोद्योग कहां-कहां चलाये जा रहे हैं और उनको वित्तीय वर्ष १९५७ से १९६३ तक कितना धन किन के नाम दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८२१पर)

परगनाधीश, फूलपुर, श्री वीरेन्द्र सिंह की हत्या की जांच

२५---श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ मास हुये आजमगढ़ जिले के किसी परगनाधीश की हत्या का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

जी हां, श्री वीरेन्द्र सिंह, परगनाधीश फूलपुर, जिला आजमगढ़ की कथित हत्या का समाचार प्राप्त हुआ था । घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८२२ पर)

चमोली जिले में नहरें व सिंचाई विभाग के अधिकारी

२६---श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चमोली जिले में कुल कितने इंजीनियर व ओवरसियर सिंचाई विभाग के हैं और इनके कार्यालय कहां-कहां हैं ?

---

† छापी नहीं गई ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

चमोली जिले में सिंचाई विभाग के ३ इंजीनियर तथा ११ ओवरसियर इस समय हैं जिनके कार्यालय निम्नलिखित स्थानों में हैं :—

पद	कार्यालय
सहायक अभियन्ता	१—चमोली
	१—रुद्रप्रयाग
	१—कर्णप्रयाग
ओवरसियर	२—चमोली
	२—रुद्रप्रयाग
	१—गोचर
	१—पीपलकोटी
	१—थराली
	१—गैरसेण
	१—नागनाथ पोखरी
	१—जखमोला
	१—गुप्तकाशी

२७—श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० ई० के बाद चमोली जिले में कुल कितनी मील नहरें और कुल कितने मील लम्बी छोटी सिंचाई की गूलें बनी हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सन् १९६० के बाद चमोली जिले में बड़ी नहरों तथा गूलों का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा होता है और १५,००० रु० तक का कार्य जिलाधीश के अन्तर्गत विकास खंडों के द्वारा होता है। इन दोनों एजेन्सियों द्वारा निम्नलिखित कार्य किया गया है :—

सिंचाई विभाग के द्वारा :

१६ मील, ६ फर्लांग तथा ५३० फीट लम्बी नहरें बनाई गईं। २ मील, ३ फर्लांग तथा ३३० फीट लम्बी गूलें बनाई गयीं। ६ मील, ५ फर्लांग, ३३० फीट लम्बी नहरों पर कार्य हो रहा है।

जिलाधीश, चमोली के द्वारा

१४९ छोटी नहरें बनाई गईं जिनसे ३८५ एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होती है।

ग्राम इकाइयां

२८—श्री मैनेजर सिंह, श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम इकाइयां हैं और कितने विकास खंडों में हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश में इस समय १७४ ग्राम इकाइयां ३५ विकास खंडों में हैं ।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि बड़ी गर्म खबर है कि यह सदन ७ तारीख बन्द होने जा रहा है । मैं संसदीय मंत्री जी से जान ना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ? और यदि नहीं, तो अगले सप्ताह का कार्य-क्रम क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

अगले सप्ताह का तो अभी नहीं मालूम हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वह अभी से बताया जाय ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

ऐसा तो कोई विचार नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, जब कोई व्यवस्था का प्रश्न आप के सामने किसी माननीय सदस्य द्वारा पेश किया जाय तो उस को चाहें आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन उस पर आप का कोई न कोई निर्णय मिलना चाहिये । मैंने एक प्रश्न उठाया था और आप ने उस को स्वीकार भी कर लिया था । आप की स्वीकृति के बाद उस का महत्व और भी बढ़ जाता है, लेकिन स्वीकृति के बाद भी माननीय गृह मंत्री जी ने उत्तर दिया कि इस की आवश्यकता इसलिये नहीं है क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है । अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि कोई प्रश्न महत्वहीन भी हो और उस को आप स्वीकार कर लेते हैं तो वह महत्वपूर्ण हो जाता है और उस के बाद क्या कोई भी मंत्री महोदय सदन के समक्ष ऐसा उत्तर दे सकते हैं कि जवाब नहीं दिया जायगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

मैंने निवेदन किया था कि मैं जरा उस प्रश्न के उत्तर को देखना चाहता हूं, उसे हम देख लेंगे । आप कृपा कर के जरा चले आयें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं उनमें से एक माननीय चन्द्रबली सिंह, बांके लाल जी तथा शिव नाथ सिंह जी का है। ये सब खाद्य समस्या के संबंध में हैं जिस पर अभी काफी विवाद हो चुका है, इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, अभी तक तो खाद्य के संबंध में व्यापारियों द्वारा इकट्ठा करने के संबंध में बात थी और उस पर विचार हो गया। अब भाव ज्यादा करके, अर्थात् १७, १८ रुपये पर खरीद कर गेहूं को ५३ से ७० रु० मन तक बेच रहे हैं जिसके कारण जनता में उत्तेजना फैल रही है और जगह-जगह पर जनता भूख के कारण विद्रोह कर रही है, कहीं बाजारों में और कहीं-कहीं दूकानों पर, ट्रकों पर। गोरखपुर में श्री तुफैल अहमद खां फतेह रामपति व जमुना, देवरिया में श्री हंसनाथ पान्डेय और सहारनपुर में ४० खेतिहर मजदूर गिरफ्तार हुए हैं और सरकार तमाशा देख रही है। अतः मेरी प्रार्थना है कि इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में ले लिया जाय और इस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रार्थना में दी हुई सभी बातों और अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में हुए वाद-विवाद को देखने के पश्चात् ही मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि यह कोई अविलंबनीय प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं अब इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

दूसरा माननीय उग्रसेन, रामसुन्दर पाण्डेय, गया प्रसाद, दौलत लाल, शिव नाथ सिंह, राधे श्याम, भगवान दीन, गिरजा प्रसाद, रती पाल और चन्द्रबली सिंह जी का है उसे भी मैंने अस्वीकार किया है।

विधायक, श्री अवधेश कुमार सिनहा पर सीतापुर में हुए घातक हमले के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय काशीनाथ मिश्र जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है वह इस प्रकार है—

"संयुक्त समाजवादी दल के विधायक डाक्टर अवधेश सिनहा पर सीतापुर में जो घातक और कातिलाना हमला हुआ है वह सीतापुर के नागरिक जीवन को चुनौती है अनेक बार पुलिस अधीक्षक, सीतापुर एवं उच्च सरकारी अधिकारियों को इसकी सूचना दी जा चुकी थी कि डा० अवधेश सिनहा की जिन्दगी खतरे में है फिर भी सरकार और पुलिस विभाग कोई उचित कार्यवाई नहीं कर सकी और सोशलिस्ट विधायक की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था न हो सकी। इस घटना के चलते सीतापुर और आसपास के इलाकों में घोर क्षोभ और असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। भय और आतंक का बोलबाला है।"

इसको मैंने स्वीकार किया है और माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य के लिये दे दिया है।

गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, जो अभी वायरलेस मैसेज मेरे पास आया है, अगर आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं:—

"Sri Avadesh Kumar Sinha, M. L. A. (S.S.P.) has been assaulted murderously to-day in the evening on the metalled bridge over Sarain river by four persons namely Subhas Chand, Secretary Jansangh, Ram Prasad, Sahdeo and Vidya. He received six injuries on head and one on the back, one on the left hand fingers chopping off little finger altogether. The injuries are of sharp edged weapon. Due to multiple injuries condition can be described as serious. Admitted in the hospital. Dying declaration recorded. D. M. and S. P. visited him in the hospital. He was resqu d by a home guard who also received two sharp edged injuries on his arms. Detailed report follows" :

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सीतापुर, से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि वे आउट आफ डैन्जर हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक विस्तृत इंक्वायरी करवा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने यह कहा कि यह सूचना है। विस्तृत सूचना बाद में दे दी जायगी। (मंत्री से) मंगलवार को दे दीजियेगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ठीक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

एक सूचना दफा ५२ की मैंने भी दी थी। ऐसी ही घटना दोहरीघाट में हुई थी। संयुक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्त्ता पर वहां हमला हुआ था और गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि जो मारने वाले लोग हैं वे बल्लम और लाठी लेकर इस समय भी घूमते हैं। पुलिस स्टेशन के सामने घटना हुई है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय गृह मंत्री समझ लें कि पुलिस क्या कर रही है।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

एक माननीय लखी सिंह का प्रस्ताव आया है बन्दी किसानों के बारे में जिनके साथ कठोरता का व्यवहार किया जा रहा है और दूसरा श्री नाथू राम शिक्षक का है महंगाई के संबंध में जिसके कारण मध्यम श्रेणी के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी स्थिति ऐसी हो गयी है कि साधारण जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। इन दोनों को मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

सरकार द्वारा जारी किये गये खाद्यान्न नियंत्रण (प्राप्ति और वितरण) आदेश के संबंध में खाद्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने आपके सामने कामरोको प्रस्ताव माननीय भानुप्रताप सिंह, जेड० ए० अहमद, चन्द्रजीत यादव, विजयपाल सिंह तथा भीखा लाल जी का रखा था। उस संबंध में कहा था कि माननीय खाद्य मंत्री जी आज वक्तव्य देंगे। माननीय खाद्य मंत्री अपना वक्तव्य दे दें।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

वक्तव्य देने के पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं। अभी एक टेलीग्राम मिला है एक्स्ट्राआर्डिनरी गजट जो दिल्ली में हुआ है उसके बारे में:

"Gazette Extraordinary Issued. Amending Inter Zonal Wheat and Wheat Products (Amendment Control) Order, 1964. Permit Unrestricted Movement of Wheat Products Manufactured by Roller Flour Mills From Punjab into Uttar Pradesh stop notification copy posted. Khadya vibhag".

इसके मुताबिक इन्टर जोनल मूवमेंट हट गया है और इससे आशा है कि स्थिति अच्छी हो जायगी।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का जो इस तरह का डिसीजन है उस पर पहले माननीय मंत्री विचार कर लें, फिर स्टेटमेन्ट दें तो अच्छा होगा ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, इसका हिन्दी में अनुवाद करा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी पहले इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, टेलीग्राम में यह है कि दिल्ली में एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट प्रकाशित हुआ है उसमें यह है कि इंटर जोनल रेस्ट्रिक्शंस हटा दिये गये हैं यानी एक जोन से दूसरे जोन में गेहूं या गेहूं से बनी चीजों के ऊपर प्रतिबन्ध थे कि वे नहीं आ-जा सकती थीं, वह हटा लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

जो जो प्रतिबन्ध थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये गेहूं तथा गेहूं से बनी चीजों पर वे हटा लिये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी (जिला सहारनपुर)--

जी हां ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि पंजाब से यू० पी० में आने के लिये जो प्रतिबन्ध हटा है, तो वहां से माल आकर आगे चला जायगा इसका सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि गेहूं के लिये उत्तर प्रदेश में क्यू लगा रहता है? उसके लिये मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीपनारायण जी इस तरह से बात करने से कोई लाभ नहीं होता । वह बयान दे रहे हैं । उसको सुन लीजिये फिर बातचीत होगी ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, मैंने जल्दी सूचना दे दी । असली कापी तो आ रही है । जब वह आ जायगी तो मालूम होगा ।

श्री अध्यक्ष--

वह पूछ रहे हैं कि पंजाब से गल्ला आ जायगा या इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश से होता हुआ बिहार और कलकत्ते चला जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

श्रीमन्, जब तक असली कापी न आ जाय तब तक कोई चीज नहीं बता सकता । मैंने सदन को शीघ्र सूचना दे दी । अगर आप कहें तो वापस ले लूं । यह तरीका है

(व्यवधान)

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

ऐसे गंभीर प्रश्न पर विचार करने का, यह उनका रवैया है ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जब आप विवाद करेंगे तो पूरा विवरण दे देंगे । इस समय मंत्री जी की बहुत ज्यादा नाराजगी है ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

प्रदेश की स्थिति पर आंसू बहा रहा हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव खत्म करता हूं ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

उत्तर प्रदेश खाद्य नियन्त्रण (प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ के संशोधित आदेश दिनांक ३ अगस्त, १९६४ के अन्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों पर, चाहे वे उत्पादक हों, नियमित व्यापारी हों अथवा उपभोक्ता हों, यथोचित मात्रा से अधिक खाद्यान्न अपने पास न रखने के उद्देश्य से प्रतिबन्ध लगाया गया है । सरकार के पास इस आशय की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई कि उत्पादकों के पास बहुत सा गल्ला, जो उनके निजी खर्चे के अतिरिक्त है, रुका हुआ है, जिसे वे भविष्य में अधिक से अधिक मुनाफे की नीयत से अभी बाजार में विक्रय हेतु नहीं लाना चाहते हैं । अतएव यह आवश्यक समझा गया है कि इस विषम परिस्थिति में उनके ऊपर भी प्रतिबन्ध लगाया जाय कि वे कितना गल्ला अपने पास रख सकते हैं । उत्पादकों तथा उनके परिवार की एक उचित समय तक के लिये खाद्यान्नों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये तथा पूर्णतया विचार करने के उपरान्त यह ठीक समझा गया कि १० क्विन्टल अर्थात् लगभग २७ मन उत्पादकों व उनके परिवार के लिये तथा २५ किलोग्राम प्रति एकड़ बोआई के बीज के लिये पर्याप्त होगा । सामान्यतः बीज के लिये प्रति एकड़ लगभग ३५ किलोग्राम आवश्यक होता है, परन्तु उत्पादक अमूमन अपनी संपूर्ण खेती में खाद्यान्न ही नहीं बोता अपितु उसके एक भाग में कैश क्राप जैसे गन्ना आदि भी बोता है । इसलिये २५ किलोग्राम प्रति एकड़ की व्यवस्था जो उसकी संपूर्ण खेती के लिये की गयी है, पर्याप्त समझी गयी ।

नियमित व्यापारियों पर अपने साधारण व्यापार के दौरान में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये लेन देन के सम्पूर्ण परिमाण के एक चौथाई से अधिक परिमाण में खाद्यान्न रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । इतनी ही सीमा होर्डिंग, प्रोफिटियरिंग प्रिवेन्शन आर्डिनेन्स, १९४३ के अधीन भी निर्धारित की गयी थी । यह हिसाब लगाया गया कि यदि किसी व्यापारी ने वर्ष १९६२–६३ में १०,००० क्विन्टल गल्ले का लेन देन किया तो वह इस आदेश के अन्तर्गत केवल २,५०० क्विन्टल गल्ला रख सकता है । जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे व्यापारियों से इस संबंध में घोषणापत्र ले लें जिनकी जांच लाइसेंसिंग आर्डर तथा सेल्स टैक्स के सिलसिले में उनके द्वारा दिये गये विवरणों से की जायगी और गलत सूचना देनेवाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी । इन घोषणा-पत्रों की जांच हो जाने के पश्चात् सरकार द्वारा व्यापारी के खातों तथा गोदामों का निरीक्षण करने के बाद यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी नियमित व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक परिमाण में गल्ला अपने पास नहीं रखता है ।

इस प्रकार से सरकार ने उत्पादक एवं व्यापारी दोनों के संबंध में एक उचित सीमा से अधिक खाद्यान्न रखने पर प्रतिबन्ध लगाया है । इस बात का प्रयत्न किया गया है कि साधारण व्यवसाय में कोई बाधा न पड़े जिससे जनता को असुविधा हो और साथ ही कोई व्यापारी गल्ले में जखीरेबाजी

न कर सके। इसके अतिरिक्त इस आदेश के फलस्वरूप उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों ही अपनी आवश्यकता से अधिक गल्ले को बाहर निकाल देंगे जो कि आम व्यापार के माध्यम से बिक सकेगा।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्या सरकार के पास इस आशय की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्पादकों के पास बहुत सा गल्ला जो उनके निजी खर्च के अतिरिक्त है रुका हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो आपने लिखकर दिया है। आपको इस वक्त कोई प्रश्न करना है या नहीं ?

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं यह चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो यह आदेश दिया है कि बैन समाप्त हो जायगा और जो आपने इक्जीक्यूटिव आर्डर दिया है वह एक दूसरे के विरुद्ध है और आपका आदेश उसके लिये पर्याप्त नहीं है, जैसे कि बहुत सी जगह बुन्देलखंड में.....

श्री अध्यक्ष—

आपको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लें, वरना इस वक्त यह नहीं होगा।

श्री राजनारायण मिश्र—

मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जब तक वह इस बैन पर विचार न कर ले तब तक वह इस आदेश को रोक लेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसका उससे कोई संबंध नहीं है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इस समय आपने वक्तव्य इसलिये करा दिया था कि आप यह निर्णय कर सकें कि यह प्रश्न कार्य-स्थगन में लिया जायगा या नहीं। इस समय प्रश्न कराने का मैं समझता हूं कि कोई अवसर नहीं है। आप पहले यह निर्णय करें कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव के योग्य विषय है या नहीं। मैं समझता हूं यह वक्तव्य जो दिया गया वह पूर्णतया असंतोषजनक है। उससे स्थिति की जो गम्भीरता है वह बिलकुल कम होने वाली नहीं है। इस आदेश में बहुत स त्रुटियां हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि जो उन्होंने उद्देश्य बताया कि इससे मूल्य निश्चित किये जायेंगे, इस सारे आदेश में कहीं मूल्य का जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं बता दूं जो आपका खयाल है कि प्रश्न नहीं हो सकते, यह गलत है। कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर गवर्नमेंट अपना एक वक्तव्य देती है। मैं सिर्फ उसका रीऐक्शन देख रहा हूं और कुछ नहीं, और रीऐक्शन मैं देख लूं दो मिनट में, आप परेशान न हों। ऐसे पहले भी निर्णय हो चुके हैं कि प्रश्न हो सकते हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

खाद्य मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके पास इस बात की इत्तला कैसे प्राप्त हुई कि उत्पादकों के पास गल्ले का स्टोर भरा हुआ है जब कि व्यापारियों के पास नहीं है ? किस सोर्स के जरिये से उनको यह मालूम पड़ा कि उत्पादकों के पास स्टोर है ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्री चन्द्रभानु गुप्त इनके सोर्स हैं, श्रीमन्।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

जैसा उन्होंने वक्तव्य दिया है कि २५ किलोग्राम एक एकड़ में बीज के लिए आप छोड़ेंगे, तो यह तो जहां डिबलिंग सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप्ड हो उसमें २५ किलोग्राम एक एकड़ में लग सकता है, मेरा कहना यह है कि जहां छिटवा तरीके से बोया जाता है वहां १ बीघे में २० सेर से कम गेंहूं । नहीं लगता, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह २५ किलोग्राम की जगह ५० किलोग्राम एक एकड़ के लिए करने की कृपा करेंगे जिससे कि बोआई ठीक से हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, जिस आधार पर यह कहा गया है वह मैंने स्पष्ट कर दिया है । अब इसमें हमारे पास पावर्स हैं कि अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि हो सकता है कि बीज सड़ जाय या न उगे, तो ऐसी अवस्था में कुछ हो सकता है; वरना वैसे इस हिसाब से वह ठीक है ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों का तो सर्वनाश होने की नौबत है । इसलिए कि बुन्देलखंड और पहाड़ी जिलों की हालत यह है कि वहां १/३ या १/४ खरीफा की खेती होती है और बाकी सब रबी की खेती होती है और वहां २० किलो से कम किसी खेत में बोया नहीं जाता, तो वहां इसका जो असर पड़ेगा उसके समाधान के लिए कोई रास्ता है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी, इसके ऊपर लोगों की बात सुन ली जाय कि वह क्या कहना चाहते हैं । तो मैं यह चाहूंगा कि आज सायंकाल ४ बजे से ६ बजे तक इस पर वादविवाद हो जाय । यह सिर्फ बहस होगी । (शोर)

अनेक सदस्य--

एक दिन का समय कम से कम होना चाहिये ।

श्री शिवसम्पति शर्मा--

एक दिन का समय कम से कम दिया जाय इसको ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठिये ।

श्री उग्रसेन--

वह ठीक कह रहे हैं । एक दिन बहस होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप एक दिन नहीं, चार दिन बैठिए, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए । मैं चाहता था कि यह विधेयक जो चल रहा है उसको समाप्त कर दिया जाय और फिर दिन भर कल बहस कर लीजिए या फिर आज करना चाहते हैं तो आखिर में कर लीजिए ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य वाली समस्या बड़ी कठिन है और एक तरह से इस आर्डर से किसानों को भुलाया गया है । मैं यह चाहता हूं कि जब तक इस पर हाउस में विचार न हो तब तक खाद्य मन्त्री इसको लागू न करें ।

श्री अध्यक्ष--

आज जब बहस होगी तो उसमें विलम्ब नहीं होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जो वक्तव्य उन्होंने दिया है उस वक्तव्य की एक-एक कापी बहस से पहले हम सदस्यों को मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष—

हां, ठीक है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तीसरी बात यह है कि माननीय सदस्यों की इच्छा यह है कि उस पर बहस करने के लिये एक दिन रखा जाय । इसलिये एक दिन का समय आप इसके लिये निकालिये । जो मंडी विधेयक चल रहा है उस पर सोमवार को बहस हो सकती है । इसलिये इसको न रोकिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह तय हो गया कि इस पर बहस होगी । मैंने आपके सामने यह प्रश्न रखा था कि मेरे सामने दो किस्म के प्रस्ताव थे । एक तो कामरोको प्रस्ताव था । श्री राजनारायण मिश्र और श्री जगवीरसिंह का नियम ५३ में था । दोनों में २ घंटे से २।। घंटे तक बहस हो सकती है । इससे अधिक नहीं । इतना समय मैं नियम के अन्दर दे सकता हूं । इससे आगे मुझे अधिकार नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आप नियम को निलम्बित कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बिलकुल नहीं कर सकता हूं । मुझे किसी नियम को निलम्बित करने का अधिकार नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

जब सारा उत्तर प्रदेश भूखों मर रहा है तो नियम को आप निलम्बित कीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

वास्तव में बात यह है कि कोई भी नियम मैं निलम्बित अपने अधिकार से नहीं कर सकता हूं । इस आदरणीय सदन को अधिकार है । तो यह कह देना कि जो चाहे मैं कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है । मैं नियमों से पाबन्द हूं । इस समय मेरे सामने जो प्रस्ताव है वह मुझे केवल २ घंटे या २।। घंटे तक ही बहस कराने की अनुमति देता है उन प्रस्तावों के अन्तर्गत । अब इसके विरुद्ध अगर कोई बात रखी जाय तो उसको आप कह सकते हैं ।

श्री उग्रसेन—

तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर बहस के लिये एक दिन का समय रखा जाय ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अगर सारा हाउस यह चाहता है कि इस पर एक दिन बहस हो जाय तो आप एक दिन बहस करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

नियम को निलम्बित करके एक दिन की बहस कराने का प्रस्ताव आप रखिये । उसके बाद यदि सदन इसको स्वीकार करेगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन नियमों का निलम्बन करके इस विषय पर पूरे दिन बहस करायी जाय ।

श्री उग्रसेन--

मैं इसका समर्थन करता हूं ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

मैं समझता हूं कि जो नियम हैं उन पर अमल होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रस्ताव है कि नियम निलंबित करके इस पर एक दिन बहस की जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं उसको अपोज करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

तो प्रश्न यह है कि..... (व्यवधान)

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैंने पुनः विचार किया और मैं समझता हूं कि जैसी हमारे भाइयों की इच्छा है, इस पर एक दिन विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष --

ठीक है । मैं दिन मुकर्रर कर दूंगा । परसों हो जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मान्यवर, परसों छुट्टी है । अगर कल के लिये तय कर दें तो ठीक रहेगा। अगर कल कोई दिक्कत हो तो सोमवार को हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

तो कल ३ बजे तक यह मंडी विधेयक पास हो जाय और उस के बाद साढ़े ५ बजे तक इस पर बहस हो और फिर सोमवार को आधे दिन इस पर बहस हो जायगी ।

श्री उग्रसेन--

अगर मंडी विधेयक आज शाम तक खत्म हो जाय तो कल दिन भर इस पर बहस हो जाय

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, यह मान लिया ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

आपने नियमों का उल्लंघन कर के जो बात मानी और मंत्री जी ने उसे माना, अपनी जानकारी के लिये मैं जानना चाहता हूं कि यह चीज हमेशा के लिये लागू होगी या आज के लिये ही है ।

श्री अध्यक्ष--

नियम हमेशा के लिये नहीं तोड़े जाते ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय उग्रसेन जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा यह हो कि यह मंडी विधेयक आज शाम तक समाप्त कर दिया जाय और कल सुबह से ही इस पर बहस शुरू कर दी जाय।

श्री उग्रसेन---

अगर यह आज समाप्त हो जायगा तो कल दूसरा कार्यक्रम नहीं होगा, वही खाद्यान्न आदेश पर बहस की जायगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

परेशानी यह है कि इस विधेयक पर बारावार विचार होना है और उसमें समय लग सकता है।

१२ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न ४-६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १२ मार्च, १९६४ को तारांकित प्रश्न संख्या ४-६ के संबंध में श्री बृजबिहारी मिश्र ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या उस कार्यकर्ता के विरुद्ध सब-इंस्पेक्टर ने एक लेखपाल से झूठी रिपोर्ट लिखाई थी? क्या इस सिलसिले में जांच कराई जायगी? उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि, "हां, उस कार्यकर्ता के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखाई गई थी। उसमें इंस्पेक्टर का कितना हाथ था, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैजिस्ट्रेट द्वारा इसकी इन्क्वायरी कराई जा रही है"।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता लगा। सही उत्तर इस प्रकार है:

इस सिलसिले में मैजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच से यह ज्ञात हुआ कि लेखपाल ने श्री लक्ष्मीकान्त के विरुद्ध गलत रिपोर्ट लिखाई थी, परन्तु कोई प्रमाण इस बात का नहीं मिल सका कि इसमें थानेदार का हाथ था। थानेदार द्वारा श्री लक्ष्मीकान्त को बिना जांच किये गिरफ्तार कर लेने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८२३ पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

लेखपाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जो अनुपूरक प्रश्नों के संशोधन होते हैं, उन पर प्रश्न नहीं होते।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (क्रमागत)†

खण्ड २

२---विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर, इस अधिनियम में--- परिभाषायें

(क) "कृषि-उत्पादन" का तात्पर्य कृषि, उद्यानकर्म, मौन पालन, रेशम-उत्पादन (sericulture), मत्स्य-संवर्द्धन, पशुपालन तथा वन से होने वाले

---

†५ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

समस्त या किसी उत्पादन से है, चाहे वह कृत प्रक्रिया (processed) हो अथवा न हो;

(ख) "दलाल" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्यक्रम में कमीशन या पारिश्रमिक पर, चाहे वह नकदी में हो या जिन्स में, अपने प्रतिनियोक्ता (principal) की ओर से कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय के संविदाओं की बात या व्यवस्था करता हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्रतिनियोक्ता का सेवक नहीं है भले ही वह ऐसे संविदाओं की बात अथवा व्यवस्था करता हो;

(ग) "उप-विधि" का तात्पर्य धारा ३६ के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी उप-विधियों से है;

ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

(घ) "केन्द्रीय गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से है;

(ङ) "आढ़तिया" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि-उत्पादन के स्वामी अथवा विक्रेता या क्रेता की ओर से आढ़त या कमीशन पर, कृषि-उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो या करने का प्रस्ताव करता हो;

(च) "समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन संघटित समिति से है;

ऐक्ट संख्या २, १९१२

(छ) "सहकारी क्रय-विक्रय समिति" का तात्पर्य उत्पादकों की ऐसी सहकारी समिति से है जो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२, के उपबन्धों के अधीन रजिस्टर्ड हो और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय को बढ़ाना हो ;

(ज) "निदेशक" का तात्पर्य कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत अपर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है;

(झ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाय;

(ञ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित किसी अधिनियमिति के अधीन संघटित या स्थापित नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, अन्तरिम जिला परिषद्, जिला परिषद् या गांव सभा से है ;

(ठ) "मंडी-क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो धारा ६ के अधीन इस रूप में विज्ञापित किया गया हो या जो धारा ८ के अधीन यथा परिवर्तित हो;

(ड) "सदस्य" का तात्पर्य समिति के सदस्य से है;

(ढ) "पल्लेदार" का तात्पर्य ऐसे श्रमिक से है जो किसी कृषि-उत्पादन का दवा बनाने, कृषि उत्पादन को लादने, उतारने, भरने या खाली करन अथवा ढोने के कार्य में लगाया गया हो;

(ण) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है;

(त) "प्रधान मंडी स्थल" का तात्पर्य मंडी क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा ७ के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(थ) "उत्पादक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कृषि-उत्पादन को या तो स्वयं या पारिश्रमिक पर रखे गये श्रमिकों के माध्यम से उत्पादित करे, पाले-पोषे या पकड़े किन्तु ऐसे उत्पादक से नहीं है जो व्यापारी, दलाल, या आढ़तिया के रूप में भी कार्य करता हो या जो साधारणतया कृषि-उत्पादन का अन्य प्रकार से संग्रह करने का कारोबार करता हो:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यह प्रश्न उठे कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति उत्पादक है अथवा नहीं तो, निदेशक का निर्णय, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, अन्तिम होगा;

(द) "क्रय" के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा पेशगी दी गयी धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल की प्राप्ति भी है;

(ध) "विक्रय" के अन्तर्गत वस्तु विनिमय या गिरवी के रूप में अथवा अग्रिम धनराशि की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप भी है;

(न) "सचिव" का तात्पर्य धारा २१ के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

(प) "निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन" का तात्पर्य धारा ६ के अधीन या धारा ८ के अधीन यथापरिष्कृत विज्ञप्ति में निर्दिष्ट-कृषि-उत्पादन से है;

(फ) "राज्य सरकार का" तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(ब) "राज्य गोदाम निगम" का तात्पर्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ के अधीन स्थापित या स्थापित किया गया समझे गये उत्तर प्रदेश के स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से है; ऐक्ट संख्या ५८, १९६२

(भ) "उप मंडी-स्थल" का तात्पर्य मंडी-क्षेत्र के किसी ऐसे भाग से है जो धारा ७ के अधीन इस रूप में घोषित हो;

(कक) "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है, जो व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उसमें अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के संबंध में किसी व्यापारी से वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो अथवा उसको देय हो,

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक तथा मानक बाट या तौल में भिन्नता के कारण की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी।

(खख) "व्यापारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में स्वयं अपनी ओर से अथवा एक या अधिक प्रतिनियोक्ताओं के यथाविधि

प्राधिकृत अधिकर्ता के रूप में, कृषि-उत्पादन का क्रय या विक्रय करता हो, तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जो कृषि-उत्पादन के प्रक्रिया कार्य में लगा हो;

(गग) "गाँव" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो तत्समय प्रचलित विधि के अधीन रखे गये राजस्व अभिलेखों में इस रूप में लिखा हो;

(घघ) "तोलक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कारोबार के सामान्य क्रम में कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदे के संबंध में तौलने का काम करता हो;

उ० प्र० अधिनियम संख्या ५, १९५९

(ङङ) "तौलने या मापने का यंत्र" का तत्पर्य उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ में यथापारिभाषित तौलने का यंत्र या मापक यंत्र से है;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९

(चच) "बांट या माप" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बांट या माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ में यथापारिभाषित व्यापारिक बांट या माप अथवा मानक बांट या माप से है।

श्री अध्यक्ष--

अब मंडी विधेयक पर विचार होगा। खण्ड २ पर अभी मेरे पास कुछ संशोधन आये हैं। तो यह अनियमित हैं, इनको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। माननीय बृजबिहारी, आप को कुछ कहना है ?

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

एक संशोधन मैं करना चाहता हूं। अगर आप आज्ञा दें तो प्रस्तुत करूं, संशोधन केवल शाब्दिक है ?

श्री अध्यक्ष--

क्या है ?

श्री बृजबिहारी --

संशोधन है, खण्ड २ के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में शब्द "वास्तविक" और शब्द "मानक" के बीच में शब्द "तथा" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

क्यों रख दिया जाये, कुछ बतायेंगे ?

श्री बृजबिहारी--

इस पूरे वाक्य को आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि शब्द "तथा" गलत रूप में लिख दिया गया है। चूंकि यह शाब्दिक संशोधन है इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, क्या आपको संशोधन स्वीकार है ?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

मुझे मंजूर है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में शब्द "वास्तविक" और शब्द "मानक" के बीच में शब्द "तथा" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के उप खण्ड (कक) के अंत में जो स्पष्टीकरण है, निकाल दिया जाय।

यह प्रस्ताव करते हुये मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस स्पष्टीकरण को फिर देखें और फिर इस पर गौर करें। मुझको ताज्जुब हुआ कि यह स्पष्टीकरण ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भी देखा गया, लेकिन इस पर किसी तरीके से कोई सोच-विचार नहीं किया गया। मान्यवर, इस तरह से मन्डियों में किसानों को लूटा जा रहा है। किस तरह से तरह-तरह की कटौती की जाती है। इस सदन में इसके ऊपर काफी चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि सदन का हर सदस्य इस बात को बखूबी जानता है कि यह कटौती कितनी बेईमानी से की जाती है। तो मान्यवर, इस स्पष्टीकरण से व्यापारियों और आढ़तियों को बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है किसानों को लूटने का। इसमें यह दिया गया है कि अगर नमूने से या स्टैंडर्ड्स से मुखतलिफ हो या बातों में फर्क हो, तो कटौती किसानों के साथ की जा सकती है। मैं यह समझता हूं कि यह एक किस्म का बहाना है।

(इस समय १२ बज कर ४३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैंने अपने जिले की मंडियों में देखा है कि किसान गुड़ लाता है और गुड़ की भेली से ही तौल मानी जाती है। पहले किसी मंडी में ढाई सेर की और किसी में ५ सेर की भेली ली जाती है। अगर मान्यवर, इत्तफाक से एक भेली जरा-सी छोटी रह गयी और बाकी सब बड़ी-बड़ी हैं तो व्यापारी सारे माल की कटौती कर लेते हैं। इसी तरह से मान्यवर, मंडियों में लोग ४० सेर की तोल पर एक सेर ज्यादा लेने के आदी हैं। ग़रज कि ये हरकतें मंडियों में किसानों के साथ होती हैं। मुझे ताज्जुब है कि ऐसा स्पष्टीकरण किस तरीके से ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से लग कर आया।

इसी के साथ आप यह देखिये कि बांटों को तोल में किसानों का कोई हाथ नहीं होता, वह सब अढ़तियों और व्यापारियों के होते हैं। बांट किसान लेकर नहीं आते। तो यह एक सहारा है जिसको कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में लगा कर इसके साथ भेज दिया है। मैं इसका महान विरोध करता हूं, मैं समझता हूं कि यह किसान के हित के खिलाफ है और इसको निकाल देना चाहिये। मंत्री जी खुद किसान हैं, मुझे ताज्जुब है कि किस तरह से उन्होंने इसको यहां लाना मंजूर किया? यह विधेयक वास्तव में हाफ़-हार्टेड मेजर है, इसीलिए इसमें खामियां और बुराइयां हैं वरना सन् १९३८ से आज तक इस प्रकार का विधेयक नहीं लाया गया। सन् १९५५-५६ में योजना आयोग ने स्पष्ट कर दिया था और ऐसे विधेयक पर जोर दिया था, लेकिन अब सन् १९६४ में आ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण जरूर निकाल देना चाहिए इसमें इसकी कोई गुंजायश नहीं है।

*श्री चरणसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने माननीय मित्र के जोश की बहुत कद्र करता हूं। कल उन को मौका नहीं मिला था, शायद इसी वजह से उन्होंने बताया कि सन् १९३८ के बजाय यह सन् १९६४ में आ रहा है। आज उन्होंने गुबार निकाल लिया। लेकिन मैं इस अमेंडमेंट का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

विरोध करता हूं, बावजूद इसके कि किसान के घर पैदा हुआ हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ढाई सेर की एक भेली है और उसके हिसाब से भाव तय हुआ। उसमें १० भेली या सारी भेली सवा दो सेर की निकल आयीं या वह भेली २ सेर की बना कर लाया तो उससे ढाई सेर में जो फर्क है उसकी अगर परचेजर कटौती करता है तो निहायत जस्टिफाइड होगा, इन्साफ का तकाजा होगा। हमने लिखा है कि वह कटौती ट्रेड चार्ज नहीं मानी जायगी। रिवाज यह है, जैसा कि उनका कहना है कि, अगर एक भेली में दो छटांक की कमी निकल आये तो व्यापारी सब में काट देता है। ठीक है, यह प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन जो ला हम बना रहे हैं उससे इसका क्या वास्ता? इस भेली में अगर एक छटांक कम है तो कोई वजह नहीं है कि कमीशन एजेण्ट सभी भेलियों में एक-एक छटांक कम कर ले। जब मार्केटी कमेटी बन जायेगी तो यह अन्याय किसान के साथ नहीं हो पायेगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर सभी भेलियों में कमी है तो वह काट लिया जायेगा।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कुछ फरमाया सही फरमाया, मगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर उनकी एक भेली भी एक छटांक कम की हुई तो यह व्यापारी उस की पूरी गाड़ी में उसी हिसाब से कमी काट लेता है। इस चीज से तो व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा अपनी मनमानी करने का। जो यह मंडी कमेटी बनेगी वह कुछ नहीं कर पायेगी। वह तो व्यापारियों के प्रभाव में रहेगी। धनी व्यापारी लोग जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगे। इस वजह से मैं यह समझता हूं कि यह किसान के हित में नहीं होगा।

श्री चरणसिंह--

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता सिवाय इसके कि मैं अपनी नाकाबलियत तस्लीम करूं कि मैं उनको समझाने में कासिर रहा। बाकी जो राय मेरी पहले थी वही अब है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (कक) के अंत में जो स्पष्टीकरण है, निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्न लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में-- ७१,

विपक्ष में--३६।)

खण्ड ३

कतिपय दशाओं में अधिनियम के उपबन्धों का प्रवृत्त न होना।

३--इस अधिनियम के उपबन्ध, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर प्रवृत्त न होंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

अधिष्ठाता महोदय, खंड ३ के स्थान पर निम्न रख दिया जाय--

"३--राज्य सरकार प्रत्येक प्रधान मंडी स्थल एवं उपमंडी स्थल के लिये प्रत्येक कृषि उत्पादन की जो सम्बन्धित क्षेत्र के लिये धारा ६ के अधीन घोषित की गयी हो लोक कल्याण दाम नीति का इस प्रकार अनुसरण करेगी ताकि कृषि उत्पादन का दाम (निम्नतम दाम) किसान को ऐसा मिले जिससे उसकी लागत वापस आ जाय और उसका जीवन प्रसाये तथा अल्पतम लाभ भी हो और ऐसे उत्पादकों से खरीदे हुये उत्पादनों का दाम उपभोक्ताओं से पाने के लिये (अधिकतम दाम) इस तरह तय करे ताकि दूसरी फसल के आने तक १ आना सेर या १६ प्रतिशत से ज्यादा बिक्री दाम न हो।"

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में मूल्य निर्धारण का कहीं प्रश्न नहीं है इसलिये यह संशोधन वैधानिक नहीं है, इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि यह ऐजेन्डे पर आ गया है, इसलिये वे इस प्वाइन्ट को भी स्पष्ट कर देंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

ऐसी दशा में कृषि प्रबन्धक समितियां और सरकार कृषि उत्पादन को तब तक उसी निम्नतम दाम पर खरीदती रहेंगी जब तक कि व्यापारी उस निम्नतम दाम से अधिक दाम उत्पादकों को न देने लगें और जब व्यापारी अधिकतम दाम से अधिक दाम उपभोक्ताओं से वसूलने लगें तो अधिकतम दाम से उक्त कृषि उत्पादन का दाम नीचे रहे। इसके लिये सरकार एवं समितियों द्वारा खरीदा उत्पादन बाजार में डाल दिया जाय। आवश्यकतानुसार बाहर से भी उक्त उद्देश्य के लिये बाजार में डालेगी। हर हालत में मंडी में उत्पादन लाने की ढुलाई व्यापारी या सरकार और समिति को देनी होगी।

यह संशोधन आपके सामने पेश करते हुये मुझे यह कहना है, जैसा कि इस विधेयक के खण्ड ३ पर लिखा हुआ है--"इस अधिनियम के उपबन्ध, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर प्रवृत्त न होंगे।"

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, इधर से एक आपत्ति हुई है कि आपके संशोधन का जो विषय है वह विधेयक के स्कोप के बिलकुल बाहर है, इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय मंत्री जी ने धारा ३ में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के लिए उन तमाम उपबन्धों को हटा देने को कहा है जहां क्रय और विक्रय की धारा लिखी हुई है। तो क्रय-विक्रय किस आधार पर हो, किस भाव पर हो, यह सवाल हमने उठाया है। यों माननीय मंत्री जी जानबूझ कर इसको हटाना चाहते हैं, चाहे इससे उनकी मंशा जो हो। ऐसे मैंने तो अपनी समझदारी से ही इस मंडी विधेयक में इस जगह पर इस संशोधन को रखा है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन लाया जाना जरूरी है और लाना चाहिये ताकि किसानों के राहत की जो बात इस मंडी विधेयक में है कि उनकी लूट खसोट न की जाय, तो यह मामला तो लूट का है और माननीय मंत्री जी चिल्ल तोबा मचा रहे हैं। इसलिये जो यह लूट है इसको बन्द कर देना चाहिये भाव बांध कर।

श्री अधिष्ठाता—

नियम यह है कि जिस क्लाज में आप संशोधन रखेंगे वह उसके विषय के अनुकूल होगा और उससे सम्बन्धित होगा। खंड ३ में केवल यह है कि "इस अधिनियम के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी क्रय या विक्रय पर लागू न होंगे", तो फिर यह लागू नहीं हो सकेंगे और आप कहते हैं कि इसे लागू किया जाय। यह बिलकुल विधेयक के स्कोप के बाहर संशोधन है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी अनुमति आपको नहीं मिल सकती।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इस सम्बन्ध में पहले मुझसे सुन लिया जाय.....

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी व्यवस्था हो चुकी, उसके बाद उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन माननीय सदस्य उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। यह आउट आफ आर्डर है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

पहले मेरी बात सुन लें, फिर व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपको मैं बतला दूं कि अगर आप इसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो मैं अनुमति नहीं दे सकूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं यह बतला दूं कि इस धारा में क्रय विक्रय के सवाल को उठा कर माननीय मंत्री जी ने इसको हटाने की कोशिश की है और माननीय मंत्री जी अपनी मंशा से हटाने के लिये इस धारा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिये मेरा कहना है कि इस को हटा दिया जाय और उसके स्थान पर मेरा संशोधन रख दिया जाय। इसलिये इस पर बहस करने का और अपनी बात रखने का मुझे अधिकार है। मेरा कहना यह है कि आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के किसान भावों के सवाल को लेकर भी लूटे जा रहे हैं। जो गेहूं व्यापारियों ने किसानों से १७ रुपये–१८ रुपये मन खरीदा है वह गेहूं आज सवा ५३ रुपये से लेकर ७०–८० रुपये मन तक बेचा जा रहा है और इतनी बड़ी लूट हो रही है। यह लूट माननीय कृषि मंत्री, माननीय खाद्य मंत्री और माननीय सुचेता जी के व तमाम मंत्रि-गण के जानते हो रही है.....

श्री बृजबिहारी—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया था उस पर मैंने अभी निर्णय नहीं दिया है, अभी तो मैंने उसके संबंध में उन्हें अवसर दिया है कि वह जो स्पष्टीकरण कर सकें वह करें और वह अपने तरीके से उसका अभी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उसको सुनकर थोड़ी देर बाद मैं निर्णय दे सकूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इस तरह स विक्रय में लूट मची हुई है उसको हम रोकना चाहते हैं। मंत्री जी ने अपने तरीके पर यह तीसरी धारा रख दी है, लेकिन हमें भी अधिकार है कि उसकी जगह पर, उसको हटा कर हम दूसरी धारा रखने की बात कहें ताकि हमारी मंशा पूरी हो जाय। आज सारे

प्रदेश में व्यापारी लूट रहा है और सब लोगों में उनके खिलाफ उत्तेजना फैली हुई है। यह उत्तेजना आज लगातार देश के किसान, उपभोक्ता सब में फैली है और सब महसूस करने लगे हैं कि वह किस तरह से भाव में लूटते हैं। कोई बाहर की शक्ति अब नहीं लूट रही है बल्कि व्यापारी लूटते हैं, सरकारी कर्मचारी लूटते हैं और इस लूट को कानूनी शक्ल दी हुई है क्योंकि यह सरकार व्यापारियों के हितों की ही रक्षा करने वाली है और इसीलिये वह भाव के सवाल को इसमें लाना नहीं चाहती ताकि व्यापारी सस्ता गल्ला किसानों से खरीद लें और फिर बाद में उपभोक्ताओं की लूट करें और सब माल खरीदने के बाद महंगा करें। इस लूट को रोकने के लिये मैं चाहता हूं कि इस धारा ३ को हटाकर उसकी जगह पर दूसरी धारा में उक्त मेरा संशोधन रख दिया जाय। मंत्री जी तो बड़े किसान के बेटे हैं वह क्या जाने छोटे किसान की तकलीफ को; 'जाके पैर न पड़ी बिवाई वह क्या जानें पीर पराई'। किसान अपनी जरूरतों के कारण मजबूर होता है कि वह चैत बैसाख में ही अपना गल्ला इन व्यापारियों के हाथ बेच दे, वह आज भी उसको जोड़ने के पक्ष में नहीं है और लोककल्याण के खिलाफ जाने को तैयार हैं। सरकार चाहती है कि राजकीय व्यापार हो तो वह हवा में तो नहीं होगा। अगर आप हमारी बात मानेंगे तभी वह चल सकता है वर्ना उसका लाभ ही क्या होगा? आज इन गरीब किसानों को, खेतिहर मजदूरों को उपभोक्ताओं को आज व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों से क्यों लुटवा रहे हैं। अगर राजकीय व्यापार हो जायगा तो बड़े किसानों और व्यापारियों और सरकार की लूट एक जगह हो जायगी और उसको बचाने के लिये अगर मेरे संशोधन को मान लिया जाय तो जो राजकीय व्यापार होगा उसमें लूट नहीं होगी। हम जनता की राहत के लिये यह संशोधन लाये हैं और इसलिये मंत्री जी से और इस सदन से निवेदन है कि वह इसको स्वीकार करें ताकि जनता का इससे लाभ हो सके।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैं भी कुछ व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो प्रवर समिति की रिपोर्ट है इसके पृष्ठ ३३ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा होता कि आपका संशोधन जब आता तब यह चीज रखते।

श्री भीखालाल—

आप व्यवस्था दे देंगे तो फिर हमारा संशोधन ही कैसे आयेगा क्योंकि उसका सम्बन्ध मूल्यों से है। मैं इसी व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यह जो पेज ३३ पर उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ के सम्बन्ध में वित्तीय विवरण-पत्र का ज्ञापन-पत्र दिया है इसके आरम्भ में ही दिया है कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ का उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादकों को, जिनकी आर्थिक क्षमता निस्संदेह क्षीण होती है, बिचौलियों और मुनाफाखोरों के शोषण से बचाना तथा उन्हें उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाना है।" जब मूल्यों के विषय में इसके उद्देश्य में यह सब दिया है तो फिर यह कैसे कह सकते हैं कि मूल्य का प्रश्न इसकी परिधि के बाहर है और उस पर हम विचार नहीं कर सकते। जब तक हम यहां पर मूल्यों के विषय में कोई निश्चित कदम नहीं उठायेंगे तब तक हम कैसे किसानों को इस बिल के द्वारा इस योग्य बना सकते हैं कि वह अपने उत्पादन का उचित मूल्य पा सकें। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था वैधानिक है कि आप संशोधन को लाने की आज्ञा दें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, पहले यह है कि श्री बृजबिहारी मिश्र ने आब्जेक्शन किया कि यह आउट आफ आर्डर है तो यह व्यवस्था दी कि यह एजेन्डा में छप गया है और अब रहने दिया जाय। इस के बाद उन्होंने पूरा प्रस्ताव पढ़ दिया। प्रस्ताव पेश करने के बाद जब भाषण देना शुरू कर दिया फिर दुबारा आब्जेक्शन हुआ और आपने रूल आउट कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

अभी नहीं हुआ है। मैंने उनसे कहा था कि आप स्पष्टीकरण दें।

श्री रक्षपालसिंह—

परन्तु यह प्रस्ताव हो चुका है। पहले प्रस्ताव बृजबिहारी जी द्वारा हो चुका है।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, कल भी इसी तरह हुआ था। जब माननीय राधेश्याम शर्मा प्रस्ताव पेश कर रहे थे तब भी उधर से ऐसा किया गया।

श्री चरणसिंह—

मेरे माननीय मित्र ने यह फरमाया कि जब कल एमेंडमेंट पेश किया जा रहा था तब मैंने भी ऐसा किया। इसके सम्बन्ध में अर्ज है कि वे पेश कर चुके थे और तकरीर कर रहे थे तब यह रूलिंग हुयी। जब पेश किया जा रहा था तब एतराज नहीं हुआ तो इसलिए अब एतराज नहीं हो सकता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

चूंकि इस प्रकार के प्रस्ताव पर आपकी आज की व्यवस्था कल की व्यवस्था के विरुद्ध है अतः कोई व्यवस्था देना, मैं समझता हूं, अवैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता—

पूरा प्रश्न देखिये।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मुझे यह अर्ज करना है कि जो माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने फरमाया है उसमें कोई कानूनी प्वाइंट नहीं था। माननीय भीखालाल जी ने एक बात कही और मुझे अफसोस है कि भीखालाल जी जैसे संजीदा आदमी भी गलत बयानी करें। उन्होंने कहा कि बिल के उद्देश्य में यह लिखा हुआ था कि....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भीखालाल जी ने पृष्ठ ३३ कहा कि उसका उद्देश्य यह है। उद्देश्य और कारण दूसरे पृष्ठ ३२ पर है।

श्री चरणसिंह—

ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने जो फाइनेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा होता है उसको पढ़ लिया। मुनासिब होता कि ये अल्फाज उसमें न होते।

श्री भीखालाल—

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मैंने गलतबयानी की, मैंने पृष्ठ ३३ पर कहा। मैंने पृष्ठ ३२ नहीं कहा।

*श्री चरणसिंह—

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमें स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स को देखना चाहिये फाईनेन्शल स्टेटमेंट नहीं देखना चाहिये क्योंकि इससे हाउस को मिस्लीड करना होगा। लिहाजा मेरी आपत्ति सही है। मेरा विचार है कि इस बिल पर जैसा कि वह संशोधित हुआ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रवर समिति द्वारा उस पर विचार हो और उस पर एमेंडमेंट यदि आयेंगे तो उन पर भी विचार हो। उस पर एतराज था। बाद में हाउस ने नामंजूर कर दिया उस स्टेटमेंट को। मैं एक दलील यह दे सकता हूं कि हाउस ने उस अमेंडिंग मोशन को रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा यह दूसरी ग्राउन्ड है जो कि उद्देश्य को पूरा करने में दूसरे अल्फाज में या दूसरे अमेंडमेंट में आना बिलकुल आउट आफ आर्डर है।

श्री अधिष्ठाता--

चन्द्रबलीसिंह जी की जो भावनायें हैं इस सम्बन्ध में, उनको निवेदन करने के लिये पूरा मौका दे दिया गया और उनका उद्देश्य पूरा हो गया। माननीय भीखालाल जी से मैं कहूंगा कि पूरा जो विधेयक है उसकी परिधि का प्रश्न नहीं है। यदि रूल १३९ (१) आप देखें "संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से सुसंगत होगा।" तो यह भी देखना होगा कि वह संशोधन विधेयक की परिधि के अन्तर्गत आता है या नहीं, और साथ ही यह भी देखना पड़ेगा कि जिस खंड में संशोधन उपस्थित किया गया है उससे वह सुसंगत है या नहीं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

लेकिन संशोधन तो पेश हो चुका है।

श्री अधिष्ठाता--

संशोधन पेश हो जाने से कोई बाधा नहीं आती। बाद में भी आपत्ति की जा सकती है कि यह संशोधन आउट आफ आर्डर है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

ऐसी रूलिंग हो चुकी है कि वह आउट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

श्री अधिष्ठाता--

जो निर्णय होता है वह उदाहरण जरूर होता है, लेकिन दूसरा आदमी अगर कुर्सी पर बैठा हो तो वह उसके लिये बाध्य नहीं होता। चन्द्रबलीसिंह जी को अपनी भावनायें प्रकट करने का अवसर मिल ही गया है। अब खंड ३ के अन्तर्गत उनका संशोधन नहीं आता। इस लिये मैं उसको आउट आफ आर्डर घोषित करता हूं और आगे बढ़ता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मैं आपकी इस व्यवस्था के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्रबलीसिंह सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बृजबिहारी--

भीखालाल जी का जो संशोधन है इसके सम्बन्ध में भी मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। यह भी चूंकि परिधि के बाहर है इसलिये इस पर भी विचार नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता--

श्री भीखालाल जी इस आपत्ति के विषय में बोल चुके हैं। अगर कुछ और कहना है तो वह कह सकते हैं।

श्री भीखालाल--

इस संशोधन के सम्बन्ध में भी श्री चन्द्रबलीसिंह के संशोधन के विषय में व्यवस्था के प्रश्न के विरोध में जो तर्क मैं पहले उपस्थित कर चुका हूं वही इस समय भी उपस्थित करता हूं, कोई नई बात मुझे नहीं कहनी है। यही कहनी है कि व्यवस्था के प्रश्न को रिजेक्ट करके संशोधन को उपस्थित करने की आज्ञा दें।

श्री अधिष्ठाता—

जिन कारणों से मैं पहले वाले संशोधन को अस्वीकृत कर चुका हूं उन्हीं कारणों से यह जो भीखालाल जी का संशोधन है उसे भी आउट आफ आर्डर घोषित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री बृजबिहारी—

अधिष्ठाता महोदय, यह निश्चय है कि १ और २ के बीच में सदन में डिवीजन काल नहीं किया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—

सवाल यह है कि जब वोट के लिये सवाल रखा है तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि वह पास हो गया या नहीं। किसी संशोधन को स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं जब तक डिवीजन न हो।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में—५१,

विपक्ष में—२६।)

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस समय डेढ़ बजा है। और सदन की यह व्यवस्था हुई है कि १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं होगी तो आपने वोटिंग क्यों कराई ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो मांग आपने की। सदन की यह परम्परा है, कोई नियम नहीं है कि १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं होती। इस बीच में आप भी मांग नहीं करते हैं और "हां" और "नहीं" की संख्या के बारे में बात नहीं करते हैं।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं कि जब यह विभाजन का प्रश्न उठा तो आपको यह कहना चाहिये था कि मतदान २ बजे के बाद हो जायगा। ऐसी व्यवस्थायें माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अभी हाल में हुई हैं, लेकिन इस वक्त किस अधिकार से वोट लिया गया ? कुछ परम्परायें और कुछ कानून होते हैं और इन सब को मिलाकर कानून बनते हैं। तो आपने एक परम्परा को आज समाप्त कर दिया। अगर २ बजे आप मतदान कराते तो हमें पूर्ण विश्वास था हमारे बहुत से सदस्य आ जाते और यह सरकार हार जाती। आपने हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं की, बल्कि उस पर कुठाराघात किया।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई बुनियादी लोकतांत्रिक परम्परा का प्रश्न नहीं है। यह परम्परा सदस्यों की सुविधा के लिये है, क्योंकि वे भोजन आदि करने जाते हैं इसलिये यह बात मान ली गयी है कि १ और २ के बीच में वोटिंग नहीं होगी। लेकिन यह परम्परा तो उसी वक्त तक स्वीकार होगी जब तक मतदान की मांग न की जाय और अगर मतदान की मांग की जाती है तो हम उस परम्परा का पालन नहीं कर सकते, वोटिंग तो हमें करानी पड़ेगी।

श्री उग्रसेन—

तो क्या हम यह समझें कि आपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रूलिंग्ज को खत्म कर दिया है और..

श्री अधिष्ठाता—

यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह परम्परा सदन की सुविधाओं के अनुसार ही चल रही है। यदि कोई विधेयक चल रहा है तो मुझे हर खंड पर स्वीकृति और अस्वीकृति के लिये मत तो लेना ही पड़ेगा। तो अब या तो सदन १ या २ के बीच में न हो या यह हो कि १ और २ के बीच में विभाजन के लिये मांग न हो। अगर विभाजन की मांग होगी तो हमें मतदान विभाजन कराके लेना पड़ेगा। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि १ और २ बजे के बीच में क्या व्यवस्था चली आ रही है और उन्हें क्या कहना है ?

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, यह मान करके चलना पड़ता है कि सरकार का बहुमत है। हमारी प्रक्रिया नियमावली के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि १ घंटे के लिये सदन स्थगित करें १ और २ बजे के बीच, लेकिन बाद में प्रक्रिया नियमावली के नियमों में परिवर्तन करना पड़ा और यह कार्य उसी प्रक्रिया नियमावली के नियम के अनुसार चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक प्रस्तुत हो तो उस वक्त अपोजीशन की तरफ से मतदान की मांग नहीं की जायगी, किन्तु यदि कोई विधेयक प्रस्तुत होगा तो अवश्य ही उसके खंडों पर राय ली जायगी या पूछा जायगा। तो अपोजीशन की तरफ से वह मांग नहीं होनी चाहिये थी और न कोई विभाजन होना चाहिये था। बहरहाल, प्रक्रिया नियमावली के नियमों के अनुसार यह सेशन चल रहा है, कार्य चालू रहेगा और यदि कोई मांग विभाजन की की जायगी तो नियमों के अनुसार मत लेने को आप बाध्य हैं। इसमें किसी व्यवस्था और नियमों के होने की कोई बात नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या आपने उन रूलिंग्ज को पढ़ लिया है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय ने इस सम्बन्ध में दी हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

रूलिंग्ज तो हर परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। लिहाजा जो व्यवस्था दी गयी है वह ठीक है।

खण्ड ४, ५, ६ तथा ७

अन्य विधि के विरुद्ध होना

४—(१) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई असंगत बात दी हो।

(२) इसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट, १९५५ की धारा ३ के उपबन्ध और तद्धीन दी गयी आज्ञाएं प्रभावी होंगी, भले ही इस अधिनियम में या तदधीन बनाये गये किसी नियम, उपविधि या दी गयी आज्ञा में कोई असंगत बात दी हो। ऐक्ट संख्या १०, १९५५

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसी क्षेत्र में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित और नियंत्रित करने के अभिप्राय की घोषणा

५—(१) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि लोकहित में यह आवश्यक या इष्टकर है कि किसी ऐसे क्षेत्र में किसी कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय को विनियमित किया जाय, जहां पर सामान्यतः इस प्रकार के सौदे किये जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र को मंडी-क्षेत्र घोषित किया जाय, तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय ऐसा करने के अपने अभिप्राय की घोषणा कर सकती है और प्रस्तावित घोषणा के विरुद्ध आपत्तियां आमंत्रित कर सकती है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई भी, आपत्ति ऐसी अवधि के भीतर भेजी जा सकती है, जो नियत की जाय । वह निदेशक को सम्बोधित की जायेगी, जो उसे, उस पर अपनी समीक्षा के साथ, राज्य सरकार को भेजेगा ।

मंडी-क्षेत्र की घोषणा

६—धारा ५ में अभिदिष्ट अवधि के व्यतीत हो जाने पर, राज्य सरकार उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगी और तदुपरान्त, गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा ५ के अधीन विज्ञप्ति में उल्लिखित सम्पूर्ण क्षेत्र या उसका कोई निर्दिष्ट भाग ऐसे कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में और ऐसे दिनांक से, जो घोषणा में निर्दिष्ट किया जाय, मंडी-क्षेत्र होगा ।

प्रधान मंडी-स्थल और उपमंडी स्थलों की घोषणा

७—धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य सरकार मंडी-क्षेत्र के किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग को, जहां किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का विक्रय, क्रय या संग्रह करने या उस पर प्रक्रिया करने का कार्य होता हो प्रधान मंडी स्थल के रूप में और उपर्युक्त ऐसे अन्य भागों को जो आवश्यक समझे जायें, उपमंडी-स्थलों के रूप में घोषित करेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४, ५, ६ तथा ७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ८

८—(१) राज्य सरकार यदि वह लोकहित में ऐसा करना इष्टकर या आवश्यक समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा अब ऐसी अन्य रीति से जो नियत की जाय, तथा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से—

(क) धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन की सूची में कोई कृषि-उत्पादन सम्मिलित कर सकती है, अथवा उसमें से कोई कृषि-उत्पादन निकाल सकती है,

(ख) धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मंडी-क्षेत्र में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकता है, अथवा उसमें से कोई क्षेत्र निकाल सकता है,

(ग) धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किसी मंडी-क्षेत्र को एक से अधिक पृथक मंडी-क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है,

(घ) धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दो या अधिक मंडी-क्षेत्रों को एक मंडी-क्षेत्र में सम्मिलित कर सकता है,

(ङ) यह घोषणा कर सकता है कि धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मंडी-क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रहेगा :

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही किये जाने के पूर्व राज्य सरकार, नियत रीति से, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करेगी और उन पर विचार करेगी।

(२) जब मंडी समिति के कार्यकाल में मंडी-क्षेत्र की सीमाओं में, जिसके लिये वह स्थापित की गयी हो, उपधारा (१) के खंड (ख), खंड (ग) अथवा (घ) के अधीन परिवर्तन किया जाय तो, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(क) मंडी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे,

(ख) धारा १३ के उपबन्धों के अनुसार परिष्कृत या नव-निर्मित मंडी क्षेत्र के लिये एक नयी मंडी समिति संघटित की जायगी,

(ग) विघटित समिति की निधि का ऐसा भाग तथा अन्य आस्तियां राज्य ऋण और दायित्व, जिनके लिए राज्य सरकार लिखित निर्देश दे, नयी समिति को हस्तांतरित हो जायेंगे, और नयी मंडी समिति के प्राधिकार के अधीन मंडी क्षेत्र के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले या उससे सम्बद्ध दीवानी और फ़ौजदारी कार्यवाहियां, संविदाएं, अनुबन्ध और प्रत्येक अन्य विषय के सम्बन्ध में विघटित मंडी समिति के अधिकार और दायित्व नयी मंडी समिति में निहित होंगे।

(३) यदि उपधारा (१) के खंड (ङ) के अधीन कोई मंडी-क्षेत्र ऐसा क्षेत्र न रह जाय तो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे—

(क) मंडी समिति विघटित हो जायगी और उसके सदस्य अपना पद रिक्त कर देंगे,

(ख) उसमें स्थापित प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थल और यदि कोई हों, ऐसे मंडी स्थल न रह जायेंगे,

(ग) मंडी समिति निधि की व्यय न की गयी शेष धनराशि और मंडी समिति की अन्य आस्तियां तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक न होगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (३) के क, ख, ग खंडों के अन्त में आया हुआ प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, इस प्रतिबंधात्मक वाक्य का तात्पर्य यह है कि खंड ८ के उपखंड (ङ) के अनुसार अगर अनियमित कार्य करने के कारण कोई मंडी समिति विघटित कर दी जाय तो उस मंडी की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस नियम के बाद यह प्रतिबन्धात्मक वाक्य लगा दिया गया है।

श्रीमन्, इसी खंड के (ग) को देखें। उसमें है "मंडी समिति निधि की व्यय न की गई शेष धनराशि और मंडी समिति की अन्य आस्तियां तथा दायित्व राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे।"

[श्री रघुनाथसिंह]

यानी उसके जो असेट्स होंगे और जो लायबिलिटीज होंगी वह दोनों राज्य सरकार में निहित होंगी। लेकिन सरकार ने देखा कि असेट्स कम हुए और लायबिलिटीज ज्यादा हुईं तो हम लास में रहेंगे, इसलिये कह दिया प्रतिबन्धात्मक वाक्य में "प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार का दायित्व इस प्रकार निहित सम्पत्ति के मूल्य से अधिक न होगा" श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि यदि आस्तियाँ अधिक होंगी तब तो बड़ी प्रसन्नता से सरकार दायित्व ले लेगी और अगर दायित्व ज्यादा हो गये लायबिलिटीज ज्यादा हो गईं तो वह मुकर जायगी। मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू। यह सरकार जैसी सक्षम संस्था के लिये बनियऊ हिसाब बड़ी लज्जा की बात है।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये किसी समिति का विघटन हो गया और सचमुच में उसके दायित्व अधिक हैं और आस्तियां कम हैं और आपने इंकार कर दिया कि आप दायित्व नहीं लेते, तो समिति का निर्माण तो पता नहीं कब होगा और आपकी लाल फीताशाही जैसे चलती है उसमें सालों की देर हो सकती है, तो वहां पर उस मंडी के इंतजाम में कितनी कठिनाइयां होंगी आप तो मुकर गये कि आप दायित्व लेंगे नहीं, उसका मूल्य कम है और दायित्व ज्यादा है और समिति को आपने विघटित कर दिया किन्हीं कारणों से, तो फिर मंडी का इंतजाम इस अन्तरिम पीरियड में कैसे होगा, क्या व्यवस्था उसके लिये होगी ? इसके बारे में आपने कुछ नहीं रखा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि नैतिक बात जाने दीजिये सामान्य व्यवहार भी आपसे यह तकाजा करता है कि जहां कहीं हमको लाभ होता है वहीं पर कहीं-कहीं हमें घाटा भी होता है। तो घाटे को भी स्वीकार करना चाहिये। इसलिये आप ऐसी सम्पत्ति को भी लेने की क्षमता दिखायें क्योंकि सरकार में ऐसी क्षमता की अपेक्षा की जा सकती है कि जहां आस्तियों से दायित्व अधिक हों उनको भी वह ले सके। यह सरकार के लिए बड़ी अशोभनीय बात होगी यदि यह वाक्य इसमें से निकाला न गया। अतः यह मेरा संशोधन आप मान लें।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय रघुनाथ सिंह जी का संशोधन वास्तव में बहुत ही उचित संशोधन है। मैं उनके भावों से तो पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार के दायित्व जहां ज्यादा हो वहां दायित्व को तो न निबाहे और लाभ वाली बात जहां हो, उसको ले ले, यह उचित नहीं है और यही क्लीयरकट बात इस प्रतिबन्ध में लिखी है। एक और विशेष बात इस संशोधन में है जो माननीय रघुनाथ सिंह ने नहीं कही। इसमें १५–१६ निर्वाचित सदस्य जो होंगे उनके साथ इनका रखा हुआ एक सरकारी कर्मचारी भी होगा और सारा का सारा कारोबार उसके ही हाथ से होगा। तो उस अधिकारी के द्वारा बहुत से घपले हो सकते हैं और वास्तव में जैसा कि कोआपरेटिव सोसाइटियों में हमने देखा कि कोआपरेटिव सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर लाखों का गबन करके चले गये। तो सारी की सारी गड़बड़ियां इन कर्मचारियों के माध्यम से ही होती हैं। ऐसी अवस्था में सरकार का पूरा दायित्व है कि जो कुछ भी उसकी लाइबिलिटीज हों या जैसी भी परिस्थिति हो, अगर कोई प्रश्न ऐसा पैदा हो जाता है तो सरकार उसको भी वहन करे। अगर यह प्रतिबन्ध बना रहेगा तो उचित नहीं है।

*माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था उसमें शयलतीफ की कमी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो हमारा फर्ज है कि हम जनता के हकूक की रक्षा करें। अगर कोई समिति गड़बड़ करे तो उसके असेट्स हम लेंगे और उनकी बेवकूफी से जो कर्जा हो गया है या हानि हुई है, तो उस बेवकूफी को हम अपने सर नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें जनता का इंटरेस्ट सफर करेगा। उनकी बेवकूफी से या बेईमानी से जो ज्यादा खर्चा हुआ है उसका भार हम सरकारी खजाने पर नहीं डालेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात रक्षपाल सिंह जी ने कही कि सरकारी अफसर रहेगा वह गड़बड़ करेगा। यह तो कब्ल अज वक्त बावेला है। १६ जो नान आफिशियल रहेंगे वह क्या करेंगे ? क्या वह मौज करने के लिये गये हैं? जैसा हमारे मित्र चरण सिंह जी ने कहा था कि वहां पर नान आफिशियल की इंटेलिजन्स का टेस्ट होगा कि वे किस जिम्मेदारी से काम करते हैं। अगर वह अपनी जिम्मेदारी निभायेंगे नहीं तो एक दियासलाई से सारा देश जल सकता है। आप सरकारी आफिशियल के लिये कहते हैं कि वह सब पर हावी होगा। आप नान आफिशियल की अक्ल को कम क्यों समझते हैं ? मैं समझता हूं वह अपना काम जिम्मेदारी के साथ अन्जाम देंगे और उनकी देखरेख में कोई अफसर कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। हम उस फिजूलखर्ची को एक्सचेकर पर लादना मुनासिब नहीं समझते। जो उनके असेट्स होंगे उसकी जिम्मेदार सरकार होगी, लेकिन जो उनकी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेदारी कतई सरकार नहीं लेना चाहती क्योंकि इसमें जनहित निहित है। लिहाजा मैं इस प्राविजो के निकलने का विरोध करता हूं।

श्री रघुनाथसिंह—

मुझे राजस्व मंत्री जी की मजाक से डर लगता है। आपके न्याय पर विश्वास करके, आपकी कही हुई बातों के आधार पर मैं दूसरी बात कहता हूं। सरकार सदस्यों की बेवकूफी की वजह से जो गड़बड़ हो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन जो गड़बड़ हो चुकी है उसकी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिये। सरकार जैसी सक्षम संस्था अगर गड़बड़ की जिम्मेदार नहीं होगी तो फिर मंडी में किस प्रकार से व्यवस्था होगी। रक्षपाल जी ने उसी तरह की दूसरी बात कही कि अगर आपका कर्मचारी गड़बड़ करता है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये। ऐसी आशंका क्यों करें कि जनता के प्रतिनिधि कोई गड़बड़ करेंगे। अगर रक्षपाल जी मनोनीत सदस्यों पर आशंका नहीं करते तो आप क्यों शंका करते हैं कि हम उनकी जिम्मेदारी क्यों लें। इसी तरह से हम भी आपके सदस्य पर शंका कर सकते हैं कि उनकी व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है तो फिर समिति को विघटित करने की बात क्यों आई ? अगर कोई गड़बड़ हो तो उसकी जिम्मेदारी लेना सरकार के लिये लाजिमी है। यह नहीं होना चाहिये कि यह संशोधन विरोधी दल की तरफ से आया है तो उसको मानने में उनको कोई दिक्कत है। यह सचमुच में मानने लायक है। अगर यह प्रतिबन्ध रखा तो विघटित समितियों के बाद किन्हीं मंडियों में बहुत अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस सुझाव को आप मान लेने की उदारता दिखलायेंगे।

*श्री चरणसिंह—

यह मुझे बिलकुल स्वीकार नहीं है। मैं इस सिलसिले में एक दो बात अर्ज कर देना चाहता हूं। अगर कोई कमेटी का मेम्बर गलती करता है तो जैसा म्युनिसिपैलिटीज में या जिला परिषदों में है, ऐसी गलती करने वाले से पैसा वसूल हो सकता है। ऐसा ही इसमें है। तो मर्केट कमेटी के मेम्बर से वसूल हो सकेगा। वह रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन कमेटी एज ए होल अगर निकम्मी साबित होती है तो गवर्नमेंट उसको एबालिश कर देगी। तो एबालिश करने की शर्त में यह दफा आयेगी। अगर उनका कर्ज इतना है कि जितनी निधि समिति की है उसे सेल करने से वह पूरा हो जाता है तो वह सरकार कर देगी, लेकिन अगर कर्ज और दायित्व समिति बहुत ज्यादा छोड़ गयी है, अपनी निधि से भी ज्यादा तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार न होगी, उस दायित्व के लिये जो समिति की निधि से एक्सीड कर जाय। इस तरह का एश्योरेंस ला में है कि अगर कार्पोरेट बाडीज गलती करती हैं तो उनकी असेट्स और लायबिलिटीज की मालिक गवर्नमेंट है, लेकिन लायबिलिटीज जो हैं गवर्नमेंट की वह असेट्स से एक्सीड नहीं करेगी तो यह कोई नयी बात हम नहीं करने जा रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अगर उनका पैसा ज्यादा हो तो क्या ऐसी स्थिति में मुनासिब न होगा कि वह विघटन करने से पहले समिति के सदस्यों में बराबर बांट दिया जाय ?

श्री चरणसिंह—

इसका क्या जवाब दूं ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (३) के क, ख, ग खंडों के अन्त में आया हुआ प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ९

मंडी-क्षेत्र की घोषणा का प्रभाव

९—(१) किसी क्षेत्र के मंडी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेंस के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा मंडी-क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने (storage) या तोलने या उस पर प्रक्रिया करने (processing) के लिए किसी स्थान की न स्थापना करेगा न उसे बनाये रखेगा और न उसकी स्थापना करने या उसे बनाये रखने की अनुमति देगा, भले ही किसी अन्य विधि, रूढ़ि, प्रथा या अनुबन्ध में कोई विपरीत बात हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के उपबन्ध स्वयं उत्पादक पर उसके द्वारा उत्पादित, पाले-पोषे, या प्रक्रिया किये गये कृषि-उत्पादन के संबंध में, या ऐसे व्यक्ति पर जो अपने घरेलू उपभोग के लिये किसी कृषि-उत्पादन का संग्रह करता हो, लागू न होंगे ।

(२) कोई व्यक्ति सम्बद्ध समिति से तदर्थ लाइसेंस प्राप्त किये बिना तथा लाइसेंसों की शर्तों के विरुद्ध किसी प्रधान मंडी स्थल या किसी उप मंडी स्थल में किसी निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के संबंध में व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, गोदाम-परिचालक (Ware-house man) तोलक, पल्लेदार या किसी ऐसे अन्य रूप में जो नियत किया जाय, न तो कारोबार करेगा और न काम करेगा ।

श्री रघुनाथसिंह—

श्रीमन्, यह संशोधन भाषा सम्बन्धी है और आशा है कि मंत्री जी इसे मान जायेंगे । श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में "के बिना" शब्द समूह को निकाल दिया जाय । तथा पंक्ति ३ में "से अन्यथा" के स्थान पर "के बिना" रख दिया जाय । 'तथा' इस एजेंडा में गलत छप गया है, कृपा कर उसे निकाल दिया जाय ।

मैंने पहले भी निवेदन किया था और फिर करता हूं कि पता नहीं इस देश में वह कौन-सा सौभाग्यशाली दिन होगा कि जब कानून बनाने वाले हिन्दी के जानकार हो जायेंगे । श्रीमन्, अंग्रेजी में सोचा जाय, अंग्रेजी में लिखा जाय और उसका हिन्दी उल्टा किया जाय तो ऐसा शाब्दिक अनुवाद होता है कि जिसमें भाषा का बड़ा भ्रष्ट रूप देखने को मिलता है जिसका साधारण

हिन्दी का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति उल्टा ही मतलब निकालता है और वह उसके लिये बड़ा कष्टकर है। इसमें आप श्रीमन्, देखिये, "किसी क्षेत्र के मंडी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेंस के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण मे, अन्यथा मंडी-क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय, क्रय या संग्रह करने या तोलने" कोई भी माननीय सदस्य बतायें कि इसका अर्थ वे समझे पाये हैं ? मेरा यह संशोधन है कि किसी क्षेत्र के मंडी क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेंस "के या उसकी शर्तों के अनुसरण के बिना"। यह "के बिना" जो है वह दोनों के लिए है। "तथा मंडी क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय . . . क्रय इत्यादि"। यहां पर "से" लगा कर फिर संयोजक "अन्यथा" रख दिया गया तो कोई माथा पटक कर समझ नहीं सकता। तो इसके बजाय यह हो जायगा कि "किसी क्षेत्र के मंडी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेंस या उसकी शर्तों के अनुसरण के बिना तथा मंडी क्षेत्र के भीतर इत्यादि . . . . . ." इत्यादि। अब यह मजे की भाषा हो गयी। ऐसी भी होता है कि जब कचहरी में विवाद हो तो क्लिष्ट और कलमजी लैंगुएज रहे, शब्दावली ठीक न रखी जाय तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। इसलिए मेरा फिर निवदन है कि मंत्री जी बड़ी राष्ट्रीय भावना के व्यक्ति हैं और हिन्दी उनके मूल-जन्म निवास की बोली से निकली हुई भाषा है और राष्ट्रभाषा है। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम अब तो राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिन्दी में सीधे-सीधे कानून और विधान बनाने का कार्य आरम्भ हो। कब तक यह लज्जाजनक कार्य होता रहेगा और लिटरल ट्रांस्लेशन का उधार-खाता चलता रहेगा ?

संशोधन के साथ यह अतिरिक्त निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

मान्यवर, अभी रघुनाथसिंह जी ने जो कहा मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। उनके इस संशोधन से कोई भाषा या भाव में फर्क नहीं पड़ता और बहुत अच्छा प्रकरण बन जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात या संशोधन नहीं है, केवल साहित्यिक है, उसको मान लें तो अच्छा होगा। कम से कम एक तो मान ही लें।

श्री रघुनाथसिंह--

अधिष्ठाता महोदय स्वयं एक बड़े वकील हैं, आप ही अपनी राय दे दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी दे देगें।

*श्री चरणसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं डाक्टर रघुनाथ सिंह जी की विद्वत्ता का लोहा मानता हूं, वे सिलेक्ट कमेटी के भी मेम्बर थे, वहां भी यह मैंने स्वीकार किया था। उनका हिन्दी भाषा के प्रति जो प्रेम है वह भी स्वयं सिद्ध है, उसके संबंध में कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनसे मैं यह आशा करता हूं कि वह भी यह तसलीम करेंगे कि इधर बैठने वाले भी हिन्दी भाषा से प्रेम करते हैं, उन्हें कोई द्वेष नहीं है। लिहाजा ये जो सारी भावनाएं दिखलायी गयीं और "लज्जाजनक बात" का प्रयोग किया, यह सब आउट-आफ-प्लेस है। सीधे सीधे कहना चाहिये कि यह अल्फाज बेहतर हैं। मैं यह भी मानता हूं कि हमारे यहां सेक्रेटेरियट में इतने बड़े पंडित न हों जितने कि हमारे डाक्टर रघुनाथ सिंह हैं और उनसे गलती हो सकती है, मैं इंकार नहीं करता कि नहीं होती। लेकिन इत्तफाक है कि इसमें गलती नहीं हुई। अगर मेरे मित्र का सुझाव मान लिया जाय तो गलती हो जायगी। आप यह चाहते हैं कि "लाइसेंस या उसकी शर्तों के अनुसरण के बिना" यह हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

जाय, लेकिन उद्देश्य यह है कि कोई आदमी बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकता और लाइसेंस लिया है तो जो शर्तें दी गयी हैं उनके मुताबिक ही काम करेगा, विरोध में नहीं कर सकेगा अन्यथा नहीं कर सकता। "एक्सेप्ट विदाउट ए लाइसेंस" या "एक्सेप्ट अन्डर ए लाइसेंस एंड इन एकारडेंस विद कंडीशंस आफ ए लाइसेंस" ये दो विचार हैं। यानी बिना लाइसेंस के काम नहीं कर सकता यह दे दिया गया है। तो उनकी शर्तों से अन्यथा काम नहीं कर सकता।

श्री रघुनाथसिंह--

मंत्री जी जो बात कह रहे है वह तो समझ में आ रहा है, लेकिन विधेयक की शब्दावली उसको बतावे तब न।

श्री चरणसिंह--

वह जरा-सा तो सब्र रखें। वह यह फर्ज करके चल रहे है कि बिलकुल बुद्धि नहीं है। जहां तक कामा की बात है, कामा इसमें गलत है, वह प्रिंटिंग एरर है। वह हटा दिया जायगा, इसका माननीय अधिष्ठाता महोदय को पूरा अधिकार है। अब हमारे जो शब्द है वह यह हैं कि "किसी क्षेत्र के मंडी-क्षेत्र घोषित किये जाने के दिनांक से, कोई स्थानीय निकाय या अन्य व्यक्ति संबद्ध समिति द्वारा दिये गये लाइसेंस के बिना या उसकी शर्तों के अनुसरण से अन्यथा मंडी क्षेत्र के भीतर निर्दिष्ट" आप चाहते हैं कि उसके "लाइसेंस या उसकी शर्तों के अनुसरण के बिना" यानी "कोई व्यक्ति.....लाइसेंस या उसकी शर्तों के अनुसरण के बिना।" बहरहाल मैं कोई हिन्दी का विद्वान तो नहीं, लेकिन डाक्टर साहब जैसे प्रसिद्ध विद्वान की तरफ से अगर यह संशोधन आया तो मैं क्या कहूं, सिवाय इसके कि डाक्टर साहब ने विचार नहीं किया पूरी तरह से। विचार करेंगे तो जो भाषा इस विधेयक की है वह शुद्ध है, वह हमारे अर्थ को अच्छी तरह से प्रकट करती है और आपकी जो भाषा है वह अगर मान ली गयी तो हमारा मजाक उड़ेगा। तब मुझे कहना पड़ेगा कि यह डाक्टर रघुनाथ सिंह ने करवाया।

श्री रघुनाथसिंह--

मेरा निवेदन यह है कि अब आप कह रहे हैं कि कामा की प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह तो बड़ा भ्रामक है। इनके डिपार्टमेंट ने ऐसी गलती क्यों की? उसके बाद भी यह "अन्यथा" से इसके लिए वह कहते है कि "अदरवाइज" के अर्थ में आ गया--बिना लाइसेंस लिये। और अगर लाइसेंस ले भी ले तो बेकार न पड़ा रहे--उसकी शर्तों का अनुसरण किये बिना। तो दोनों जगह "के बिना" लगेगा। "से अन्यथा" के बाद हिन्दी में शब्द ही नहीं मिलते। मुझे भी उनकी बुद्धि पर तरस खाना पड़ रहा है। उन्होंने कैसे समझ लिया कि इससे ऐसा अनर्थ हो जायगा कि उसने लाइसेंस ले लिया तब भी उसकी शर्तों का अनुसरण न करे?

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी, कामा को आप स्वीकार करते हैं, यह "अन्यथा" के बाद आ जायेगा।

श्री चरणसिंह--

जी हां, वह मंजूर है।

श्री अधिष्ठाता--

डाक्टर साहब आप इसे वापस लेंगे?

श्री रघुनाथसिंह--

जी नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में "के बिना" शब्द समूह को निकाल दिया जाय। तथा पंक्ति ३ में "से, अन्यथा" के स्थान पर "के बिना" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बृजबिहारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ के उप खंड (१) के अधीन प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द "किसी कृषि उत्पादन का" और शब्द "संग्रह करता हो" के बीच में शब्द "क्रय-अथवा" रख दिये जायं। श्रीमन्, इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी कि यह संग्रह कर्त्ता के साथ-साथ क्रय कर्त्ता को भी एप्लाई करे।

श्री चरणसिंह--

मुझे यह स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) के अधीन प्रतिबंधात्मक वाक्य में शब्द "किसी कृषि उत्पादन का" और शब्द "संग्रह करता हो" के बीच में शब्द "क्रय अथवा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०, १०-क तथा ११

नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्यय से भिन्न परिव्यय नहीं दिये जा सकेंगे।

१०--(१) उस दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे और जो धारा १३ के अधीन समिति के संघटन से दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत होने के पहले का न होगा, कोई व्यक्ति, प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थल में, निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के विक्रय या क्रय के किसी सौदे के सम्बन्ध में, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों द्वारा नियत व्यापारिक परिव्ययों से भिन्न कोई व्यापारिक परिव्यय न तो आरोपित करेगा और न लेगा तथा कोई न्यायालय, किसी ऐसे सौदे से उत्पन्न होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी दावे या प्रतिदावे में, कोई व्यापारिक परिव्यय, जो इस प्रकार नियत न हो, नहीं दिलायेगा।

(२) सभी व्यापारिक परिव्यय क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।

मंडी स्थलों से सम्बद्ध कतिपय उपबन्धों को मंडी-क्षेत्र के शेष भाग में लागू करना।

१०-क--राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना लोकहित में आवश्यक या इष्टकर समझे, तो गजट में विज्ञप्ति द्वारा और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, यह घोषणा कर सकती है कि धारा ९ की उपधारा (२) और धारा १० के उपबन्ध प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थलों के बाहर मन्डी क्षेत्र के विज्ञप्ति में निर्दिष्ट संपूर्ण या किसी भाग पर भी लागू होंगे और तदुपरान्त उक्त उपबन्ध, विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से तदनुसार लागू होंगे, और प्रधान मंडी-स्थल या उप-मंडी स्थल से संबद्ध इस अधिनियम के शेष उपबन्ध भी, उसी दिनांक से आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार निर्दिष्ट क्षेत्र पर लागू होंगे।

समिति की स्थापना और उस का निगमन

११--(१) प्रत्येक मंडी-क्षेत्र के लिए समिति होगी जो उस मंडी क्षेत्र की मंडी समिति कहलायेगी जो सतत अनुक्रम वाली एक निगमित निकाय होगी और उसकी एक अधिकृत मुहर होगी। इस या किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा

आरोपित निर्बन्धनों के यदि कोई हों अधीन रहते हुए, वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी अथवा उस नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और वह सम्पत्ति का अर्जन कर सकेगी, उसे धारण कर सकेगी तथा उसका निस्तारण कर सकेगी और संविधा कर सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि समिति किसी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समिति की किसी बैठक में यथाविधि पारित संकल्प के अनुसरण तथा निदेशक के लिखित, पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगी ।

(२) समिति, लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के प्रयोजनों के लिए, स्थानीय प्राधिकारी समझी जायगी ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि खंड १०, १०-क और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १२

१२--(१) धारा १३ के अधीन संघटित प्रथम समिति से भिन्न समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हताओं से सम्पन्न होंगे जो नियत की जायें:--

(१) प्रधान मंडी-स्थल या उसके भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति से भिन्न प्रत्येक स्थानीय निकायों का एक एक प्रतिनिधि;

(२) उप मंडी-स्थल या उसके भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति से भिन्न प्रत्येक स्थानीय निकायों का एक एक प्रतिनिधि;

(३) मंडी क्षेत्रों में कार्य करने के लिये लाइसेंस प्राप्त सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का एक प्रतिनिधि;

(४) केन्द्रीय गोदाम निगम (Central Warehousing Corporation) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी-क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(५) राज्य गोदाम निगम (State Warehousing Corporation) द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति, यदि मंडी क्षेत्र में उस निगम का गोदाम हो;

(६) मंडी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाले और उसके लिए इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, दलालों और आढ़तियों के तीन प्रतिनिधि;

(७) मंडी-क्षेत्र के किसी भाग पर क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली गांव सभाओं के प्रधानों के द्वारा निर्वाचित मंडी-क्षेत्र के दस उत्पादक ; और

(८) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सरकारी अधिकारी ।

(२) उपधारा (१) के खंड (१), (२), (३), (६) और (७) के अधीन निर्वाचित होने के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हताएं और उनके निर्वाचन की रीति ऐसी होगी, और तदर्थ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय ।

(३) उपधारा (१) के खंड (४), (५) और (८) के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा जो नियत की जाय ।

(४) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन से इक्कीस दिन के भीतर निदेशक के पास निबंधित किया जायगा ।

(५) उपधारा (१) के खंड (१), खंड (२), खंड (३), खंड (६) या खंड (७) के अधीन निर्वाचित सदस्य, इस रूप में निर्वाचित होने का पात्र न रहने पर सदस्य न रह जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (२) के खंड (६) के अधीन निर्वाचित सदस्य की सदस्यता केवल इसी कारण समाप्त न हो जायगी कि उसका लाइसेंस समाप्त हो गया है, यदि उसने लाइसेंस के नवीकरण के लिए तदर्थ नियत समय के भीतर प्रार्थना-पत्र दे दिया हो और वह अस्वीकृत न किया गया हो ।

(६) समिति उस दिनांक से संघटित हुई समझी जायगी जब से उसके कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के नाम उपधारा (४) के अधीन निबंधित हो गये हों ।

(७) उपधारा (६) के अधीन संघटित समिति, नियत रीति से अपने सदस्यों में से अथवा मंडी-क्षेत्र के उत्पादकों में से अपना सभापति तथा उप सभापति निर्वाचित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या उप-सभापति के रूप में निर्वाचित व्यक्ति उपधारा (१) के अधीन पहले से ही सदस्य न हो तो वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् समिति का पदेन सदस्य हो जायगा ।

(८) समिति का कार्यकाल उपधारा (६) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से प्रारम्भ होकर तीन वर्ष का होगा और सदस्य का कार्यकाल उपधारा (४) के अधीन उसके नाम के निबंधीकरण या समिति के संघटन, जो भी बाद में हो, के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

(९) सभापति या उपसभापति का कार्यकाल उसके इस रूप में निर्वाचित होने के दिनांक से प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा ।

(१०) समिति की किसी कार्यवाही पर या उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी कार्य पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि किसी व्यक्ति के समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट होने के लिये किसी अर्हता का अभाव था या उसके इस प्रकार निर्वाचन या नाम-निर्देशन में कोई त्रुटि हुई या यह कि समिति में कोई रिक्ति थी या उसके संघटन में कोई त्रुटि हुई ।

(११) उपधारा (१) या (२) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई सदस्य नियत अवधि के भीतर यथाविधि निर्वाचित न किया जाय जो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उप खंड (१) के भाग (२) व (३) को हटा दिया जाय ।

इसका कारण यह है कि इन व्यापारियों के प्रतिनिधि, पल्लेदारों के प्रतिनिधि और दलालों के प्रतिनिधि तो मंडी कमेटी में रहेंगे ही, तो उसी में उन लोगों को भी जोड़ दिया जाय जो केन्द्रीय गोदाम वाले हैं या मंडी क्षेत्र में क्रय-विक्रय करने वाले लोग हैं । लेकिन यहां एक ही किस्म के लोग हैं और यहां भिन्न-भिन्न तरीके से संख्या बढ़ाने के लिये उनको रख दिया गया है, इन्हीं के नुकसान को पूरा करने के लिये आठवें नंबर पर एक और बढ़ा दिया गया है । इसमें एक सरकारी अफसर भी होगा जो सरकार के द्वारा उसमें पहुंचा दिया गया होगा । इस तरह से इस मंडी कमेटी में एक निश्चित स्वार्थ वालों की एक और संख्या बढ़ाने की कोशिश की गयी है ताकि किसानों की लूट कानूनी तौर पर चाहे कम दिखाई दे, लेकिन दूसरी तरफ से उसको बढ़ाया ही जा रहा है । इस मंडी विधेयक के पास हो जाने के बाद भी इस समय जो लूट है, वह तो होगी ही क्योंकि उसके लिये तो वह किसी ऐसी जगह पर पहुंच जायगा जो मंडी से दूर हो जायगी, इसके साथ ही साथ इस प्रकार से कानूनी तौर से डकैती और होती रहेगी । इसलिये इस संशोधन के द्वारा ऐसे लोगों की संख्या कम करने का हमारा मकसद है ताकि किसानों की संख्या उस समिति में बढ़े और उपभोक्ता भी उसमें आ जायं । क्योंकि जहां तक ग्राहकों का सवाल है मंडी में दो किस्म के ग्राहक होते हैं । एक तो किसान का सामान खरीद करने वाला दूकानदार या व्यापारी होता है और एक स्वयं उपभोक्ता होता है । मुझे आशा है कि मंत्री जी किसानों और उपभोक्ताओं के स्वार्थों की रक्षा के लिये मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने पहले ही संकेत कर दिया कि वे इसको स्वीकार नहीं करना चाहते । इस सरकार की हठवादिता तो सर्वविदित ही है । मंत्री जी कहें या न कहें, लेकिन हम तो यह समझ कर बोलते हैं कि जनता की आवाज को आदरणीय सदन में रखना चाहिये चाहे अपनी हठवादिता से मंत्री जी उसको अनसुनी ही क्यों न कर दें । माननीय चंद्रबली जी का संशोधन बहुत ही उचित है । खंड २ और ३ को निकाल देना अत्यन्त ही न्यायसंगत है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के अतिरिक्त जो निकाय होंगे उनका प्रतिनिधि रहेगा । फिर आप भेद क्यों करते हैं ? यदि अन्य निकायों के प्रतिनिधि मंडी समिति में आप रखते हैं तो फिर क्षेत्र समिति को क्यों वंचित किया जा रहा है ? क्षेत्र समितियों का जो दायरा है वह ही करीब-करीब बड़ी बड़ी-मंडी कमेटियों का है । इसलिए क्षेत्र समितियों को रखा जाना बिलकुल न्यायसंगत है वरना इनको भी निकाल दें, फिर इन निकायों के प्रतिनिधि भी क्यों रखे जायं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, कोरम नहीं है और केबीनेट रैंक का कोई मिनिस्टर भी नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

अभी पहले कोरम की घंटी बजा दी जाय । कोरम के बाद दूसरा सवाल आपका उठ सकता है ।

(घंटी बजायी गयी और गण पूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो खंड २ में व्यवस्था है स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि रखने की, उसका कोई तारतम्य या आधार नहीं दिखाई पड़ता। इसलिये माननीय चन्द्रबली सिंह का जो संशोधन है, उसे माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये। प्रस्तावित मंडी समिति का कार्य-कलाप, क्षेत्र भिन्न है स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकायों की जो संस्थायें हैं, उसका कार्य क्षेत्र अलग है और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों को जब इसमें रखेंगे तो राजनीति परोक्ष रूप से इन मन्डी समितियों में घुस जायेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उप मंत्री जी, हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने इस बिल को पाइलेट किया है बदकिस्मती से में मौजूद नहीं है, इन पर नम्रतापूर्वक विचार करेंगे। जो उन्होंने कहा कि उसको नहीं मान सकते, तो उसको जरूर मानें, खुले दिमाग से परिवर्तन करें, यदि संशोधन के पक्ष में कोई औचित्य हो तो उस पर विचार करें। इसलिये मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि न रखे जायं। इसके संगठन में जो उत्पादक वगैरह हैं उन्हीं को आप प्राथमिकता दें, उन्हीं को रहने दें। तभी जो आपका उद्देश्य मन्डी समिति बनाने का है, उसमें सफलता मिलेगी।

*कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

माननीय सदस्य ने जो संशोधन किया है, अगर आपके इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो उस विधेयक का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना यह संशोधन वापस ले लें और जिस तरह से यह बिल यहां रखा गया है, उसको ज्यों का त्यों स्वीकृत होने दें। उसको स्वीकार होने से जो मन्डी स्तर के ये अधिकारी हैं, मन्डी समिति के और क्षेत्रीय अधिकारी हैं, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। तो मेरा यह अनुरोध है कि जो आपका यह संशोधन है, वह इस धारा को बिलकुल ही बदल देता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि उसको वापस ले लें।

श्री मैनेजरसिंह—

एक बात का मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कृपा करके मुझे समझा दें कि यदि आप इस संशोधन को स्वीकार करते हैं कि धारा (२) को निकाल दिया जाय और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मंडी समिति के सदस्य न हों, तो उसके क्षेत्राधिकार पर कैसे प्रभाव पड़ता है या आपके अधिकार पर कैसे प्रभाव पड़ता है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इस धारा के अनुसार जिन स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो फिर उनके प्रतिनिधित्व पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस संबंध में मेरा यही कहना है।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस मंडी समिति में जो दो तीन सदस्य रखे गये हैं, उसके बजाय हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने क्रम संख्या ४ पर संशोधन दिया है कि ३ के बजाय ४ करने की व्यवस्था की जाय। और यह इसलिये किया गया है ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाय। श्रीमन्, यह करना इसलिये भी आवश्यक है कि अभी जिला परिषदों का कड़ुआ तजुर्बा हमारे सामने आया है। वहां सरकार ने अपना बहुमत कायम करने के लिये विभिन्न वर्ग के लोगों को नामजद करने कर अधिकार अपने हाथ में ले लिया और इस तरह से तमाम जिला परिषदों पर अपना कब्जा कर लिया। इस मंडी विधेयक में भी यही मंशा इस समिति के गठन करने की है। इसमें भी इसी तरह से विभिन्न वर्ग के सदस्य आयेंगे और स्पष्ट रूप से इसमें राजनीति का प्रवेश होगा। इस तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनाथसिंह]

तरह की गलतियां होंगी, तरह तरह की पार्टी बन्दी और गुटबन्दी होगी जिससे तमाम परेशानियां पैदा होंगी। अभी तक उन्हीं लोगों द्वारा समितियों का गठन होता रहा है जिनका उससे सीधा सम्पर्क हो, लेकिन इसमें बाहर के लोग भी आयेंगे तो मंडियों के कार्य में अव्यवस्था पैदा होती रहेगी। माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि इससे इस विधेयक का उद्देश्य ही बदल जायगा यह सर्वथा निरर्थक और असत्य है। इसके हट जाने से इसका उद्देश्य कभी भी नहीं बदलेगा। किसी तरह की अव्यवस्था व परेशानी पैदा न हो, इसलिये मैं कहता हूं कि आप इस संशोधन को स्वीकार करें और धारा (२) व (३) को हटाने का कृपा करें।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य ने तर्क दिया कि उन्हें जिला परिषदों का बहुत ही कटु अनुभव है। इस समिति में किसी के बाहर से लाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अगर जिला परिषद् के क्षेत्र के अन्दर वह मार्केट है तो निश्चय ही उसके प्रतिनिधित्व का सवाल उठेगा। जिन स्थानीय निकायों के जुरिस्डिक्शन में वह मंडी होगी, स्वाभाविक है कि उसके प्रतिनिधित्व का प्रश्न उस मंडी कमेटी में उठेगा और उसको देना पड़ेगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो उनके क्षेत्र को खत्म कर देंगे और उनका प्रतिनिधित्व उस मंडी समिति में न होगा। यह उचित नहीं मालूम पड़ता। इसमें राजनीति की बू पता नहीं, माननीय सदस्य को कहां से सता रही है और कैसे उसमें राजनीति आ जायगी? यह किसानों के हित के लिये समिति बनाई जायगी और वह किसानों के हित का काम करेगी। उनके क्रय-विक्रय की व्यवस्था ठीक ढंग से चलाने के उद्देश्य से ही यह क्लाज रखा गया है। इसलिये यह संशोधन जो रखा गया है, इसका मैं विरोध करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय मंत्री जी को शायद यह इस पृष्ठभूमि में कठिनाई मालूम होती है कि गांव के जो उत्पादक हैं वे गांव सभा के प्रधान को ही चुनेंगे, इसलिये कि वे स्थानीय निकाय के भी मेम्बर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गांव पंचायतें व गांव सभायें जो हैं उनका तो कृषि उत्पादन से और किसानों से सीधा संबंध है, लेकिन जो स्थानीय निकायें हैं, उनका कोई संबंध कृषि उत्पादन व किसानों से नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको मानने में आपको क्या कठिनाई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे खयाल से इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जिस स्थानीय निकाय के जूरिस्डिक्शन में मंडी होगी उसका प्रतिनिधि निश्चय ही समिति में आवेगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं इस संशोधन को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (२) व (३) को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (६) में "व्यापारियों, दलालों, आढ़तियों" के आगे "तोलकों और पल्लेदारों" शब्द बढ़ा दिये जावें।

मूल अधिनियम की नीयत ठीक थी और उसमें तोलकों और पल्लेदारों के हित की रक्षा थी। परन्तु जैसे जैसे सरकार का ध्यान व्यापारियों के हित की ओर बढ़ता गया वैसे ही गरीब और चुसाये जाने वाले लोगों की ओर से हटता गया। इसलिये तोलक और पल्लेदार हटा दिया गया। यही बाजार में असली मेहनत करनेवाले लोग होते हैं और उनका प्रतिनिधि न रखना निश्चित तौर पर उन्हें पंगु बनाना है। पल्लेदार की कमरपर मंडी का सारा सामान लदा रहता है। मुझे आशा है कि मंत्रीजी उनके लिये प्रतिनिधित्व अवश्य देंगे और इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता जी, यदि माननीय मंत्रीजी और उनकी पार्टी वाकई समाजवादी उसूलों में विश्वास करते हैं और इस प्रदेश के किसान व मजदूरों के हितों की हिमायत करते हैं तो इस संशोधन को उन्हें मान लेना चाहिये। गरीब तोलक और पल्लेदार जो १ या १।। रुपये में सारे दिन मेहनत करता है, उनको आप प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। इनके श्रम का नाना प्रकार से शोषण होता है। माननीय चौधरी चरण सिंह जी इस प्रदेश के किसान और मजदूरों का नारा लगाया करते हैं, तो हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि कुछ नियत के साथ वह यह नारा लगाते हैं, लेकिन उन्हीं के विभाग में मजदूरों के हितों की हकतलफी हो रही है। आपका बहुमत है, संख्यासुर के बल पर आप चाहे जो पास करा लें, लेकिन अगर इस प्रदेश के किसान और मजदूर का आपने शोषण होने दिया तो निश्चित मानिये कि आप अपनी ही जड़ को काटते हैं। अब ज्यादा दिन तक इस प्रदेश के किसान और मजदूर आपके भुलावे में नहीं आ सकते हैं। अगर उप मंत्रीजी को चौधरी साहब का हुकुम लेने की जरूरत हो तो इसे स्थगित करदें और आगे चलें।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि इस न्यायसंगत संशोधन को सरकार मानने की कृपा करेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

हर मंडी में व्यापारी के साथ कम से कम एक तोलक और एक मजदूर अवश्य होता है। उनसे कितना श्रम लिया जाय, इस पर कौन विचार करेगा? क्या वे आढ़तिये और दलाल करेंगे? अगर ज्यादा नहीं तो एक तोलक और एक पल्लेदार का प्रतिनिधित्व अवश्य दें। इसलिये मैं माननीय चन्द्रबली सिंह ने जो संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसे मानने की कृपा करेंगे।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

इस विधेयक का मंशा यह है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाय, उत्पादकों को अच्छे दाम मिल सकें, मंडियों में जो अवैधानिक कार्यवाहियां होती हैं वे रोकी जा सकें और उपभोक्ताओं को ठीक दाम पर सौदा मिल सकें। चन्द्रबली सिंह जी का संशोधन इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। कीमतों को तय करना तो सरकार इससे बाहर मानती है। परन्तु इस बात को तो यह सरकार भी मानती है कि जितना ज्यादा इन समितियों में उत्पादकों और उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व होगा उतनी ज्यादा उनके हितों की रक्षा हो सकेगी। तोलक और पल्लेदार जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उनके हितों की रक्षा इस बिल से नहीं हो रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस चन्द्रबली सिंह जी के संशोधन को जरूर माना जाय और उसी श्रेणी में जिस में दूसरों का रखा गया है उसी में तोलक और पल्लेदारों को भी रखा जाय, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके।

श्री बृजबिहारी—

अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस संशोधन को देख कर आश्चर्य हुआ और माननीय सदस्य की बात सुनकर मैं आश्चर्य चकित हो गया। जिस खंड पर वाद-विवाद हो रहा है

[श्री बृजबिहारी]

उसके उपखंड ४ को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "मंडी क्षेत्र में, व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, सर्वेक्षक, गोदाम परिचालक, तोलक या पल्लेदार के रूप में कृषि-उत्पादन का कारोबार करने वाले या काम करने वाले, और उसके लिये इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस रखने वाले, ऐसे व्यक्तियों के तीन प्रतिनिधि होंगे" इसके अर्थ यह हुये कि इन सब का प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा और ३ आदमी उनकी ओर से चुने हुये उसमें आयेंगे। उस में संशोधन लाकर माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रतिबन्ध यह होगा कि तोलक और पल्लेदारों के तीन प्रतिनिधि अवश्य होंगे" इसका मतलब यह हुआ कि तोलक और पल्लेदारों के ही प्रतिनिधि होने चाहिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

वह तो कोष्ठक में है, वह तो निकल गया है, उसको क्यों पढ़ रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

नम्बर ३ पर जोड़ने का है उसको देखें।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री बृजबिहारी--

मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस संशोधन के स्वीकर करने से बजाय लाभ के और हानि ही होगी। इससे आप व्यापारियों को अधिकार दे देंगे कि उनके जो पल्लेदार या जो तोलाक होते हैं वे व्यापारियों के एम्पलाई होते हैं उनका प्रतिनिधित्व और बढ़ने से तो जो नियंत्रण का अभिप्राय है कि व्यापारियों को अधिकार न दें और किसानों का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो वह खत्म हो जायगा। उनकी जो हानि होती है उसी से हम बचाना चाहते हैं और इसको स्वीकार करने पर उनकी अधिक क्षति होगी इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह मैं समझता हूं कि बहुत ही न्यायसंगत है। माननीय मिश्र जी को इस संशोधन से बहुत आश्चर्य हुआ परन्तु मुझे उनकी बात सुनने से आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि हम भलीभांति जानते हैं कि हम जब भी छोटे आदमी की बात उठायेंगे तो उन्हें आश्चर्य होगा। आप मंडी समिति में व्यापारी, आढ़ती और दलालों को सब को स्थान देने जा रहे हैं, लेकिन उस पल्लेदार और तोलक को जिन्हें आप लाइसेंसबद्ध करना चाहते हैं उसका समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं। उन पर कभी लाइसेंस नहीं था, इन छोटे आदमियों पर आप वह लगाना चाहते हैं। उनका कोई प्रतिनिधित्व कोई वास्ता कमेटी से न रहे यह अनुचित बात होगी। अतः इस संशोधन के द्वारा जो मांग की गई है वह बहुत ही न्यायपूर्ण है और उसको मान लेना चाहिये।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिल बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष जी, जो संशोधन चन्द्रबली सिंह जी का प्रस्तुत है उस का मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित संशोधन है और इसे मंत्री जी को अवश्य मान लेना चाहिये। मान्यवर, कितने अफसोस की बात है और अफसोस की ही नहीं कितने शर्म की बात है कि दलालों को रिप्रिजेन्टेशन दिया गया है। एक दलाल तो मंडी कमेटी का मेम्बर हो सकता है, लेकिन वह मजदूर जो कि अपनी पीठ पर गल्ले को इधर से उधर ले जाता है और अपने खून और पसीने को बहा कर एक करता है उस गरीब मजदूर का रिप्रिजेन्टेशन नहीं है। दलाल जिसको समाज में नीची निगाह से देखा जाता है उनका तो रिप्रिजेन्टेशन है, परन्तु पल्लेदारों और तोलकों का कोई रिप्रिजेन्टेशन नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बार-बार उस एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं ?

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

बार-बार ही मैं रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि बड़े अफसोस की बात है कि ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद जब इस बिल को पढ़ा तो और भी एबसर्ड हो कर आया है । नहीं मालूम कि ज्वाइन्ट कमेटी के मेम्बर कैसे थे और खास तौर से मैं तो मंत्री जी को इसके लिए दोषी ठहराता हूं कि उन्होंने नहीं सोचा कि छोटे से छोटे मजदूर जो कि दिन में १ रुपया १ १/२ रोजाना कमाता है उनके हितों को रक्षा करने के लिए उनको रिप्रिजेन्टेशन देने का विचार नहीं किया गया है । उनको किसी किस्म का प्रोत्साहन नहीं दिया गया कि वे भी अपनी नुमाइंदगी करवा सकें बल्कि दलालों का महत्व सोचा गया । यह दलालों की सरपरस्ती किस तरह से की । दलाल तो व्यापारियों के टूल होते हैं कि किस तरह से किसानों को लूटने और ठगने का काम किया जाय । अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को नहीं मानते तो वे बड़ी नाइन्साफी करते हैं ।

श्री रघुनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधत धारा १२ जैसा कि माननीय चंद्रबली जी ने कहा कि इसके पुराने विधेयक में तो दलाल और पल्लेदार शब्द थे, लेकिन इसमें से निकाल दिए गये हैं । पुराने विधेयक में जो ये दलाल और पल्लेदार इत्यादि थे तो उस समय मैंने संशोधन रखा था कि कुछ ऐसी शर्तें या बांध लगा दें कि एक ही वर्ग के तीन लोग न हो जायं । इन ३ आदमियों में से एक ही वर्ग में से एक से अधिक आदमी न रहें । माननीय मिश्र जी ने कहा कि अगर माननीय चन्द्रबली सिंह जी का कहा मान लिया जायगा तो इससे व्यापारियों का ही पक्ष होता है तो ऐसा करने से किसानों का अहित होगा । मेरा निवेदन है कि इसमें किसानों के अहित की बात नहीं है । वे ३ प्रतिनिधि तो आने ही हैं । पर मेरा तो निवेदन यह है कि तोलक और पल्लेदारों का प्रतिनिधित्व अवश्य रहे इस समिति में, तब यह विधेयक ज्यादा उदार हो जायगा ।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

आपने मंत्री जी को जवाब के लिये बुलाया है या बोलने के लिये और उनके बाद दूसरे सदस्य भी बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनके बाद चन्द्रबली सिंह जवाब देंगे । कोई अन्य सदस्य नहीं बोलेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उनको बोलने का मौका आपको देना चाहिये । समय तो काफी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास संशोधन भी बहुत हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

बगैर तोलक और पल्लेदार के सहयोग के मंडी चल नहीं सकती। यह विषय काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आप बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर सारे आर्ग्युमेंट्स एग्जास्ट हो चुके हैं।

श्री चरणसिंह—

तोलक और पल्लेदार अपनी स्वतंत्र हैसियत नहीं रखते। ये दूकानदारों के नौकर हैं। हमको किसान की हिफाजत करनी है एज अगेन्स्ट दी ट्रेडर। व्यापारी किसान के मुकाबले में होशियार होता है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी किसान की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है बनिस्बत व्यापारी के। यहां भी कांफ्लिक्ट है ट्रेडर और किसान में। किसान आर्गनाइज्ड नहीं है। गांव में अलग-अलग रहते हैं। दूकानदार आर्गनाइज्ड है मंडी में। किसान बेपढ़ा है और दूकानदार पढ़ा हुआ है। किसान का वास्ता जमीन और जानवर से पड़ता है, ट्रेडर का वास्ता आदमी से पड़ता है। इसलिये ट्रेडर होशियार होता है। इसलिये उस ट्रेडर की होशियारी और चालाकियों से हमें रक्षा करनी है किसानों की। तोलक और पल्लेदार यह ट्रेडर के इंटरेस्ट में आते हैं। कमीशन एजेंट जरूर ऐसा है जो दोनों की सेवा करता है हालांकि ताल्लुकात ज्यादा परवेजर से ही उसके भी हैं। फिर भी किसान की गरज है क्योंकि वह कुछ सेवा दोनों की करता है।

श्री श्रीराम—

कमीशन एजेंट शब्द जो है उससे आपका मतलब आढ़तिये से है या तुलैये से ?

श्री चरणसिंह—

कच्चे अढ़तिये से है।

श्रीमान्, यह जो तोलक और पल्लेदार हैं इसका अपना इंटरेस्ट नहीं है बल्कि ट्रेडर का है, इसलिये इनको रखने की जरूरत नहीं समझी गई। अगर इनको रखने की जरूरत है तो किसान के नौकर मजदूरों को भी रखा जाय, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा किसान को मिलेगा उतना ही ज्यादा वेतन उनको मिलेगा। इसके अलावा ३ दुकानदार के हो गये और पल्लेदार और तोलक में से एक को रखा जाय तो उनमें झगड़ा होगा। इस तरह से पांच हो गये। अब किसान के रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया जाय तो इस तरह से बड़ी भारी सभा हो जायगी। इसीलिये सिलेक्ट कमेटी ने मुनासिब समझा कि केवल कच्चा आढ़ती, पक्का आढ़ती और एक किसान को रखा जाय। अब कर्दा काटने वाला, गौशाला वाला, पानी वाला यानी जितने भी किसान के दाम काटने वाले हैं सबको रख दिया जायगा तो ठीक नहीं रहेगा। अगर हमारी तरफ से यह सुझाव होता तो उधर से कपड़ा फाड़ डालते। यह सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आया जो अपने आपको बहुत कुछ समझते हैं। मुमताज साहब गलत चीज को भी प्लीड कर सकते हैं इसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मंत्री जी ने जो पहले भावना व्यक्त की थी उससे सहमति प्रकट करता हूं। हम भी कृषकों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि यदि इसको मान लिया जाय तो पल्लेदार और तोलक तो इनके ही आदमी हो जायेंगे। आपने संशोधन पर गौर नहीं किया। जो ३ प्रतिनिधि आप रखते हैं, उसमें यह मांग की गई है कि तोलक और पल्लेदार जिनका सीधी सादा संबंध है इस व्यवसाय से, उनको भी जोड़ दिया जाय। लेकिन प्रतिनिधि ३ ही रहें। इसमें क्या कठिनाई है ? दूसरे, आपने कहा कि व्यापारी बड़ा

होशियार होता है। इसलिये हम चाहते हैं कि जहां आप तीन बहुत होशियार यानी धूर्त रख रहे हैं वहां एक कम जानकारी वाला भी रह जाय तो क्या हर्ज है ? इससे सीधा सादा मजदूर आ जायगा और जो भावना आपने व्यक्त की है उसकी रक्षा भी हो जायगी ।

श्री चरणसिंह--

श्रीमन्, जैसा मैंने कहा कि ये दुकानदार के मुलाजमीन हैं और ये लोग उनके ही इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। अगर इनको ले लिया जाय तो वे दुकानदार के हाथ में रहेंगे। तोलक, पल्लेदार और किसान ही ज्यादा कमेटी में आ जायेंगे और दुकानदार रह जायेंगे। लेकिन हमें दुकानदार से ही बात करनी है। अगर किसान और पल्लेदार हो गये तो यह अच्छी कमेटी रही। सारा मामला किसान और व्यापारी के बीच का है। तो अगर इसमें मालिक और मालिक के नौकर ही आगये तो समझो मालिक ही मालिक आ गया और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें एलेक्टोरल रोल बढ़ाना पड़ा। और अगर पल्लेदार कमेटी में आ गये तो फिर मतलब हल नहीं होता इसलिये दोनों से गिर जाता है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का कहना है कि तोलक और पल्लेदार व्यापारियों के नौकर होते हैं। उनका कथन बिलकुल असत्य है। पल्लेदार किसी का नौकर नहीं हुआ करता। जिस तरह से रेलवे स्टेशनों पर कुली होते हैं उसी तरह से बाजारों में पल्लेदार होते हैं और जिनका गल्ला या सामान ढो देते हैं उनसे १ आना २ आना फौरन पा जाते हैं। किसी व्यापारी से उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इसी तरह से तोलक भी उसका नौकर नहीं होता। मंत्री जी को सबसे बड़ी घबराहट है कि तोलक और पल्लेदारों की संख्या बाजारों में अधिक होती है और उनका स्वार्थ भी इस किस्म का होता है जैसे मजदूर का होता है और अगर पल्लेदार या तोलक के प्रतिनिधि ज्यादा हो गये तो मंत्री जी का मंशा हल नहीं होता। वह तो चाहते हैं कि व्यापारी ज्यादा आवें लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगले संशोधन को आप देखिये। उसमें यह है कि व्यापारियों के प्रतिनिधि एक और तोलकों और पल्लेदारों के तीन रहें लेकिन पल्लेदार और तोलक भी रहें ताकि वे अपने हकों के लिये व्यापारियों से लड़ सकें। मैं समझता हूं कि मंत्री जी की शंका भी उससे हल हो जाती है कि व्यापारियों के सीधे प्रतिनिधि रहें। पल्लेदार और तोलक को लाइसेंस लेना पड़ता है बाजारों में इसलिये उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये। मंत्री जी ने मजाक किया कि रसोइया को भी रखा जाय, पुजारी को भी रखा जाय और दूसरे नौकर व्यापारियों के घर भी रखा जाय, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उनके लिये इस विधेयक में लाइसेंस कहां रखा है। अगर आप उनके लिये भी लाइसेंस की व्यवस्था करते हैं तो हर जनतंत्रवादी यह कहेगा कि उनका भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में हो। जो कमेटी उनको लाइसेंस देगी उनमें उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिये कि उनके हकों की रक्षा हो। जब उन्हें लाइसेंस लेना जरूरी है, जब वे व्यापारियों के नौकर नहीं है और तीसरे जब व्यापारियों के प्रतिनिधि रहेंगे तो पल्लेदार और तोलक का भी होना चाहिये। मंत्री जी की शंका का समाधान इस संशोधन में है। लेकिन मंत्री जी शायद लगता है इसको उन्होंने गौर से पढ़ा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। नहीं तो शंका का समाधान इसी में था। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मान जायं और इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, कोई बड़े उसूल की बात नहीं है, व्याख्यान तो चाहे जितना लम्बा कोई दे सकता है। व्यापारियों का एक ही प्रतिनिधि हो १८ में यह कुछ अच्छा नहीं लगता है, कम से कम मुझे अपील नहीं करता। मैं तो और बढ़ाना चाहता था और आप बिलकुल एक ही कर देंगे, यह कुछ ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री चन्द्रबलीसिंह—

यह केन्द्रीय गोदाम निगम क्या है ? यह सहकारी समिति का प्रतिनिधि क्या है ?

श्री चरणसिंह—

सहकारी समिति का प्रतिनिधि अगर व्यापारी होगा तो वह सहकारी समिति, सहकारी समिति कहलाने की हकदार नहीं ।

दूसरी बात यह है कि जो कान्फ्लिक्ट आफ इन्टरेस्ट है वह ट्रेडर और ग्रोअर में है । उन्हीं को हम एक दूसरे के पास बैठाना चाहते हैं न कि पल्लेदारों और तोलकों से उनका कोई झगड़ा है । इसलिए यह गैर जरूरी है । तो मेरी वही राय है और मैं यह अमेंडमेंट स्वीकार करना पब्लिक हित में नहीं समझता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (६) में व्यापारियों, दलालों, आढ़तियों के आगे 'तोलकों और पल्लेदारों" शब्द बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री होरीलाल यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (६) की अन्तिम लाइन में तीन की जगह चार कर दिया जाय और उसके नीचे निम्नांकित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—"प्रतिबन्ध यह होगा कि तोलकों और पल्लेदारों के तीन प्रतिनिधि अवश्य होंगे ।

माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक इसलिये पेश किया है कि उत्पादकों और उपभोक्ताओं का इससे हित हो सके और मंडियों में, बाजारों में उनका आधिपत्य हो सके । अभी तक तो व्यापारियों का ही मंडियों में आधिपत्य हुआ करता था इसलिये तोलक और पल्लेदार उनके ही आधिपत्य में रहा करते थे । अब उनका आधिपत्य हट जायगा और उनको अब उस रीति नीति से काम करना होगा जो मंडी समिति तय करेगी । तो इसमें अब वह बात नहीं रहेगी कि तोलक या पल्लेदार आढ़तियों के कहने के अनुसार ही कार्य कर सकेंगे । अब वह स्वतंत्र होंगे, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस लेकर ही वह बाजार में काम कर सकेंगे । ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि तोलकों और पल्लेदारों के भी प्रतिनिधि उसमें पहुंचें और उनकी संख्या वहां ज्यादा बनी रहेगी तो उस संख्या के बल पर ही उत्पादक अपने हितों की रक्षा अच्छी तरह से कर सकेंगे । इसलिये उनकी संख्या तीन की जगह चार कर दी जाय और प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि कम से कम तीन प्रतिनिधि उनके वहां अवश्य पहुंचें । मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें ।

*श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें मैं पहले अर्ज कर चुका हूं उससे आगे कुछ कहने को शेष नहीं है । वही मैं फिर दुहराये देता हूं कि ट्रेडर और किसान के बीच सारा मामला है । अब हम ट्रेडर की जगह रखना चाहते हैं पल्लेदार और तोलक तीन और ट्रेडर एक जबकि सारा मामला तय होना है ग्रोअर और ट्रेडर के बीच में । ग्रोअर को क्या शिकायत है पल्लेदार और तोलक से ? कुछ भी नहीं । वह तो दूकानदार के रेप्रेजेन्टेटिव्ज हैं और उनके कहने पर काम करते हैं । कोई किसान और उनके बीच मफाद का संघर्ष तो है नहीं । जो इन्टरेस्ट में कान्फ्लिक्ट है वह तो ट्रेडर ग्रोअर में है, तो उनका रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिये । पल्लेदार और तोलक से मसला क्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]
हल होगा ? और पांच सात रख दीजिये, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ? इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री होरीलाल यादव—

मैं मंत्री जी की दलील से अपने को सहमत नहीं पाता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी अब भी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (६) की अंतिम लाइन में "तीन" की जगह "चार" कर दिया जाय और उसके नीचे निम्नांकित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—"प्रतिबन्ध यह होगा कि तोलकों और पल्लेदारों के तीन प्रतिनिधि अवश्य होंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

(अगला संशोधन लिया जाने पर)

श्री चरणसिंह—

अब देखिये, जो सज्जन यह कह रहे हैं कि चार आदमी हों तीन की जगह। वही यह कह रहे हैं कि उसको निकाल दिया जाय ।

श्री होरीलाल यादव—

मेरा उद्देश्य निकालने का नहीं था ।
मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) का भाग (८) निकाल दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले रही है कि वह अपने द्वारा एक नामजद मेम्बर उसके अन्दर भेजेगी । अभी तक का जो अनुभव रहा है वह यह रहा है कि सरकार ने जहां-जहां पर इस प्रकार का अधिकार अपने हाथ में लिया है। उस अधिकार का उपयोग उसने अपने दल के हित में किया है और अपने दल को मजबूत करने के लिये किया है। जनता के हित में इसको प्रयोग करने के लिये नहीं किया है। जिनको कोई ज्ञान नहीं है ऐसे व्यक्तियों को भी उसमें रखा गया है। इस प्रकार के क्लाज यह सरकार रखती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस भाग को हटा दिया जाय और यह अधिकार सरकार अपने हाथ में न ले ।

*श्री चरणसिंह—

मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। आप यह कह रहे हैं कि यह जो सरकारी कर्मचारी नामिनेट किया जायगा यह सरकार का कोई मतलब पूरा करेगा। मतलब मालूम नहीं है, लेकिन वह गवर्नमेंट का मतलब जरूर पूरा करेगा। गवर्नमेंट का मतलब और कुछ नहीं है सिवाय पब्लिक के मतलब के। इस कमेटी की इमदाद के लिये एक एक्सपर्ट ऐडवाइजर के तौर पर उसका मेम्बर रहेगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सेक्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसका कोई इंस्पेक्टर रहेगा और वह उन लोगों को गाइड करेगा। उनको बतलायेगा कि इस तरह से गोदाम बनाइये, वह उन लोगों को सजग रखेगा और हर समय वहां रहेगा। लोग उसके पास शिकायत भी कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि उसके रहने से क्या दिक्कत है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोस्तों को एक मशविरा देना चाहता हूं कि अगर इस विधेयक में कोई नुस्ख नहीं है, ढूंढे से नहीं मिलता तो क्या जरूरी है कि संशोधन पेश किये जायं, या ऐसे संशोधन पेश किये जायं कि जिससे विधेयक खराब हो जाय ।

श्री होरीलाल यादव—

मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (८) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"(८) उपभोक्ताओं के ५ प्रतिनिधि। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे उनके द्वारा क्षेत्र बांट कर किया जाय।"

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

श्रीमन्, मेरा एक संशोधन रह गया है खंड १२ के (१) के भाग (६) में।

श्री उपाध्यक्ष—

यह टाइम वार्ड है। यह ३६ घंटे पहले आना चाहिये था।

श्री चन्द्रबली सिंह—

यह भाग (८) इसलिये हटा दिया जाय कि वहां सरकारी कर्मचारियों का एकाधिकार हो जाता है। सरकार ने यह समझ रखा है कि जिस तरह से उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिये राज्यपाल है उसी तरह से जो भी कमेटियां नीचे बनती हैं उनमें भी एक अंकुश लगा दिया जाय। उसी मकसद को पूरा करने के लिये सरकार अपने अधिकारी को वहां बिठाने की बात करती है। उसे हटाने के लिये मेरा संशोधन है और उसके स्थान पर उपभोक्ताओं के ५ प्रतिनिधि रख दिये जायं। जहां तक उनके चुनाव का सवाल है १० प्रतिनिधि उत्पादकों के हैं, उसी तरह से उपभोक्ताओं के जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव गांव सभाओं के जरिये से न हों क्योंकि प्रधान तो भेंघा के तौल हैं, वे लाठी के बल पर वोट देते हैं। वह बिक भी जाते हैं, तो ये सभापति व्यापारियों के हाथ में बिकेंगे और किसानों का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पायेगा। इसलिये प्रधानों द्वारा १० न चुन करके उनका क्षेत्र बांट करके उत्पादकों के प्रतिनिधि लाने का प्रबंध किया जाय और साथ ही उपभोक्ताओं का भी क्षेत्र बांट दिया जाय और उनका सीधे चुनाव कराया जाय। प्रधानों के प्रतिनिधि न लिये जायं। इस तरह से जहां आप मंत्री जी शुरू से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि किसानों और व्यापारियों का सम्पर्क हो तो उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानों के प्रतिनिधि न रखे जायं। आज प्रधान चाहे जिस पार्टी का हो, अपने आप को अधिकारी समझता है वह तो समझता है कि हम सरकार के अंग हैं। तो सरकार के अंग का आदमी घुस जाय और किसानों के, उत्पादकों के क्षेत्र से आने वाले प्रतिनिधियों का स्थान न हो? इसलिये मैं चाहता हूं कि उत्पादक के प्रतिनिधि भी रखे जायं, उनके चुनाव की भी पद्धति सीधे रखी जाय। उत्पादकों के प्रतिनिधि आयें, गांव के प्रधानों के प्रतिनिधि न आवें।

श्री चरण सिंह—

(श्री मैनेजर सिंह से) आप शायद इसका समर्थन नहीं करेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

अभी माननीय कृषि मंत्री जी का आदेश हुआ है कि मैं इसका समर्थन न करूं, लेकिन मैं अपने विचारों से विवश हूं। इसलिये माननीय चन्द्रबली के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कल आम विवाद के सिलसिले में कहा कि जब नियत पर हमला होता है तो हर आदमी को बुरा लगता है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी उन मंत्रियों में हैं, जिनकी नियत पर विरोधी पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य अविश्वास नहीं करते हैं और यही नहीं, बार-बार इस आदरणीय सदन में, विशेषकर विरोधी पक्ष से कहा जाता है कि माननीय चौधरी चरणसिंह ऐसे मंत्री जिनकी नियत पर किसी को अविश्वास नहीं है। जो प्रस्ताव माननीय चौधरी साहब इस सदन में प्रस्तुत करते हैं, उनकी भावनाओं में, उनके विचारों में हमारे साथियों को संदेह नहीं होता है। इन शब्दों के साथ, इस विधेयक के सिलसिले में और इस धारा के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जो उनकी भावनायें हैं, उसका हम स्वागत

[श्री मैनेजरसिंह]

करते हैं, उसको मानते हैं और उनकी भावनाओं पर हम संदेह नहीं प्रकट करते हैं। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, हमारे कृषि मंत्री जी जब जब इस प्रदेश के कृषकों के हित के लिये कदम उठाते हैं, तब तब उन्हें असफलता ही हाथ लगती है। माननीय मंत्री जी ने प्राविधान किया है कि सरकारी अधिकारी रहेंगे। सरकारी अधिकारी इसलिये रहेंगे कि सरकार के वे पारस पत्थर की तरह से हैं। जिसको छू दें वही सोना हो जाय। सरकार इस बात को मान कर चलती है। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के अन्तर्गत भी इस सरकार का जन प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है। जब जनता के विवेक पर, जनता की जेहनियत पर विश्वास नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि कैसे इस देश की गाड़ी चलेगी? यदि आपको विश्वास नहीं है कि इन प्रतिनिधियों पर तो मैं भी कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था आपने मंडी समितियों की रचना के लिये रख छोड़ी है कि सभापतियों के १० प्रतिनिधि होंगे तो मैं भी जानता हूं कि हमारे जो सभापति हैं वह गांव के प्रतिनिधि हैं और उनका इनडाइरेक्ट सम्बन्ध है कृषि उत्पादन से। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण के सिलसिले में जो ढांचा आज जिला परिषद् और क्षेत्र समिति का खड़ा किया गया है और उससे पंचायतों का जो सीधा सम्बन्ध है। उसके फलस्वरूप राजनीतिक दलबन्दी पंचायतों तक पहुंच गयी है और उसका दोष ७५ फीसदी से अधिक कांग्रेस पार्टी का है। जिला परिषद् के चुनाव में.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसी पर बोलें तो ज्यादा उचित होगा। आप जो कह रहे हैं यह बहुत फार फेज्ड हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं उसी पर बोल रहा हूं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव में दलगत आधार पर और विधिवत् कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड द्वारा उम्मीदवार खड़े किये गये। इस ने पंचायतों की बड़ी इकाई को दलगत राजनीति में कांग्रेस ने घसेड़ा। वहीं से गांव सभाओं तक वही दलगत राजनीति गयी है। मुझे भय है कि यह बात सरकारी रूप से आपके सामने आयेगी जब मंडी समिति की रचना होगी। उसमें भी दलगत चुनाव होंगे। आपकी नेकनीयती पर विश्वास रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जो ढांचा आप स्वीकार कराना चाहते हैं वह भले ही बहुमत के बल पर या ओजस्वी तर्क के बलपर पास करा लें, लेकिन उससे आपकी भावना कारगर नहीं होगी। इसलिए आप इसमें कहीं इस प्रकार की व्यवस्था करें कि उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि सीधे आवें। इस नीति को सरकार को बदलना चाहिये कि हर जगह सरकार का एक सी० आई० डी० या पंचमांगी सरकारी कर्मचारी वहां प्रत्येक संस्था में रहेगी। विधेयक में भले ही कह दें कि उसको समिति के निर्देशन में कार्य करने के लिये रखा गया है, लेकिन बाद में जो सरकारी आदेश निकलगे उनके द्वारा सारे अधिकार और सारा तंत्र सरकारी अधिकारी के हाथ में दे दिया जाता है। इस प्रकार से इन संस्थाओं का विकास नहीं हो पाता है, इनमें आत्मनिर्भरता नहीं हो पाती है। इसलिये चन्द्रबली जी के प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके आप इसको स्वीकार करें।

आपने पटवारियों की जगह लेखपालों को रख दिया तो क्या हुआ? पहले पटवारी इंतखाब के लिये ४ आने और एक बोरा भूसा लेता था, आज लेखपाल ४, आठ और दस रुपये लेता है। आधे से अधिक लेखपाल गोल्डेन वाच पहिनते हैं और हर एक के यहां एक एक मुहर्री (क्लर्क) काम करता है। यह ठीक ही कहा गया है कि राज्यपाल के नीचे की तरफ जितने भी पाल हैं वह बड़ कष्टदायक सिद्ध हुये हैं जनता के लिए। इसलिये चौधरी साहब विचार कर लें, वरना इससे जनता का बड़ा अहित होगा। आपने शिकमी किसानों के हित में ड्रइंग स्कीम चलाया था कि मजिस्ट्रेट मौके पर जाकर कब्जा लिख देंगे। इस प्रदेश के जो शिकमीदार काबिज थे उनकी ही उस कानून की तहत में सफाया हो गया। आप इसकी जांच करा लें।

एक सदस्य—

कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

*श्री चरणसिंह—

मैंने माननीय मैनेजरसिंह को पहले ही सलाह दी थी कि वे इस संशोधन पर बोलने की गलती न करें। उनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिये, इसलिये उनका भाषण बेखयाल पर उतरा। मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक को इस उद्देश्य से लाया गया है कि जब किसान अपना माल मंडी में ले जाय तो उसके साथ अन्याय न हो। उसका व्यापारी से और कमीशन एजेन्ट से ही ज्यादातर वास्ता पड़ता है। यह लोग बेजा तरीके से उसकी हजामत न बना लें, इसलिये यह विधेयक लाया गया है। उसके लिये एक कमेटी होगी। उसमें राज्य कर्मचारी भी होंगे, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे, वेयरहाउसिंग के प्रतिनिधि होंगे, टाउन एरिया या म्युनिसिपल बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे, दूकानदारों के भी प्रतिनिधि होंगे। आप को मालूम होना चाहिये कि किसान होलसेलर्स को ही अपना माल बेचता है। उपभोक्ता तो रिटेलर से ही माल खरीदता है। उसका डाइरेक्ट सम्पर्क किसान से नहीं होता। प्रोग्रेर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कन्ज्यूमर्स को बहुत ज्यादा माल खरीदना होगा तो वह होलसेलर से ले लेगा। तो कन्ज्यूमर्स उसमें कहां आ जाता है और उसको यहां क्यों रख दिया जाय? मैं उसको जरूरी नहीं समझता (व्यवधान) प्रोग्रेर तो अपनी जरूरत के लिये अपनी प्रोड्यूस को पहले ही रख लेता है। लखनऊ की मंडी में कैसे काम बनेगा? श्री मैनेजरसिंह से मैं पूछता हूं कि लखनऊ की मंडी में जो मार्केटिंग कमेटी बनेगी उसमें ५ रिप्रेजेन्टटिव कन्ज्यूमर्स के लखनऊ शहर के होंगे। तो चुनाव होगा, उसकी इलेक्टोरल रोल कितनी बड़ी होगी। उसमें पार्टीबाजी भी होगी, और कितना खर्चा उसमें होगा। लेकिन इसमें जो हम चुनाव कर रहे हैं वह सभापति के जरिये से कर रहे हैं। वे पंचायत के मेम्बरों द्वारा भी नहीं चुने जायेंगे, केवल प्रधान चुनकर भेजेगा। यह एक प्रकार से इनडायरेक्ट चुनाव होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से कन्ज्यूमर्स को इसमें ऐडजस्ट किया जा सकता है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी उपभोक्ताओं को इसमें रखने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि वे तो इसका पहले से ही इरादा किये बैठे हैं इसलिये कोई तर्क उनकी समझ में कैसे आये। आज उपभोक्ता कष्ट में है, भाव के द्वारा उसकी दुहरी लूट हो रही है। अगर देखा जाय तो मंडी का सम्बन्ध होता है उपभोक्ता से, उत्पादक से, व्यापारी से, तौलक से, पल्लेदार से और दलाल से। इन सब को ही मिला कर मंडी बनती है। लखनऊ शहर की मंडी में यहां के ही उपभोक्ता तो न होंगे। बाहर के भी होंगे। इस नगर में जो भी ग्राहकी करने आता है वह ग्राहक होता है, उपभोक्ता होता है। अब मंत्री जी कहते हैं कि उसमें पार्टीबाजी हो जायगी। मंत्री जी ने पहले प्रचार किया था कि गांव सभाओं में पार्टीबाजी न किया जाय और फिर कहा कि क्षेत्र समितियों में राजनीति न जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहस का जवाब दीजिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मन्त्री जी ने कहा कि चुनाव का खर्चा बढ़ जायगा। यह बात इसलिये कहते हैं कि वहां पर संख्या कम होगी तो लोगों को खरीदा जा सकेगा, जिस प्रकार से विधान सभा के सदस्यों को कानपुर वाले खरीद लेते हैं। अगर विधायक १ हजार रुपये में बिकता है तो प्रधान १० रुपया में बिकेगा और उसका सारा खर्चा व्यापारी देगा। इसीलिये चुनाव पद्धति के संबंध में मुझे कहना है कि उन क्षेत्रों के किसानों के और उपभोक्ताओं के सीधे-साधे प्रतिनिधि आयेंगे तो सही माने में यह कमेटी जनता की, उपभोक्ताओं की व उत्पादकों की होगी जो कि आज सताये जाते हैं व दबाये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज जिला परिषदों में हर क्षेत्र के बड़े आदमी लाठी और पैसे के बल पर सदस्य हो गये हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनवाना चाहे तो जिला परिषद् का सदस्य नहीं बनवा सकती, उसी तरह से कि सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ या कम्युनिस्ट पार्टियां तो तो क्या वे अपनी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को ब्लाक प्रमुख, नहीं बनवा सकती। ये जो सभापति हैं इनका कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि ये १०–१० रुपयों पर बिकते हैं। यह भी है कि दसों आदमी लाठी बर्छी लेकर आ जाते हैं, रिश्तेदारों का दबाव पड़ता है और सब लोगों के पहुंचने पर बेचारा प्रधान दब जाता है और इस तरह से वाकई में जनता से दूर हो जाता है और उसकी कोई मदद नहीं कर पाता है। इसीलिये इधर और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों से मेरा यह कहना है कि जहां तक चुनाव की पद्धति है, चुनाव प्रधानों के जरिये न किया जाय, नहीं तो निश्चित रूप से खालिस व्यापारियों के प्रतिनिधि उस कमेटी में रहेंगे और नतीजा यह होगा कि माननीय मंत्री जी का मन उसमें से उपभोक्ताओं को निकालने का न हो, तो भी वह कमेटी व्यापरियों के हाथ में ही रहेगी और जिस लूट को खतम करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है वह उद्देश्य सिर्फ कागज पर ही धरा रह जायगा और अलमारी की शोभा बढ़ाता रहेगा।

श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबलीसिंह को गैर मुतल्लिक और बिलकुल गैरजरूरी व बेमौके की बात पर इतने जोर से बोलने के लिये मैं बधाई देता हूं, लेकिन इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (१) के भाग (८) के स्थान पर निम्न रख दिया जाय :

"(८) उपभोक्ताओं के ५ प्रतिनिधि।

उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे उनके द्वारा क्षेत्र बांट कर किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "की रीति" और तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ऐसी होगी" के बीच में शब्द "तथा अवधि" रख दिये जायं।

मान्यवर संशोधित खंड इस तरह से होगा—

(२) उपधारा (१) के खंड (१), (२), (३), (६) और (७) के अधीन निर्वाचित होने के लिये पात्र व्यक्तियों की अर्हतायें और उनके निर्वाचन की रीति तथा अवधि ऐसी होगी, और तदर्थ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ऐसी रीति से किया जायगा जो नियत की जाय।

मान्यवर, इस खंड १२ की उपधारा (१) में इस समिति के संघटन की व्यवस्था की गयी है और समति का चयन दो प्रकार से होगा। एक निर्वाचन से और दूसरे नाम निर्देशन

[श्री भीखालाल]

के जरिये। निर्वाचन की व्यवस्था उपधारा (१), (२), (३), (६) और (७) में की गयी है और नाम निर्देशन की व्यवस्था उपखंड (४), (५) और (८) में की गयी है। जहां तक नाम निर्देशन सदस्यों की बात है, उसके लिये उपधारा (३) में लिखा हुआ है, (३) उपधारा (१) के खंड (४), (५) और (८) के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भीतर किया जायगा जो नियत की जाय।

लेकिन जो उपखंड (१), (२), (३) (६) और (७) के अधीन निर्वाचित होंगे उनके लिये कोई अवधि नहीं निश्चित है। इसी खंड की उपधारा (११) में लिखा हुआ है कि "उपधारा (१) या (२) में किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई सदस्य नियत अवधि के भीतर यथाविधि निर्वाचित न किया जाय तो राज्य सरकार उस वर्ग में आने वाले किसी उपयुक्त व्यक्ति को समिति का सदस्य नियुक्त कर सकती है।" उसमें लिखा है कि 'नियत अवधि के भीतर' यानी निश्चित समय के भीतर यदि कोई सदस्य अगर कोई निर्वाचित सदस्य न किया जा सके तो सरकार उसी वर्ग में से किसी व्यक्ति को मुकर्रर कर देगी लेकिन उस में यह कहीं नहीं दिया है कि किस समय के भीतर वह चुन जायगा। इसलिये इस संशोधन में मैंने यह चाहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाय और उसके लिये यही स्थान उपयुक्त है, जहां पर कि नियमों में सारी व्यवस्था चुनाव क्षेत्र और सीमाओं की जायगी वहीं पर गवर्नमेंट यह भी पावर ले ले कि चुनाव की अवधि क्या होगी। अगर यह पावर यहां न ली जायगी तो वह अवधि मुकर्रर न हो सकेगी नियमों के द्वारा। यह केवल एक ओमिशन है, इसको आप ठीक कर लें अन्यथा उपधारा ११ बेकार ही हो जायगी।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मंशा तो श्री भीखालाल जी का सही है लेकिन वह इसमें पहले ही पूरा हो चुका है। उपखंड ८ में यह लिखा है कि "समिति का कार्यकाल उपधारा (६) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से प्रारम्भ हो कर तीन वर्ष का होगा और सदस्य का कार्यकाल उपधारा (४) के अधीन उसके नाम के निबंधीकरण या समिति के संघटन, जो भी बाद में हों, के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा। "तो जो टर्म है वह रजिस्ट्रेशन से आरम्भ होगी और कमेटी की ३ वर्ष की अवधि उसके साथ समाप्त होगी। हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में देर लग जाय। तो उसमें भी देर हो जाय लेकिन समय तो ३ साल का है ही।

श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, शायद मैं माननीय मंत्री जी को अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाया। अगर उपधारा ८ से कवर होता है तो आप ने धारा ३ में क्यों लिखा है कि इतनी अवधि के भीतर होगा? समिति के संघटन के लिये आपने विज्ञपित जारी करेंगे कि समिति के सदस्य का चुनाव हो जाना चाहिये और आप उसकी अवधि मुकर्रर करेंगे और अगर अवधि के भीतर वह चुनाव नहीं हुआ तो उपधारा (११) के अधीन नाम निर्देशन गवर्नमेंट कर देगी लेकिन जब अवधि ही मुकर्रर नहीं करेंगे तो, कैसे होगा। उपखंड १,२,३, ६, ७ में जो चुनाव होना है वह ३ मास या ५ मास में या जो भी अवधि हो, उसमें हो जाना चाहिये। जब तक यह नहीं करेंगे तो यह उपधारा ही निरर्थक हो जाती है। जहां तक उपधारा (८) का संबंध है जिसका मा० मंत्री जी ने हवाला दिया उसमें केवल इतनी ही व्यवस्था है कि कमेटी का कार्यकाल ३ साल होगा और जो मेम्बर जब से चुना जायगा तभी से कार्यकाल आरम्भ होगा और कमेटी के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जायगा। मेम्बर का कार्यकाल तब शुरू होगा जब डायरेक्टर के पास उसका नाम चुनाव की बाद रजिस्टर हो जायगा लेकिन वह कब होगा और कितनी अवधि में होगा, यह कहीं नहीं है। यह होना आवश्यक है वर्ना उपधारा ११ ही

[श्री भीखालाल]

निरर्थक है। यह एक ओमिशन है जैसा कि मैंने कहा था। यह उपधारा ८ से कवर नहीं होता है।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, बात तो भीखालाल की सही मालूम होती है। इस पर विचार अभी मुल्तवी कर दिया जाय, इस को हम बाद में देख लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

तो यह अभी मुल्तवी किया जाता है।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष जी, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त अंक (२) के स्थान पर (१) रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह--

यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (५) के प्रतिबन्धात्मक खंड की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त अंक (२) के स्थान पर (१) रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (७) की प्रथम व द्वितीय पंक्ति से शब्द "अपने सदस्यों में से अथवा" निकाल दिये जायें।

मान्यवर, उपधारा (७) इस प्रकार से है "उपधारा (६) के अधीन संगठित समिति नियत रीति से अपने सदस्यों में से, अथवा मंडी क्षेत्र के उत्पादकों में से अपना सभापति तथा उप-सभापति निर्वाचित करेगा।" मैं चाहता हूं कि "अपने सदस्यों में से अथवा" ये शब्द निकाल दिये जाये तो संशोधित रूप इस प्रकार होगा---

"उपधारा ६ के अधीन संगठित समिति नियत रीति से मंडी क्षेत्र के उत्पादकों से अपना सभापति तथा उप-सभापति निर्वाचित करेगा"

मान्यवर, मेरा संशोधन रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभापति और उप-सभापति का चुनाव २ तारीके से रखा गया है। दो तरह के आदमी चुने जा सकते हैं। पहला यह है कि जो समिति बनेगी उसके सदस्यों में से एक सभापति चुन लिया जाय। दूसरे उस क्षेत्र में से आने वाले उत्पादकों में से किसी आदमी को चुन लिया जाय। मेरे संशोधन रखने की मंशा यह है कि इस कमेटी का सभापति उत्पादक हो और यह खंड उसी भावना से रखा भी गया है और शायद माननीय मंत्री जी की भी मंशा ऐसी ही हैं। क्योंकि अगर बाहर के आदमी को सभापति या उप-सभापति चुनने में यह प्रतिबन्ध रखा जाता है वह उत्पादक ही होगा। और अगर कमेटी में से चुना जायगा तो वह व्यापारी भी हो सकता है, दलाल भी हो सकता है। कल जब मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को सुना, तो ऐसा विदित हुआ कि उनकी मंशा भी यही है कि इस कमेटी का सभापति और उप सभापति उत्पादकों में से है और इस उप-धारा की मंशा भी यही है। अतः इसमें से "अपने सदस्यों में से अथवा" निकाल दिए जायें। तभी यह सम्भव हो सकेगा कि उत्पादकों में से ही सभापति या उप-सभापति चुना जाय। इसलिए एक ही कंडीशन इसमें रखी जाय कि समिति का सभापति और उप सभापति क्षेत्र के उत्पादकों में से कोई ही व्यक्ति चुन लिया जाय और इस धारा की मंशा भी यही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मान्यवर, अभी तक माननीय मंत्री जी लगातार किसानों की बात करते रहे हैं ताकि किसान या उत्पादक इन व्यापारियों से मंडियों में जाकर लुट न जाय और हम लोग भी छटपटा रहे हैं। उत्पादकों के प्रतिनिधित्व के लिये ज्यादा पहुंचे तो इसमें अथवा लगाकर हम को गड़बड़ी रहे हैं अतः यह स्पष्ट कर दिया जाय, कि व्यापारी भी उत्पादक उत्पादकों में से चुने जाय। जैसा कि माननीय मंत्री जी की भी मंशा है किसानों के हितों की दृष्टि से उचित होगा कि यह जो संशोधन माननीय भोखालाल जी ने पेश किया है। मान लिया जाय तो कि किसानों के हितों की रक्षा पूर्ण रूप से हो जाय।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय में माननीय भोखालाल जी के इस प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस प्रकार का एक संशोधन मैंने भी आपकी सेवा में पेश किया था लेकिन वे बातें माननीय भोखालाल जी की तरफ से आगयी। मुझे बड़ी खुशी हुई है। यह जरूरी है कि मंडी समिति का चेयरमैन या डिप्टीचेयरमैन हो वह उत्पादकों में से होना चाहिये। अगर "सदस्यों में से" ये शब्द रहते हैं और जिनको निकालने के लिये भोखालाल जी ने संशोधन रखा है उसे मंजूर नहीं किया जाता है तो मैं समझता हूं कि होगा यही कि व्यापारी, अढ़तिया अथवा पल्लेदार में से कोई इस कमेटी का चेयरमैन चुन कर आयेगा। उनकी तादाद कम है, कुल ३ हैं लेकिन अपनी चालाकी से चेयरमैन चुनकर आ सकते हैं। किसानों के प्रतिनिधि सभापतियों द्वारा चुने जायेंगे और उनकी संख्या १० होगी। वे इतने भोले-भाले और सीधे-सादे होंगे कि उनके वोट किसी न किसी प्रकार से व्यापारी अथवा अढ़तिया प्राप्त कर लेगा और यह उत्पादकों के साथ ज्यादती होगी। अढ़तिया अथवा व्यापारी मंडी का चेयरमैन अथवा डिप्टी चेयरमैन हो जाता है तो वह अपने हित की बात सोचेगा। किसान के हित की बात वह सोच ही नहीं सकता। वह हर तरह से किसान का खून चूसता रहा है और चूसता रहेगा। इसलिये मंत्री जी इस संशोधन को किसान के हित में मान लें।

चन्द्रबली सिंह के संशोधन के सिलसिले में बोलते वक्त मैंने मंत्री जी को दोषी शब्द इस्तेमाल किया था उसके लिये मैं उनसे माफी चाहता हूं और इस संशोधन का अन्त में समर्थन करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, भोखालालजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मंत्री जी के विचार कल से मैं सुन रहा हूं इस विधेयक पर। उनकी नियत और मंशा पर मैं शक नहीं करता। भोखालाल जी ने जो संशोधन रखा है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उत्पादकों में से रखा जाय। यह बहुत मुनासिब है। अगर इन डाकुओं पर काबू पाना है तो इसे मंजूर कर लेना चाहिये। वैसे तो जो प्रधानों द्वारा चुनाव रखा गया है उत्पादकों के सदस्यों का। यह भी गड़बड़ है। प्रधान बड़ा हत्या की जड़ है क्योंकि कांग्रेस का तबलची बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो बात हो गयी उसे क्यों आप कहते हैं ?

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आप यहां एम० एल० ए० की हैसियत से सभापतियों के मुताल्लिक इतनी बुरी राय रखते हैं और सभापतियों से एम० एल० ए० के लिये पूछा जाय। तो क्या होगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, एक सभापति मैं ही उनके सामने बैठा हूं ।

श्री लखीसिंह--

श्रीमन्, प्रधान के बजाय गांव सभा का सदस्य होता तो एक तंत्रीय चुनाव नहीं होता, जो सीधा चुनाव मान लिया जाता । यह प्रत्यक्ष रूप का चुनाव नहीं माना जायगा, यह अप्रत्यक्ष रूप धारण कर लेगा । इसलिये जो संशोधन भीखालाल जी ने रखा है उसको आप यदि मान लेंगे । तब तो कुछ जान आ जायगी ।

श्री रघुनाथसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, भीखालाल जी के संशोधन में जितनी बातें कही गई हैं उनके संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि चाहे कोई संस्था हो । उस का प्रधान आपके कायदे कानून के बाद भी अधिकार प्राप्त कर लेता है और अपनी चालबाजी और तिकड़म से शोषण शुरू कर देता है । आपका विधेयक किसानों के हित के रक्षण के लिये है यानी मंडियों में जो धांधली होती है वह बंद होनी चाहिये । उनका संशोधन इसके लिये सब से अधिक सहायक होगा । अगर कोई सभापति उत्पादक में से हो जायगा । तो मंडी समिति में जो धांधली चलेगी उसको वह रोकेगा क्योंकि उसी वर्ग का वह होगा । ऐसी दशा में बड़े अध्ययन करने के बाद यह संशोधन रखा गया है जो न केवल मान लेने लायक है बल्कि मंत्री जी को उन्हें बधाई देनी चाहिये ।

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने जिस भावना का जिक्र किया है कि उत्पादकों के इसमें अधिक से अधिक सदस्य हों, उनका बहुमत रहे और इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज न हो, सदस्यों को चुनने का अधिकार रहेगा तो दलाल आदि सब लोग आ सकेंगे तो जो भावना उन्होंने रखी है वह पूरी नहीं हो सकेगी अतः उसके लिये यह बड़ा आवश्यक है कि संशोधन स्वीकार किया जाय और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन, इससे पहले कि मंत्री जी अपने विचार व्यक्त करें मैं उनका ध्यान मुरादनगर और गाजियाबाद की मंडियों की तरफ दिलाता हूं । बहुत से आढ़तियें खेती भी करते हैं और दूकान भी है, तो ऐसी हालत में क्या होगा ? जो दूकान कर लेगा क्या वह उत्पादक नहीं हो सकेगा ? दूसरे यह कि कोई रोक नहीं होनी चाहिये । अगर कोई चेयरमैन होना चाहेगा तो एक आध बीघा जमीन लेकर अपने नाम करा सकता है और लफ्जी माने में वह उत्पादक कहला सकता है । इसलिये जो योग्य आदमी हो । उसको चेयरमैन बनाना चाहिये और यह बार नहीं रहनी चाहिये कि व्यापारी बने या काश्तकार बने ।

*श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी और दूसरे दोस्तों की सादगी की दाद देता हूं । विधेयक के अनुसार अगर मार्केट म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया के ज्यूरिस्डिक्शन के अन्दर पड़ता है तो १८ वरना १७ मेम्बर इस समिति के होंगे । तीन दूकानदारों के प्रतिनिधि होंगे और १० खेत मजदूर, ४ सहकारी समितियां, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के प्रतिनिधि और एक गवर्नमेन्ट का नामिनी । इस विधेयक में है कि सभापति या उपसभापति कमेटी के मेम्बरों में से और बाहर से भी चुना जा सकता है, परन्तु आपकी तरमीम यह है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

नहीं, समिति के सदस्यों में से चुने ही न जायं क्योंकि अगर सदस्यों में से चने जायेंगे, तो बनिया हो जायगा ।

एक सदस्य--

यही डर है ।

श्री चरणसिंह--

अब आपका यह डर कहां तक जायज है । यह मैं बताना चाहता हूं । अगर उस तीन बनिये के नुमाइन्दों से १४ किसानों के प्रतिनिधि घबड़ाते हैं और यह डर है कि तीन की मर्जी के खिलाफ १४ आदमी अपना सभापति नहीं चुन सकते और यह डर है कि तीन आदमियों के कबजे में १४ आदमी न आ जायं और यह डर है कि ये ३ आदमी इतने चालाक होंगे, इतने धूर्त होंगे कि वे १४ भले आदमियों की आंखों में धूल झोंक कर बनिया को सभापति बना देंगे, तो अगर यह ३ इतने चालाक हैं तो वह १४ आदमियों से बाहर का आदमी भी बनिया का हमदर्द चुनवा लेंगे । अगर यह १४ आदमी उन तीन आदमियों की चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकते और उन आदमियों में अपनी कोई कूवत और अपनी इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, तो आप कितने ही शर्त लगा देंगे लेकिन वह बनियों को चुनवा लेंगे । हम तो यह कह रहे हैं कि चाहे बाहर का चुन लें और चाहे अन्दर का चुन लें । आप तो कह रहे हैं कि अन्दर वालों को चुनने से महरूम करें वरना ये तीन आदमियों के हाथ के शिकार हो जायेंगे । मैं कहता हूं कि इन्हीं १४ से तो चुनवाना है । (व्यवधान)

दूसरा पहलू देखिये । यह जो १४ आदमी चुनकर आयेंगे उनको आप क्यों महरूम कर रहे हैं और यह कैसे जरूरी है कि बाहर का आदमी चुनकर आयेगा वह ज्यादा होशियार होगा और वह दूकानदारों के पंजे में नहीं फंसेगा या इंडाइरेक्टली उन्हीं के द्वारा नहीं चुना जायगा ? उन तीन को वंचित करने के खयाल से १४ को भी वंचित कर रहे हैं आप । अगर लखीसिंह जी को समझ में आ गया है तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा । एक जो एवोल्यूशन की थ्योरी है वैसे ही एक इनवोल्यूशन की भी थ्योरी है, मैंने पढ़ी है, जिसमें यह है कि सच्चाई कोई नयी चीज नहीं है । हर आदमी के हृदय में सच्चाई है छिपी हुई । लिहाजा कोई आदमी कुन्दजेहन नहीं होता । अगर कोई कुन्दजेहन कहता है किसी लड़के को कोई टीचर, तो वह टीचर नाकाबिल है । जो आवरण पड़े हुए हैं उसकी सच्चाई के ऊपर उनको हटाने में वह सफल नहीं हुआ इसलिये वह टीचर नाकाबिल है । तो अगर माननीय लखीसिंह को मैं नहीं समझा सका तो मैं अपने को नाकाबिल समझता हूं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तीन आदमियों से १४ आदमियों को इतना डर है कि १४ आदमी नहीं चुन सकते अपने में से, तो उनके कहने से उन तीन आदमियों की ही मंशा के बाहर के भी किसी आदमी को चुन लेंगे जिससे उल्टा और नुकसान हो सकता है ।

श्री लखीसिंह--

यह मंत्री जी की बात, बिलकुल ठीक है । मंत्री जी ने जो यह कहा कि १४ आदमी क्या इतने कमजोर हैं कि वह तीन आदमियों से दब जायेंगे और सभापति नहीं चुनेंगे, यह बात ठीक है । लेकिन जैसे ब्लाक के चुनाव में ब्लाक प्रमुख में यह गुंजाइश रखी गयी कि बाहर का भी हो सकता है, उसी तरह से इसमें भी रख दिया जाय, तो यह मामला साफ हो जायगा, नहीं तो जकड़ जायगा ।

श्री चरणसिंह--

वह तो इसमें है कि बाहर का भी हो सकता है, अन्दर का भी हो सकता है ।

श्री लखीसिंह--

हां, तब ठीक है ।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इसमें जो उप धारा (७) के अन्तर्गत चुनाव लिखा हुआ है उसमें उपधारा (१) के अन्तर्गत आठवें स्थान पर जो वन गवर्नमेंट आफिशियल नामिनेटेड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट होगा, क्या वह भी सभापति या उपसभापति का चुनाव लड़ सकेगा ?

श्री चरणसिंह--

वह नहीं लड़ सकता । उसके लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह लड़ ही नहीं सकता, उसकी इजाजत ही नहीं दी जायगी ।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है जैसा मंत्री जी ने कहा कि १७ या ज्यादा से ज्यादा १८ आदमियों की यह कमेटी होगी और उसमें व्यापारियों के केवल तीन प्रतिनिधि होंगे और १४ प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो किसानों के और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे । तो जहां तक मान्यवर, मैथेमेटिकल कैलकुलेशन की बात है वहां तक हिसाब बिलकुल ठीक बैठता है । लेकिन उस मैथेमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से मंत्री जी अपने समय की अवस्था और किसानों की जो अवस्था है उसको नजर अन्दाज न करें । हम देखते हैं कि मैथेमेटिकल कैलकुलेशन में बात सही होते हुए भी गलत हो जाती है । जयपुरिया खड़े होते हैं चुनाव में । किसानों के प्रतिनिधि हार जाते हैं और जयपुरिया पार्लियामेंट के सदस्य हो जाते हैं । यह क्यों हो जाता है ? कैसे हो जाता है ? उन सब बातों में मैं नहीं जाना चाहता । इसलिये मुझे भय है कि किसान जो उसमें प्रतिनिधि होकर आयेगा । मैं मानता हूं कि उसका, बहुमत होगा । लेकिन वह चुनाव के दावपेंच, उसकी पेचीदगियों और व्यापारियों के जो दांव-पेच होंगे, उनके रुपये पैसे की जो ताकत होगी, उसका मुकाबिला करने की ताकत उसमें नहीं होगी । इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि उत्पादकों के लिए यह संरक्षण कर दिया जाय ।

श्री चरणसिंह--

बाहर का कंडीडेट होगा तो उसके लिये आपकी दलील लागू क्यों नहीं होगी ?

श्री भीखालाल--

बाहर का कंडीडेट होगा तो उसका प्रतिबन्ध हो जाय कि केवल उत्पादक ही हो । अगर आप इसका संरक्षण कर दें कि कमेटी के सदस्यों में से ही अगर सभापति और उप-सभापति चुना जाय तो उत्पादक ही होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि इसका संरक्षण हो जाय । मुझे आप की नियत पर आशंका नहीं है । मैं यह जानता हूं कि जो किसान मेम्बर हैं वह इन व्यापारियों के तिकड़म से फंस जायेंगे और उनके तिकड़म का मुकाबला नहीं कर सकेंगे । बहुमत होते हुये भी अपना सभापति और उप-सभापति नहीं बन सकते । इसलिये मैं चाहता हूं कि इसका कुछ संरक्षण हो जाय ताकि इसकी गारण्टी हो जाय कि उत्पादकों में से ही सभापति और उपसभापति होगा । मैं यह चाहता हूं कि वह उत्पादक ही हो । मैं चाहता हूं कि यह संशोधन बहुत आवश्यक है और इसको स्वीकार किया जाय ताकि उत्पादकों में से ही वह सभापति और उप-सभापति चुना जाय ।

*श्री चरणसिंह--

मैं भीखालाल जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने लखीसिंह जी को फिर अपने साथ कर लिया। वह दलील दे रहे हैं कि १४ और ३ की गिनती का हिसाब दूकानदार के सामने नहीं लगता है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह गिनती का हिसाब अगर बाहर का कैंडीडेट हो जाय तब भी नहीं लगेगा? वह यह चाहते हैं कि प्रोड्यूसर कर दिया जाय चाहे वह अंदर का हो या बाहर का। बाहर के लिये तो प्रोड्यूसर कर रखा है वे चाहते हैं कि अंदर का भी हो जाय। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मान लीजिये भीखालाल जी उन्नाव में कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में काम करते हैं। खुद उनके घर पर जमीन नहीं है, लेकिन वह दिन रात एक करके कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का काम करते हैं और मार्केटिंग सोसाइटी के सदस्यों का उनको विश्वास प्राप्त है, तो क्या उनको सेवा करने से महरूम कर दिया जाय? आमतौर पर मार्केटिंग के, कोआपरेटिव के, जो आयेंगे उसके अलावा गांव के १० जो चुनकर आयेंगे वे प्रोड्यूसर ही होंगे। हो सकता है १, २ नान-प्रोड्यूसर हों और अगर होगा तो वह भी वही होगा जिसको प्रोड्यूसर का विश्वास प्राप्त होगा। अगर वह कोआपरेटिव का नुमाइंदा कहीं मार्केटिंग कमेटी में पहुंच जाय तो वह दूकानदारों के हित की रक्षा करेगा काश्तकारों के हित के विरुद्ध। वह किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। वह उनका विश्वास एन्जोय करने के योग्य नहीं है। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ के उपखंड (७) की प्रथम व द्वितीय पंक्ति से शब्द "अपने सदस्यों में से अथवा" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री भीखालाल--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के उपखंड (११) के बाद एक नया उपखंड (१२) निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय:

"(१२) उपधारा (१) के खंड (१), (२), (३), (६) और (७) के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों का निपटारा निदेशक द्वारा नियत रीति से किया जायगा।"

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड (१२) के उपखंड (११) के बाद एक नया उपखंड (१२) निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय:

"(१२) उपधारा (१) के खंड (१), (२), (३), (६) और (७) के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध में उठने वाले विवादों का निपटारा निदेशक द्वारा नियत रीति से किया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

एक श्री भीखालाल का संशोधन और रह गया है। क्या वह मंत्री जी, आप को मंजूर है।

श्री चरणसिंह—

जी जहां।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १२ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "की रीति" और तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "ऐसी होगी" के बीच में शब्द "तथा अवधि" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १३–१५

१३—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रथम समिति के सभापति तथा उप-सभापति सहित सभी सदस्यों की नियुक्ति, धारा १२ में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों में से करेगी।

प्रथम समिति का संघटन

(२) प्रथम समिति का कार्यकाल, उपधारा (१) के अधीन उसके संघटन के दिनांक से एक वर्ष होगा, किन्तु राज्य-सरकार लोकहित में, उसका कार्यकाल इस प्रकार बढ़ा सकती है अथवा और आगे बढ़ा सकती है कि बढ़ाया गया अथवा आगे बढ़ाया गया कार्यकाल, धारा १२ के अधीन समिति के संघटन के दिनांक को समाप्त हो जाय।

(३) प्रथम समिति के सभापति और उप-सभापति सहित सदस्यों की पदावधि वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ निश्चित की जाय, किन्तु प्रथम समिति के कार्यकाल से अधिक न होगी।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

१४—यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसके त्याग-पत्र दे देने या हटाये जाने के कारण अथवा किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति हो जाये, तो उसकी पूर्ति उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा की जायगी जिस वर्ग का यह व्यक्ति रहा हो जो सदस्य न रह गया हो और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट या नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिये सदस्य होगा, जिसकी रिक्ति में वह सदस्य हुआ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक द्वारा आदेश दिया जाय तो ऐसी रिक्ति की पूर्ति नहीं की जायगी जो छः मास से अधिक के लिए न हो।

समिति के कृत्य और कर्तव्य

१५—(१) समिति, मंडी-क्षेत्र में इस अधिनियम, तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों को लागू करेगी, वहां पर निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय तथा विक्रय के लिये ऐसे सुविधाओं की, जो निदेशक द्वारा नियत की जायें अथवा समिति द्वारा आवश्यक समझी जायें, व्यवस्था करेगी, और ऐसे अन्य कार्य करेगी जो उस मंडी-क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि उत्पादक के क्रय तथा विक्रय को विनियमित करने के लिये आवश्यक हों, और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगी जिनकी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन व्यवस्था की जाय।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति--

(१) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के उपादकों और उसके विक्रय या क्रय म लगे हुये व्यक्तियों के बीच न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करेगी;

(२) प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी स्थलों में उत्पादकों द्वारा बिक्री किये गये निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में उत्पादकों को तत्काल भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेगी;

(३) निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का वर्गीकरण तथा मान-स्थापन करेगी ;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५, १९५९

(४) मंडी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले बाटों, मापों और तौलने तथा मापन के यंत्रों की जांच और सत्यापन करेगी और उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) अधिनियम, १९५९ के उपबन्धों के उल्लंघन की सूचना सम्बद्ध प्राधिकारियों को देगी;

(५) ऐसी समस्त सूचना का संग्रह और प्रचार करेगी जो निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के उत्पादकों और उसके क्रय-विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों के लिए लाभप्रद हो, और विशेष रूप से, ऐसे कृषि उत्पादन के उन स्थानों में प्रचलित मूल्यों की सूचना रखेगी जहां उसका निर्यात लाभप्रद हो अथवा जहां से उस का सम्बद्ध मंडी-क्षेत्र में आयात करना मितव्ययितापूर्ण हो;

(६) व्यापारिक परिव्ययों, मंडी परिपाटियों और निर्दिष्ट कृषि उत्पादन के क्रय-विक्रय की प्रथाओं तथा रूढ़ियों को स्थिर और विनियमित करेगी :

(७) प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी-स्थलों में उत्पादकों और वहां पर क्रय या विक्रय के सौदों में लगे हुए व्यक्तियों के लिए उचित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करेगी और विशेष रूप से सड़कों, मार्गों, मंडी की गलियों और छोटी गलियों (bye lanes) दूकानों आश्रय स्थानों, अड्डों, संग्रह-स्थानों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण करेगी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जो तदर्थ नियत की जायें;

(८) प्रधान मंडी-स्थल या उप मंडी-स्थलों में लाइसेंसधारियों में आपस में या लाइसेंसधारियों तथा उन व्यक्तियों के बीच, जो क्रय या विक्रय के सौदे करें, मतभेदों या विवादों के सभी मामलों में मध्यस्थ या विवाचक (arbitrator) के रूप में काम करेगी;

(९) उचित रूप से लेखा रखेगी और उसकी ऐसी रीति से जो नियत की जाय, नियमित रूप से लेखा-परीक्षा करायेगी;

(१०) वार्षिक बजट तैयार करेगी, जिसमें आगामी वर्ष के सभी अग्रिम धन, ऋण, अनुदान और किये जाने वाले व्यय के प्राक्कलन दिखाये जायेंगे तथा जिसमें उसके द्वारा लिये गये ऋणों पर या राज्य सरकार द्वारा उसे दिये गये अग्रिम धन पर ब्याज के भुगतान की व्यवस्था की जायगी और उक्त बजट, निदेशक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(११) ऐसे निर्माण-कार्यों के नक्शे और प्राक्कलन तैयार करेगी जो प्रधान मंडी स्थल तथा उप मंडी-स्थलों में करने का उसका विचार हो और उक्त प्रयोजन के लिये लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के अधीन भूमि अर्जन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी; ऐक्ट संख्या १, १८९४

(१२) अपने मामलों से सम्बन्धित अथवा इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन का कोई वाद, अभियोग या कार्यवाही चलायेगी या उसका प्रतिवाद करेगी ;

(१३) अपनी मुहर, लेखा-पुस्तिकाओं तथा अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा तथा उन्हें रखने की व्यवस्था करेगी;

(१४) प्रधान मंडी-स्थल तथा उप मंडी-स्थल में प्रवेश करने तथा उनका उपयोग करने को नियंत्रित और विनियमित करेगी; और

(१५) ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन करेगी जो नियत किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १३, १४ और १५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड १६—२०

१६—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति के निम्नलिखित अधिकार होंगे :— समिति के अधिकार

(१) इस अधिनियम के अधीन ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो नियत किये जायं, लाइसेंस जारी या नवीकृत करना, अथवा उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे लाइसेंस को जारी या नवीकृत करने से इंकार करना;

(२) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द करना :

प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय ऐसे आचारण के आधार पर जिससे लाइसेंस-धारी की धारा ३४ के अधीन दोषी सिद्ध किया गया हो, लाइसेंस रद्द करने के पूर्व समिति उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगी;

(३) (क) लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने के लिये ऐसे शुल्क लगाना, जो नियत किये जायें और उन्हें वसूल करना; और

(ख) प्रधान मंडी-स्थल और उप मंडी स्थल में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के क्रय या विक्रय के सौदों पर ऐसे व्यक्तियों से और ऐसी दरों पर जो नियत की जायें, मंडी शुल्क लगाना और वसूल करना किन्तु वह दर वहां पर क्रय या विक्रय किये गये निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के मूल्य के आधे प्रतिशत से अधिक न होगी ;

(४) इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए मंडी समिति निधि का लेन-देन और उपयोग करना;

(५) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए अपेक्षित धनराशि, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से जुटाना;

(६) धारा २१ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति की अधिकारियों और सेवकों को नियोजित करना;

(७) समिति के दो या अधिक सदस्यों की उप-समितियां नियुक्त करना जो ऐसे अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन और कृत्यों का सम्पादन करें, जो समिति द्वारा उन्हें सौंपे जायें, और

(८) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो नियत किए जायें।

समिति की ओर से संविदाएं

१७—(१) समिति द्वारा या उस की ओर से प्रत्येक संविदा नियत रीति से निष्पादित की जायगी।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करके समिति द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित कोई भी संविदा उस पर बंधनकारी न होगी।

(३) समिति की प्रत्येक आज्ञा सभापति के हस्ताक्षर से या उसके अनुपस्थित अथवा असमर्थ होने पर उप सभापति के, या जब समिति द्वारा प्राधिकार दिया गया हो तो सचिव के हस्ताक्षर से और समिति की अधिकारिक मुहर लगा कर प्रमाणित की जायेगी।

मंडी समिति निधि और उसका उपयोग

१८—(१) प्रत्येक समिति के लिए एक निधि स्थापित की जायगी जो मंडी समिति निधि कहलायेगी तथा जिसमें समिति द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां, जिनके अन्तर्गत उसके द्वारा लिये गये सभी ऋण तथा उसे दिये गये अग्रिम धन और अनुदान भी हैं, जमा की जायेंगी।

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समिति द्वारा किये गये सभी व्यय उक्त निधि से किये जायेंगे और, यदि कोई अधिशेष धनराशि हो, तो वह ऐसी रीति से विनियोजित की जायेगी जो नियत की जाये।

(३) धारा १५ के उपबन्धों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति अपनी निधि का उपयोग निम्नलिखित सभी या किसी एक का भुगतान करने के लिये कर सकती है :—

(१) समिति के लेखों की लेखा-परीक्षा में हुए व्यय,

(२) समिति द्वारा या उसके लिए नियोजित अधिकारियों तथा सेवकों के वेतन, पेंशन और भत्ते, जिनके अन्तर्गत अवकाश-भत्ते, उपदान (gratuities), कारुण्य भत्ते (compa sionate allowance), चिकित्सा-सहायता और भविष्य निधि तथा पेंशन में अंशदान भी हैं :

(३) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय और उसके प्रासंगिक व्यय;

(४) समिति के कब्जे की भूमि और भवन के ऋण पर व्याज और किराये, लगान तथा कर, यदि कोई हों;

(५) ऐसी समस्त सूचना जो, उत्पादकों और कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय में लगे हुए अन्य व्यक्तियों के हित में हो, जिसके अन्तर्गत शस्य

सांख्यकी (crop statistics) और मंडी परिज्ञान (intelligence market) भी हैं, के संग्रह, अनुरक्षण, प्रचार और संभरण पर व्यय,

(६) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित भूमि या भवनों का व्यय;

(७) मंडी स्थलों के लिए और उनका प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुविधा तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक भवनों के निर्माण और मरम्मत का व्यय;

(८) मंडी स्थलों के अनुरक्षण, विकास और सुधार का व्यय;

(९) मंडी क्षेत्रों में कृषि सुधार और कृषि विपणन के विकास पर व्यय;

(१०) मंडी समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते;

(११) मंडी समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम धन, और

(१२) ऐसे अन्य व्यय जो नियत किये जायें।

(४) (क) प्रत्येक समिति, धारा २१ के उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन के व्यय का भुगतान, अपनी निधियों में से राज्य सरकार को करेगी।

(ख) राज्य सरकार अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के नियोजन का व्यय अवधारित करेगी और, यदि उन्हें एक से अधिक समितियों के लिये नियोजित किया जाय तो व्यय को सम्बद्ध समितियों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगी जो वह उचित समझे। इस विषय में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

समिति को देय धनराशियों की मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल न होने योग्य देयों को बट्टे खाते डलाने का अधिकार अधिभार

१९—(१) यदि नियत अवधि के भीतर समिति को देय किसी धनराशि का भुगतान न किया गया हो तो वह मालगुजरी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है;

(२) समिति किसी धनराशि को बट्टेखाते डाल सकती है जो उसे देय हो, यदि कलेक्टर प्रमाणित कर दे कि वह वसूल होने योग्य नहीं है:

प्रतिबन्ध यह है कि २०० रु० से अधिक कोई भी धनराशि, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, बट्टेखाते नहीं डाली जायगी।

१९—क—(१) समिति का सभापति, उप-सभापति, और प्रत्येक सदस्य, अधिकारी और सेवक, समिति की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग होने पर अधिकार के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, ऐसे सभापति, उप सभापति, सदस्य, अधिकारी या सेवक के रूप में कार्य करते हुये उसकी उपेक्षा या दुराचरण के कारण हुआ हो।

(२) अधिभार की प्रक्रिया और हानि, अपव्यय या दुरुपयोग हुयी धनराशि की वसूली ऐसी रीति से की जायगी जो नियत की जाय।

(३) यदि अधिभार की कोई कार्यवाही न की जाय तो समिति निदेशक की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकर के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है।

सभापति तथा उप-सभापति के अधिकार और कृत्य

२०—(१) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों तथा समिति के संकल्पों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए, समिति के अधिकारियों तथा सेवकों का अधीक्षण और नियन्त्रण करेगा तथा ऐसे अन्य अधिकारियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायं या समिति द्वारा तदर्थ पारित संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किये जायं।

(२) सभापति, और उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

*श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (३-ख) में अंतिम लाइन में "आधे प्रतिशत" की जगह "चौथाई प्रतिशत" रख दिया जाय।

श्रीमन्, आज जैसी कि हमारे देश की विषम स्थिति है उसमें टैक्स के बोझ से किसान बड़ी दयनीय स्थिति में हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान को लूट से माननीय मंत्री जी बचाना चाहते हैं और इसी अभिप्राय से यह विधेयक लाया गया है। बाजार में जो वस्तुयें हैं जैसे लाई या तिलहन। वह काफी महंगी है और किसान द्वारा उत्पादित वस्तुयें इसी प्रकार काफी महंगी हैं। ऐसी स्थिति में अगर आधा प्रतिशत के हिसाब से आप यह देखते हैं तो उस पर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे आधे प्रतिशत की जगह मंत्री जी चौथाई प्रतिशत कर दें तो किसान कुछ बच सकेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, इसमें शब्द हैं कि आधे प्रतिशत से अधिक न होगा। यह नहीं है कि आधा प्रतिशत ही होगा। मार्केट कमेटी को अख्तियार है कि वह चौथाई प्रतिशत ले या उससे भी कम ले लें। हमने उनको अधिकार दे दिया है कि आधे प्रतिशत तक वह लगा सकते हैं। अगर वह इस बात पर विचार करेंगे तो शायद इस संशोधन को माननीय सदस्य प्रेस न करना चाहें।

श्री शिवनाथसिंह—

ऐसी अवस्था में मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड १६ के बाद नये खण्ड १६-क व १६-ख, निम्न प्रकार से बढ़ा दिये जायं :—

"१६-क—(१) प्रत्येक मण्डी समिति धारा १२ के उपबंधों के अनुसार संघटन के दिनांक से तीन साल की अवधि के भीतर प्रधान मण्डी स्थल पर एक सहकारी क्रय-विक्रय समिति की स्थापना करेगी और मण्डी क्षेत्र के अन्दर जाने वाले कृषि उत्पादकों व प्राइमरी ऋण समितियों को सदस्य बनने के लिये आमन्त्रित करेगी और हिस्से की पूंजी एकत्र करने के लिये हिस्से बेचेगी।

(२) सहकारी क्रय-विक्रय समिति की स्थापना के बाद कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय यथा संभव इसी समिति के माध्यम से होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(३) क्रय-विक्रय समिति अपने निजी गोदाम बनवायेगी जिसके लिये सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त करेगी।

१६—ख—(१) प्रत्येक मंडी समिति संघटन के दिनांक से तीन साल की अवधि के भीतर प्रत्येक प्रधान मंडी स्थल पर प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) समितियों का गठन करेगी जिनकी सदस्यता के लिये क्षेत्र के अन्दर आने वाले कृषि उत्पादकों व प्राइमरी ऋण समितियों को सदस्य बनने के लिये आमन्त्रित करेगी और हिस्से की पूंजी एकत्र करने के लिये हिस्से बेचेगी और स्थाई पूंजी के लिये सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त करेगी।

(२) एक मण्डी स्थल पर भिन्न-भिन्न कृषि उत्पादनों की प्रक्रिया के लिये अलग-अलग समितियां हो सकती हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह नई धारा अपने संशोधन द्वारा जोड़वाना चाहता हूं उसका इक खास मंशा है और वह मंशा सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही है। मैं चाहता हूं कि इस नीति को आगे बढ़ावा दिया जाय। जब हम बिचवलियों को हटाने की बात करते हैं तो एक तो वह बिचवलिया वह है कि जो किसानों और व्यापारियों के बीच में है और दूसरा वह जो किसानों और उत्पादकों के बीच में है। इन दोनों बिचवलियों को हटाने की बात की गई ताकि दोनों जो पार्टी हैं—उपभोक्ता और उत्पादक—इनका किसी तरह से शोषण न हो सके। आज की परिस्थितियों में हम समझते हैं कि यह बहुत जरूरी है कि मेरे संशोधन की जो भावना है, इस दिशा में सोचा जाय। बढ़ते हुए मूल्यों के कारण आज हमारे प्रदेश का उपभोक्ता इतना दबा हुआ है, इतना पिसा जा रहा है कि उसको दो वक्त खाना नसीब होना मुश्किल हो रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण वह परेशान है। इस चीज को कैसे रोका जा सकता है जिससे कि उपभोक्ता को वाजिब कीमत पर चीजें मिलें। उसका केवल एक ही रास्ता हो सकता है कि उपभोक्ताओं का सीधा संबंध उत्पादकों से जोड़ा जाय और वह संबंध व्यापारियों और मुनाफाखोरों के जरिये से नहीं जोड़ा जा सकता। वह हो सकता है सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के जरिये से। तो अगर आप इन बिचबलियों की लूट को किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में हटाना चाहते हैं तो इस बात की जरूरत है कि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाय। मुझे मालूम है, मन्त्री जी कहेंगे कि क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना के लिये दूसरा कानून है, उसके अधीन ये समितियां बनेंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इन मंडी समितियों के जरिये से सहकारी आन्दोलन की तरफ आगे बढ़े और उपभोक्ता और उत्पादक, दोनों के लिये सहूलियत पैदा करें।

इस संशोधन से मेरा मतलब यह है कि जो मंडी समितियां बनें उनका यह प्रयास हो कि वे ३ वर्ष के भीतर अपने यहां एक क्रय-विक्रय समिति की स्थापना करें ताकि सहकारिता की ओर हम अग्रसर हों। जहां तक भी उनकी आर्थिक स्थिति हो, वे खरीद-फरोख्त अपने हाथ में लें। इससे उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को सहूलियत होगी। इसी तरह से प्रक्रिया समितियां भी कायम की जायं जिनके द्वारा धान आदि की मशीनें भी लगायी जा सकें। इससे इस विधेयक की भावना पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि उसकी भावना इससे और मजबूत होती है। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री ऋषि नारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इनको आर्गनाइज कौन करेगा, कौन बनायेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मालूम होना चाहिये कि क्रय-विक्रय समितियां सभी मंडियों में प्रायः हैं।

*श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं माननीय भीखालाल जी के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें दो राय नहीं है कि सहकारी समितियां बननी चाहिये, लेकिन जितनी बात उनके बनाने की की जाती है उतनी ही वह नहीं बन पा रही है। इसका कारण यह है कि आफिशियल मूवमेंट से या दबाव से हम जो इन्हें बनाने की कोशिश करते हैं, इसी कारण उसमें सफल नहीं हो पाते। इनका बनना तो किसानों की इनर इच्छा पर निर्भर करता है। जब उसके लिये उनके अन्दर इच्छा पैदा होगी तभी वे बन सकती हैं। जब हमारी तरफ से यह टार्गेट फिक्स कर दिया जाता है कि फलां विभाग का यह काम होगा, तभी वह नहीं चल पाता है। कोआपरेटिव उसूल के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन वह ऊपर के दबाव से नहीं हो सकता, उसमें हमारे अन्दर इच्छा होना चाहिये उसके लिये।

उपाध्यक्ष महोदय, आज काश हमारे यहां सहकारी समितियां इतनी सफल होतीं कि वह सारे मार्केट को कवर कर लेतीं तो फिर इस विधेयक की जरूरत ही नहीं रह जाती। यह तो इसी लिये लाना पड़ा कि अब तक किसान को इन्डिविजुअली अलग-अलग अपनी चीजों को बेचना पड़ता है। तो अभी से इन कमेटियों की यह जिम्मेदारी फिक्स कर देना ठीक नहीं होगा। उसके ऊपर बहुत ज्यादा भार हो जायगा। यह इस विधेयक की परिधि के बिलकुल बाहर है। मार्केटिंग कमेटी की तो यों जरूरत है कि चूंकि कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटियां बनती रहेंगी, वह काम अलग है। इस पर यह बोझ लादने से कन-फ्यूजन हो जायगा। छोटी-मोटी मार्केटिंग कमेटी भी इसकी मेम्बर हो जावेगी। अगर मार्केटिंग सोसाइटी लिविंग और किकिंग आर्गनाइजेशन है तो इस विधेयक की जरूरत नहीं है। इसलिये दोनों का मेल नहीं खाता है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सहकारी सोसाइटी आफियशल मशीनरी के जरिये लादी नहीं जा सकती, मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं। मैं यहां तक कह चुका हूं कि हमारे देश और प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन सफल न होने का कारण ही यह है कि आन्दोलन की तरह से नहीं चला, वह एक नीति की तरह से चला। इस बात से हम सहमत हैं कि अगर सहकारी क्रय-विक्रय समितियां बन जावें तो शायद इन मंडी कमेटियों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि वे सहकारी क्रय-विक्रय समितियां नहीं बन रही हैं, हमको इन मंडी समितियों के बनाने के लिये विधेयक लाना पड़ रहा है। जिसे हम मंडी समिति कहने जा रहे हैं वह जनता के चुने हुए नुमाइन्दों की समिति है। वह सरकार की ओर से लादी हुई नहीं होगी।

श्री चरणसिंह--

अगर वे बनें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारी जब कर देते हैं तभी खराबी आ जाती है।

श्री भीखालाल--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानूनी जिम्मेदारी इसलिये देना चाहता था कि वह कौन-सा दिन आयेगा जब हम इन मार्केटिंग कमेटियों को रिप्लेस करके सहकारी समितियां कायम करें। उसके लिये हम चाहते हैं कि इन समितियों के लिये डाइरेक्टर हो कि वे क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनावें।

सहकारी समितियां तो सहकारी समितियों के कानून के मातहत ही चलेंगी, चाहे उन्हें किसान बनावें या मंडी कमेटी बनावे, या कोई भी बनावे। मैंने इसलिये यह रखा है कि हमारा प्रयास होना चाहिये कि हम इन मंडी समितियों को सहकारी समितियों से रिप्लेस कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कृपा करके इस संशोधन को स्वीकार करें ।

श्री चरणसिंह--

श्रीमन्, अफसोस है कि मैं अभी कनविन्स नहीं हो पाया हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६ के बाद नये खंड १६-क व १६-ख निम्न प्रकार से बढ़ा दिये जायं--

"१६--क--(१) प्रत्येक मंडी समिति धारा १२ के उपबन्धों के अनुसार संघटन के दिनांक से तीन साल की अवधि के भीतर प्रधान मंडी स्थल पर एक सहकारी क्रय-विक्रय समिति की स्थापना करेगी और मंडी क्षेत्र के अन्दर जाने वाले कृषि उत्पादकों व प्राइमरी ऋण समितियों को सदस्य बनने के लिये आमंत्रित करेगी और हिस्से की पूंजी एकत्र करने के लिये हिस्से बेचेगी ।

(२) सहकारी क्रय-विक्रय समिति की स्थापना के बाद कृषि उत्पादन का क्रय-विक्रय यथा सम्भव इसी समिति के माध्यम से होगा ।

(३) क्रय-विक्रय समिति अपने निजी गोदाम बनवायेगी जिसके लिये सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त करेगी ।

"१६--ख--(१) प्रत्येक मंडी समिति संघटन के दिनांक से तीन साल की अवधि के भीतर प्रधान मंडी स्थल पर प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) समितियों का गठन करेगी जिनकी सदस्यता के लिये क्षेत्र के अन्दर आने वाले कृषि उत्पादकों व प्राइमरी ऋण समितियों को सदस्य बनने के लिये आमंत्रित करेगी और हिस्से की पूंजी एकत्र करने के लिये हिस्से बेचेगी । और स्थाई पूंजी के लिये सरकार से ऋण व अनुदान प्राप्त करेगी ।

(२) एक मंडी स्थल पर भिन्न-भिन्न कृषि उत्पादकों की प्रक्रिया के लिये अलग-अलग समितियां हो सकती हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १६, १७, १८, १९ और २० इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २१-२२

समिति के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें

२१--(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के तथा तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुये, समिति विधियों या समिति द्वारा पारित संकल्प द्वारा या उपविधियों द्वारा अधिकृत सीमा तक समिति का सभापति या सचिव ऐसे अधिकारियों और सेवकों को, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों, सेवा की ऐसी शर्तों पर जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों में की जाये, नियुक्त कर सकता है ।

(२) प्रत्येक समिति का एक सचिव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा जो नियत की जायें ।

(३) राज्य सरकार, समिति के कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन और उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन किये जाने के लिए ऐसे अभियन्ताओं तथा अन्य प्राविधिक (Technical) व्यक्तियों को ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर नियुक्त कर सकती है जो नियत किये जायें ।

सचिव के कृत्य अधिकार और कर्त्तव्य

२२—(१) समिति का सचिव उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किए जायं, या जिनकी व्यवस्था समिति की उपविधियों द्वारा की जाय ।

(२) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, किन्तु इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए सचिव—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि—

(१) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन उचित रूप से तथा दक्षतापूर्वक हो, समिति के समक्ष अधिकारियों और सेवकों के; तथा

(२) समिति के मामलों के, अधीक्षण और नियंत्रण के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा ।

(ख) समिति के अधिकारी या सेवक द्वारा उपेक्षा, दुराचरण या कर्त्तव्यच्युति के मामले की रिपोर्ट सभापति को आवश्यक कार्यवाही के लिए देगा और यदि इसके लिए अधिकृत किया गया हो तो समिति के किसी भी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध अनुशासन-संबंधी कार्यवाही करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि सभापति या समिति द्वारा जारी की गयी सभी आज्ञाओं का समुचित रूप से पालन किया जाय;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि—

(१) समिति की ओर से प्राप्ति या व्यय की गयी सभी धनराशियों के लेखे;

(२) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन निर्णय के लिये आये हुए विवादों के अभिलेख; और

(३) उसके द्वारा निपटाये गए विवादों का अभिलेख ऐसे प्रपत्र में, जो नियत किया जाय,

समुचित रूप से रखे जायें,

(३) इस अधिनियम के अधीन सभी लाइसेंस उसके हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे ।

*श्री शिवनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है "खंड २१ के उप खंड (२) में राज्य सरकार की जगह "समिति" रख दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक में यह है कि सेक्रेटरी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा । अब आप देखिये जो भी काम समिति करायेगी वह सेक्रेटरी के द्वारा ही करायेगी, लेकिन अगर सेक्रेटरी को ऊपर से लाद दिया जायगा तो उससे कार्य कराना संभव न हो सकेगा । विकास खंडों में प्रायः यह देखा जाता है कि उसका सेक्रेटरी विकास खंड अधिकारी को बनाया जाता है, उसका नतीजा यह है कि विकास खंड अधिकारी और प्रधान में नहीं बनती है । आपस में मतभेद होने का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिणाम यह होता है कि सेक्रेटरी प्रमुख के खिलाफ षड़यंत्र रचना प्रारम्भ कर देता है। सदस्यों को गुमराह करके प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का प्रयत्न करता है। ऐसी ही स्थितियों में बहुत से प्रमुखों के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव लाये गये हैं। इस लिये अगर यहां का सचिव भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा तो वह सरकार के इशारे पर ही काम करेगा और उससे उस समिति को जितना सहयोग मिलना चाहिये और जितनी भावना और लगन से उसको काम करना चाहिये, उतना वह कभी न करेगा। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि समिति को यह अधिकार दिया जाय कि वह अपना सचिव स्वयं नियुक्त करे। आशा है मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवनाथ सिंह जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसका मकसद और अभिप्राय मंडी विधेयक, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसकी मंशा के ही अनुरूप है। इसलिये आप इस अधिकार को राज्य सरकार के बजाय समिति को ही दे दें तो अच्छा होगा। और माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि मौजूदा हालत में राज्य सरकार का जहां जहां हस्तक्षेप चल रहा है वे संगठन साधारणतः आज किस तरह से चल रहे हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, केवल यही कहना है कि मंडी समिति का सचिव यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है तो मंडी समिति का रूप सही माने में एक सरकारी संगठन का हो जायगा और आजकल सरकार के अन्दर जितने कुकृत्य हो रहे हैं जिनके चलते आज कांग्रेस पार्टी में इतनी पार्टीबाजी व गुटबन्दी चल रही है, वह सारी गुटबन्दी इस मंडी समिति में भी आ जायगी। इसलिये यदि माननीय मंत्री जी सचमुच चाहते हैं कि यह मंडी समिति कृषकों व उत्पादकों की समिति बने जो उत्पादकों के हितों की रक्षा करे, तो इसके लिये बहुत ही आवश्यक होगा कि इसको राजनीति से अलग रखा जाय। अगर राज्य सरकार द्वारा मंडी समिति के सचिव की नियुक्ति होगी तो मंडी समिति भी राजनीति का अखाड़ा बन जायगी। इन सब बातों को देखते हुए माननीय मंत्री जी इस सुझाव को मान लें कि सचिव की नियुक्ति का अधिकार समिति को ही हो। इन शब्दों के साथ में माननीय शिवनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, वैसे यह आज एक नयी बात नहीं रही, अनुभव से हमें कुछ सीखना चाहिये। राज्य सरकार ने अपने द्वारा कुछ सेक्रेटरीज की नियुक्ति करके कुछ डिपार्टमेंट्स में रखा है और जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने पंचायती राज सिस्टम के अन्तर्गत जो सेक्रेटरी रखे गये हैं उनका उल्लेख किया है वहां सभी जगह झगड़ा है। आज इस पर झगड़ा है कि प्रमुख बड़ा है कि बी० डी० ओ० बड़ा है कानून के अन्तर्गत। साथ ही इस पर भी झगड़ा है कि पंचायत मंत्रियों का ट्रांसफर कौन करे, उनकी चरित्र पुस्तिका कौन लिखे, इन छोटी-छोटी बातों के लिये झगड़ा है। सरकार द्वारा नियुक्त आदमी होने पर कभी-कभी चुने प्रतिनिधियों की नहीं चलती। इसी प्रकार से कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जहां लाखों करोड़ों का गबन है और सुपरवीजन सरकार का ही है। मैं बांदा जिले की एक घटना का उल्लेख कर दूं, वहां एक सुपरवाइजर थे जो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी ही थे। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने रुपये का गबन किया है। उनका ट्रांसफर हुआ और दफ्तर में आग लगा दी गयी और कहा गया कि सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है। पब्लिक का रुपया इधर से उधर घपले में पड़ गया और सरकार कुछ नहीं कर पायी। इस मंडी विधेयक के संबंध में माननीय मंत्री जी की जो भावना है उसको वे अनेकों बार दूसरे मौकों पर भी व्यक्त करते रहे हैं। तो मैं इस निश्चित मत का हूं कि अगर माननीय मंत्री जी किसानों का भला चाहते हैं तो इन सेक्रेटरीज की नियुक्ति का अधिकार उस मंडी समिति के ही हाथ में दे दें। वास्तविकता यह है कि आज गांवों के अन्दर बहुत से

[श्री रक्षपालसिंह]

स्थानों पर ऐसे लेखपाल हैं जो आज भी रजिस्टर अपनी जेब में दबाये फिरते हैं और प्रधान द्वारा बुलाने पर भी ४–४ और ६–६ दिनों तक नहीं आते हैं । यदि सरकार किसानों की रक्षा करना चाहती है तो उसे चाहिये कि सचिवों पर भंडी समितियों का ही नियंत्रण रहे । वरना यह एक तरह से समितियों के काय में सरकार का बराबर इंटरफिरेंस रहेगा । यदि समिति अपने सचिव को रखेगी तो उसको निकालने का भी जो अधिकार रहेगा वरना सरकार द्वारा नियुक्त सचिव कह सकता है कि जो मेरे मन में आयेगा मैं करूंगा क्योंकि मैं तो सरकार का कर्मचारी हूं आप जो चाहें करें । वह साफ साफ कहेगा कि आप मुझे निकाल तो सकते नहीं हैं । इसलिये सचिव को नियुक्त करने का सारा अधिकार समिति के हाथ में रहे जिससे उसका सीधा सम्पर्क बना रहे । इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री चरणसिंह––

उपाध्यक्ष जी, मेरे माननीय मित्रों ने जो आशंकायें प्रकट की हैं उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं । यह खराबी इस प्रोपोजल में जरूर है जो कि गवर्नमेन्ट के राज्य कर्मचारी के होने से होती है । मैं मानता हूं लेकिन इस के अलावा दुनिया में जो भी कानून बनाये जाते हैं वह आन बेलेन्स यानी बुराई और भलाई या खिलाफ और मुआफिक आर्गूमेंट्स को देखकर कि किधर पलड़ा भारी है वह बनाये जाते हैं । अगर यह समझा जाय कि समिति नियुक्ति करेगी तो जरूरी है कि समिति २ भागों में बंट जायगी कि कौन एप्वाइंट हो और जूता काम आरम्भ होने से पहले ही चल जायगा और काम बाद में होगा ।

दूसरे आप उस को डिसमिस ही कर सकेंगे और उस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं । सिवा डिसमिस होने के और कुछ नहीं हो सकेगा । लेकिन डिसमिसल की नौबत बहुत कम आती है लिहाजा फरीकबन्दी रहेगी जिस तरह कि जिला बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों में होती रहती है । बीसों साल से इन इदारों की तरफ से कोशिश है कि इंजीनियर्स, सेक्रेटरी और डाक्टरों पर वह तो शायद अब प्राविन्शियलाइज हो रहे हैं बाकी वह लोग भी उसी तरह से हो जायें ताकि उन के भी तबादले वगैरह हो सकें । राज्य कर्मचारी होने में कठिनाई यह है कि वह समझेंगे कि हम समिति के पूरी तरह से नौकर नहीं हैं और समिति के नौकर होंगे तो तबादला नहीं हो सकेगा और उस में फरीकबन्दी होगी और उसमें भी कठिनाई होगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र––

उसके डिसमिसल का अधिकार कमेटी को दे दीजिये, वह अपने पास न रखिये ।

श्री चरणसिंह––

गवर्नमेन्ट को तो अधिकार होगा ही लेकिन समिति को अधिकार देना उचित न होगा । अगर कोई खराबी करता है और कमेटी शिकायत करती है तो उस का तबादला या डिसमिसल होगा । तो इन दोनों बातों को तोलने के बाद यह मुनासिब होगा कि शुरू में हम ऐसे ही चलने दें और बाद में अगर देखें कि इसमें कठिनाई है तो फिर हम ठीक कर सकते हैं, फिर देखेंगे कि कमेटी के कंट्रोल के लिये एन्ट्री आदि का अधिकार उसको दे दें लेकिन अभी शतप्रतिशत कमेटी के सुपुर्द करना मुनासिब न होगा । यह दोनों चीजें सेलेक्ट कमेटी के सामने आई थीं, वहां पर इस पर अच्छी तरह से विचार किया गया और कमेटी ने यूनानिमसली यह तय किया कि फिलहाल ऐसे ही रखा जाय और अगर कठिनाई होगी तो अपने हाथ की बात है, बाद में देखा जायगा ।

मुझे अपने मित्र की बातें सुनकर जरा ताज्जुब हो रहा है जिन्होंने दलीलें दी हैं और जिन की बात से मुझे कुछ शंका पैदा हो गई उस का हल मैं उनसे सुनना चाहूंगा । कहा गया कि सरकार का नियंत्रण उस कमेटी पर हो जायगा । यह बात मैं तसलीम करता हूं लेकिन तब लोग इसी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के हक में थे कि मनुष्य की जो भोजन की पहली आवश्यकता है उसके क्रय-विक्रय का काम सरकारी कर्मचारी करें। जब इस अहम काम को आप नीचे से ऊपर तक सरकारी कर्मचारियों के हाथ में देना चाहते हैं तो वह तो उन के हाथ से ठीक होगा, वह मंजूर है, लेकिन इस में उन्हें शंका है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस को अभी नामंजूर कर रहा हूं, अभी यह बहुत हद तक मंजूर है और बहुत हद तक नामंजूर है। लेकिन हमारे यहां ऐसी कुछ बात है कि हमारे देशवासियों को अपने यहां की मिसाल ज्यादा समझ में नहीं आती और अपने तजुर्बे पर भी उन्हें ज्यादा विश्वास नहीं है लेकिन अंग्रेज, अमरीका और रूस वाले कह देते हैं तो उस पर मोहर लग जाती है और उन की बात पक्की समझी जाती है। रूस में पूरे तरीके से स्टेट ट्रेडिंग है, लेकिन उन्होंने १२ मिलियन टन अनाज कैनाडा और अमरीका से इसी साल खरीदा और उन का चूंकि वहां से व्यापार नहीं था इस लिये पैसे के बजाय उस के एवज में सोना दिया, फ्रांस और इंगलैंड से खरीदा जहां उन का व्यापार नहीं था, वह नकद चाहते थे इस लिये सोना बेचकर दिया। हमारी गवर्नमेन्ट केवल ६ मिलियन टन खरीदने जा रही है। अभी तक ३ या ३ १/२ मिलियन टन खरीदा है। जमीन रूस में ४,८४० मिलियन एकड़ है और आपके मुल्क में ३,३०० मि० एकड़ जमीन है। आबादी भी आपकी ज्यादा है लेकिन गल्ला खरीद रहे हैं दूना। ६ मिलियन के बजाय १२ मिलियन खरीद रहे हैं। आपके मुल्क की आबादी ४० करोड़ है जबकि रूस की आबादी केवल २३ करोड़ है जमीन हमारी जो है वह केवल ३३ मिलियन एकड़ है और उनके पास ४८ करोड़ एकड़ है। तो ६ के मुकाबिले में ३६ बावजूद स्टेट ट्रेडिंग के। स्टेट ट्रेडिंग जो मुनाफाखोर हैं उनके मानने के लिए एक चीज है लेकिन डिस्ट्रिबिंकशन का तरीका है। वहां पर भी वैदर की खराबी की वजह से फसल खराब हो गयी। वहां का इंतजाम भी अच्छा है। वहां पर फर्टीलाइजर यहां के मुकाबिले में बहुत अधिक है, पानी भी है, टैक्नोलाजिकल रिसोर्सेज भी हैं और उत्पादन के सारे साधन हैं। वहां पर ४० वर्ष से कम्यूनिज्म है पर फिर भी यहां से ६ गुना अन्न मंगवा रहे हैं, केवल मौसम की खराबी के कारण। तो क्या वैदर का असर वहां पर ही होता है हिन्दुस्तान में नहीं? असल तो प्रोडक्शन की प्राब्लम है। कुछ कमी डिस्ट्रिब्यूशन में भी हो सकती है, मुमकिन है कि हमारी कुछ खराबी रही हो लेकिन असल में रेस्पान्सिबिलिटी हमारे यहां तो प्रोडक्शन की है वह है वैदर पर आश्रित।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कि १९६०–६१ की रबी की फसल के समय में मिनिस्टर था, तो अगर मैं उस का श्रेय ले सकता हूं कि हिन्दुस्तान भर में दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी फसल हुयी, तो मैं वही अब भी हूं जबकि १९६३–६४ में फसल कम हुयी? तो तब भी वैदर की जिम्मेदारी थी और अब भी वैदर की ही जिम्मेदारी है। हमारे देश की खाद्य स्थिति हमारे यहां की वैदर पर निर्भर करता है सरकार के कन्ट्रोल के कारण नहीं है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गड़बड़ा हो सकती है।

एक तरफ तो हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है और दूसरे शब्दों में हम यह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में यह खराबी है या वह खराबी है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि मेरी बात मेरे मित्र की समझ में आ गयी होगी और वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री शिवनाथसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो भी विचार पेश किये हैं मैं उनसे सहमत हूं। विकास खंड में हो या पंचायतों में हो जहां कहीं भी सरकारी कर्मचारियों का हाथ होगा तो कभी एक भी काम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य को उस सरकारी कर्मचारी का जवाब होता है कि हम तो जो हमें सूझेगा वही करेंगे या जो सरकार के आदेश हैं उसी को करेंगे और तुम्हें करना है वह कर लो। जब वह आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो आपकी समितियां जो इस

[श्री विश्वनाथ सिंह]

प्रकार से गठित होंगी तो किस प्रकार से काम चल सकेगा। अतः मेरा सुझाव है कि अगर उसकी नियुक्ति समिति के हाथ में नहीं होगी तो बहुत जूते चलेंगे। हमारे यहां पर जो भी सचिव नियुक्त हुआ उसका तजुर्बा बहुत ही कड़वा हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही उसको नियुक्त करने का अधिकार समिति को दे दिया जाय। तभी काम ठीक तरीके से चल सकेगा और समिति का कार्य सुचारु रूप से चलेगा। अगर सरकार समिति को उस सचिव के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं देती है तो समिति का कार्य चलना किसी तरह से संभव नहीं है। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—

मैं अपने मित्र के सुझाव से सहमत हूं कि समिति का सेक्रेटरी पर अधिकार होना चाहिये। अधिकार रूल्स के जरिये तय होंगे और आपके सामने रखे जायेंगे। आप मुझे सुझाव भेज देंगे, रूल्स के जरिये जितना संभव हो सकता है कमेटी के अधिकार सचिव पर हम रख देंगे। यह कमेटियां पहले पहल खड़ी की जा रही हैं, शुरू में साल भर के लिये नामिनेट करेंगे। ऐसी हालत में सेक्रेटरी की नियुक्ति तथा डिसमिसल समिति के हाथ में देना बहुत अधिक हो जायगा। मैं उनकी भावना से सहमत हूं। मेरा विचार यही है कि अभी कुछ दिन इसे सरकार के हाथ में ही रहना चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह—

समिति उस सचिव के काम से संतुष्ट नहीं है तो चार्जशीट दे सकती है और उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय।

श्री चरणसिंह—

मैं इस समय कोई कमिटमेंट नहीं करता लेकिन जितना आप कहेंगे करने को तैयार हूं।

श्री शिवनाथसिंह—

मैं संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २१ और २२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २३–२९

सभापति या निदेशक द्वारा दी गयी आज्ञा के विरुद्ध अपील

२३—(१) अधिनियम के अधीन तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए—

(क) समिति के सचिव से अथवा समिति के अधीन काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से भिन्न, समिति का कोई अधिकारी या सेवक या कोई अन्य व्यक्ति जो समिति या उसके सभापति द्वारा दी गयी किसी आज्ञा से क्षुब्ध हो, निदेशक को अपील प्रस्तुत कर सकता है जो उसका निर्णय नियत रीति से करेगा।

(ख) समिति का सचिव या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त और समिति के अधीन काम करने वाला कोई अन्य अधिकारी, जो निदेशक अथवा समिति या उसके सभापति द्वारा उसके विरुद्ध दी गयी आज्ञा से क्षुब्ध हो,

राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो उसका निर्णय नियत रीति से करेगी ।

(२) इस धारा के अधीन अपील उस दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायगी जब सम्बद्ध व्यक्ति या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को वह आज्ञा जिसके विरुद्ध अपील हो, संसूचित की गयी हो और उसके साथ ऐसे शुल्क यदि कोई हों, दिये जायेंगे, जो नियत किये जायें ।

इस अधिनियम के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

२४—समिति का प्रत्येक अधिकारी या सेवक, इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में 'पब्लिक सर्वेंट' लोक-सेवक समझा जायगा ।

निदेशक के अधिकार और कर्त्तव्य

२५—(१) निदेशक, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति, उसके सभापति, उप-सभापति, सदस्यों, सचिव तथा समिति के अधीन काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों के ऊपर अधीक्षण तथा नियंत्रण के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायें ।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, निदेशक, समिति के मामलों से सम्बद्ध सभी लेख्यों या अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और समिति, उसके सभापति, उप-सभापति-सदस्यों, अधिकारियों या सेवकों से ऐसी सूचना या सामग्री देने की अपेक्षा कर सकता है जो वह आवश्यक समझे ।

(३) समिति के मामलों से सम्बद्ध किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निदेशक से समिति, उसके सभापति, उप-सभापति सदस्य, सचिव या अधिकारी के विरुद्ध जांच करने या कार्यवाही प्रारम्भ करने की अपेक्षा कर सकती है, और निदेशक तदनुसार कार्य करेगा ।

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(४) निदेशक को इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए वही अधिकार प्राप्त होंगे जो किसी वाद पर विचार करते समय निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी दीवानी न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका बयान लेना,

(ख) लेख्य प्रकट करने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना, और

(ग) कोई अन्य विषय जो नियत किये जायें ।

समिति के किसी सदस्य को हटाने का राज्य सरकार का अधिकार

२६—(१) राज्य सरकार, समिति के सदस्य, सभापति या उप-सभापति को हटा सकती है, यदि उसकी राय में वह—

(क) सदस्य, सभापति या उप-सभापति के रूप में दुराचरण या कर्त्तव्य की घोर उपेक्षा का दोषी हो ; या

(ख) उन अर्हताओं से सम्पन्न नहीं है जो उसके सदस्य, सभापति या उप-सभापति होने के लिए आवश्यक है;

(२) उपधारा (१) के अधीन हटाये जाने की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक कि सम्बद्ध व्यक्ति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया गया हो ।

समिति का अवक्रमण

२७—जब राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी समिति ने अपने त्यों का सम्पादन या अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया है या उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्राप्त अधिकारों का अतिक्रमण किया है या उनका दुरुपयोग किया है तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा समिति को अवक्रांत कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि अवक्रमण की कोई आज्ञा तब तक नहीं दी जायगी जब तक [कि] राज्य सरकार ने समिति को अपने विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का समुचित अवसर न दे दिया हो ।

अवक्रमण के परिणाम

२८—धारा २७ के अधीन समिति के अवक्रमण की विज्ञप्ति के प्रकाशित होने पर निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होंगे—

(१) समिति के सभापति तथा उप-सभापति सहित समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दिनांक से अपने-अपने पद रिक्त कर दिये हैं;

(२) राज्य सरकार निदेश देगी कि धारा १२ के अधीन नयी समिति संघटित करने के लिये कार्यवाही की जाय और उस समय तक उपर्युक्त धारा १२ के अधीन नयी समिति संघटित न हो जाय, राज्य सरकार समिति के कृत्यों के सम्पादन के लिये ऐसा प्रबंध करेगी जो वह उचित समझे और इस प्रयोजन के लिए निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन समिति और उसके सभापति के सभी कृत्यों का सम्पादन, अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा, जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति या सभापति समझा जायगा ।

समिति द्वारा पारित संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करने का राज्य सरकार का अधिकार

२९—(१) राज्य सरकार स्वतः, या कोई रिपोर्ट अथवा शिकायत प्राप्त होने पर, समिति द्वारा या उसके सभापति या किसी अधिकारी या सेवक द्वारा [इस अधिनियम के अधीन पारित] संकल्प या दी गयी आज्ञा के निष्पादन या आगे निष्पादन का आदेश द्वारा निषेध कर सकती है, यदि उसकी यह राय हो कि वह संकल्प या आज्ञा लोक-हित के प्रतिकूल है अथवा उससे किसी मंडी-क्षेत्र, प्रधान मंडी-स्थल या उपमंडी-स्थल में कारोबार के दक्षतापूर्वक चलाने में बाधा पड़ने की सम्भावना है अथवा वह इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा किसी संकल्प या आज्ञा का निष्पादन या आगे निष्पादन निषिद्ध किया जाये और वह आदेश प्रचलित हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिसे करने का अधिकार समिति को संकल्प न पारित किये जाने या आज्ञा न दिये जाने की दशा में होता और जो सभापति या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी को ऐसे संकल्प या आज्ञा के अधीन किसी काम को करने या उसके जारी रखने को रोकने के लिए आवश्यक हो ।

श्री शिवनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के उपखंड (२) की प्रथम लाइन में "तीस दिन" के स्थान पर "साठ दिन" रख दिया जाय ।

मेरा निवेदन यह है कि अपील के लिये ३० दिन का समय बहुत कम है उसे ६० दिन कर दिया जाय ताकि अपील करने वाला केस के बारे में तैयारी कर सके और अपील कर सके ।

श्री चरणसिंह—

मन में तो यही आता है कि यह संशोधन स्वीकार कर लूं, बहुत छोटी-सी बात है लेकिन इतने दिन रहने से अनरटेंट रहेंगे और अपील करने वाले को भी क्या फायदा होगा? असल में तो १५ दिन ही होने चाहिये थे। लिहाजा मैं समझता हूं कि ३० दिन ही रहने दिये जायं।

श्री शिवनाथसिंह—

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २३, २४, २५ २६, २७, २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०, ३१, ३२ तथा ३३

समिति को कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आज्ञा देने के राज्य सरकार के अधिकार

३०—राज्य सरकार किसी भी समय समिति द्वारा [इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन] दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिवर्तित या रद्द होनी चाहिये या उल्टी जानी चाहिये तो राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।

अधिकारों का प्रतिनिधान

३१—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुये जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन अपने किसी अधिकार या किसी अन्य प्राधिकारी के अधिकारों को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, प्रतिनिहित कर सकती है।

समिति के विरुद्ध वाद

३२—(१) किसी समिति, उसके सभापति, उप-सभापति या उसके किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक के विरुद्ध उसके द्वारा अपने अधिकारिक रूप में किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में तब तक कोई वाद प्रस्तुत न किया जायगा जब तक एक लिखित नोटिस के, जिसमें वाद कारण और वादी का नाम तथा निवास-स्थान और प्रार्थित अनुतोष का उल्लेख हो, तामील किये जाने के दिनांक से दो माह न व्यतीत हो गये हों।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस—

(१) यदि वह समिति के लिये हो तो काम के किसी भी दिन उसके कार्यालय में दिया जायगा या उसके सभापति, उपसभापति अथवा सचिव को दे दिया जायगा अथवा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा, और

(२) प्रत्येक अन्य दशा में सम्बद्ध व्यक्ति को दिया जायगा या रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जायगा।

(३) उपधारा (१) में उल्लिखित कोई वाद, वाद कारण उत्पन्न होने के छः महीने के पश्चात् प्रारम्भ न किया जायगा जब तक [कि] वह अचल सम्पत्ति की प्राप्ति या उसके आगम की घोषणा के लिये न हो।

(४) उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे वाद पर प्रवृत्त होती है जिसमें प्रार्थित अनुतोष केवल व्यादेश (injunction) हो जिसका उद्देश्य नोटिस दिये जाने से या वाद अथवा कार्यवाही का प्रारम्भ स्थगित किये जाने से विफल हो जायगा।

सरकार को समिति द्वारा देय धनराशि की वसूली

३३—सरकार को समिति द्वारा देय कोई भी धनराशि मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।

प्रवेश करने तथा तलाशी लेने का अधिकार

३३-क—ऐसे निर्बंधनों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायें, मंडी समिति का सचिव अथवा समिति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन मंडी समिति पर आरोपित किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन करने के लिये, सभी उचित समय पर, किसी भी स्थान, भू-गृहादि या वाहन (vehicle) में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है।

*श्री शिवनाथसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३० की ५वीं लाइन में "चाहिये" के बाद "उचित समझे" तक पूर्ण वाक्य निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर निम्नांकित रख दिया जाय :

"तो राज्य सरकार उसको निर्णयार्थ जज की अदालत में भेज सकती है और उसका फैसला अन्तिम होगा"

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी मूल धारा यह है कि "राज्य सरकार किसी भी समय समिति द्वारा (इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन) दिये गये किसी निर्णय या आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से समिति की कार्यवाहियां मंगा सकती है और यदि उसकी यह राय हो कि समिति का निर्णय या उसकी आज्ञा परिष्कृत या रद्द होगी या उलटी जानी चाहिये तो राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे।"

इस धारा से स्पष्ट है कि समिति अपनी जगह पर स्वतंत्रता पूर्वक निश्चय नहीं ले सकती है। अगर सरकार की कृपा नहीं हुई तो समिति अपने हित के लिये कोई नियम बनाये या फैसला ले तो सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यदि सरकार को उसके किसी काम से आपत्ति है तो वह अदालत में जा सकती है। जैसी कि आज स्थिति चल रही है बहुत संभव है कि लोग बेजा फायदा उठायें और समिति को अपनी जगह पर कार्य न करने दें। जैसा कि तजुर्बा बताता है कि जहां पर हमारे विरोधी दलों के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या टाउन एरिया में बने हैं वहां पर सरकार द्वारा समुचित सहयोग नहीं मिला और प्रायः वह फेल हुये हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति यहां पर हो सकती है। सरकार पूरे अधिकार रखेगी और समितियों को खुले रूप से कार्य करने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको समझें और उसके बाद फैसला लें।

*श्री चरणसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, सब लोगों की भावना ठीक है। माननीय होरीलाल जी और अन्य दोस्तों की बात ठीक है लेकिन इलाज सब गलत बताते हैं। यह बात ठीक है कि कभी कभी गवर्नमेंट से ऐसे काम होते हैं जो शिकायत का मौका देते हैं। लेकिन इसका इलाज यह नहीं है कि हर चीज को अदालत के सुपुर्द कर दिया जाय। किसी डिसीशन के सिलसिले में अगर कोई शिकायत हो तो प्रावीजन है कि गवर्नमेंट रिकार्ड मंगा ले और फैसला ले ले। आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिकार्ड तो मंगा ले, लेकिन फैसला न ले और मामले को अदालत में भेज दे। अदालत में कितने साल लगेंगे इसकी कोई मियाद नहीं है। इससे क्या संतोषजनक व्यवस्था होगी? हरगिज नहीं। इलाज यह नहीं है कि अगर वे गलती करें तो गवर्नमेंट अदालत में चली जाय। श्रीमन्, इसका इलाज तो एक ही है कि गवर्नमेंट को ठीक किया जाय। अब चाहे गवर्नमेंट आपकी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो या हमारी गवर्नमेंट हो। इसके लिये एम० एल० एज० का ठीक होना जरूरी है और एम० एल० एज० ठीक हो इसके लिये जनता का चरित्र अच्छा होना जरूरी है। तो श्रीमन् यह एक लम्बी कहानी है। यह स्थान भी नहीं है इसके बताने का लेकिन इतना है कि कम से कम यह इलाज नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात मेरी समझ में नहीं आयी। मैं समझता हूं कि अगर यह विधेयक इसी तरह से पास होगा तो मंडी समितियां निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं होंगी। जैसा कि मैंने देखा है कि पंचायतों के लिये यह आदेश था कि प्रत्येक पंचायत एक आना रुपया टैक्स लगा सकती है। लेकिन कुछ पंचायतों ने यह तय किया कि एक आना रुपया टैक्स नहीं लगायेंगे। उस समय सरकार ने आदेश दिया कि अगर पंचायतें टैक्स नहीं लगातीं तो इंस्पेक्टर को हक है कि वह टैक्स लगा दे और वह वसूल किया जायगा। ऐसी स्थिति में हमें खतरा है कि सरकार ने नियम बना दिये और परिस्थिति देखते हुये मुनासिब नहीं समझा तो सरकार उस समय हमें बाध्य करेगी और मजबूर करेगी और जैसे चाहेगी कानून लादेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन सही है और मंत्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री चरणसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी जगह पर अपने आपको सही समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३० की पांचवीं लाइन में "चाहिये" के बाद "उचित समझे" तक पूर्ण वाक्य निकाल दिया जाय और उसकी जगह पर निम्नांकित रख दिया जाय :

"तो राज्य सरकार उसका निर्णय जज की अदालत में भेज सकती है और उसका फैसला अन्तिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३०, ३१, ३२ और ३३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३४, ३५, ३६ तथा ३७

३४--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ९ या धारा १० के किन्हीं भी उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों का उल्लंघन करता है तो उसे ९० दिन तक का साधारण कारावास का दंड अथवा ५०० रु० तक का अर्थ-दंड अथवा दोनों ही दंड दिये जा सकेंगे और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम बार दोषी सिद्ध किये जाने के दिनांक के बाद प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि उल्लंघन जारी रहे, ५० रु० तक प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थ दंड दिया जा सकेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के, धारा ९ और धारा १० के उपबन्धों को छोड़कर, किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो उसे २०० रु० तक का अर्थ दंड दिया जा सकेगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में, प्रथम बार दोषी सिद्ध किये जाने के दिनांक के बाद प्रत्येक दिन के लिये, जिसमें उल्लंघन जारी रहे, २० रु० तक प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थ-दंड दिया जा सकेगा।

अपराधों पर विचार

३५—(१) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर ऐसे न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जायगा, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो।

(२) जब तक निदेशक या सचिव या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे समिति ने तदर्थ संकल्प पारित करके प्राधिकृत किया हो, परिवाद प्रस्तुत न किया जाय, तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा।

उपविधियां

३६—(१) मंडी समिति, इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से संगत न होते हुये निम्नलिखित की व्यवस्था के लिए उपविधियां बना सकती है:—

(१) अपने कार्यों का विनियमन ;

(२) धारा १६ के खंड (७) के अधीन नियुक्त की जाने वाली उप-समिति, यदि कोई हो, की नियुक्ति, उसके अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ;

(३) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों, तोलकों और पल्लेदारों के कर्तव्यों; और

(४) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपविधियों द्वारा की जानी अपेक्षित हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपविधि तब तक वैध न होगी जब तक वह निदेशक द्वारा अनुमोदित न कर दी जाये।

(२) यदि उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में, समिति ने कोई उपविधियां नहीं बनाई हैं अथवा यदि समिति द्वारा बनाई गई उपविधियां, निदेशक की राय में पर्याप्त नहीं हैं तो निदेशक उपविधियां बना सकता है जिसमें ऐसे विषयों की उस प्रक्रम तक व्यवस्था होगी जो वह उचित समझे।

नियम

३७—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वित करने [के प्रयोजन] के लिये, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(२) विशेष रूप से और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है :—

(१) समिति के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन और उससे सम्बद्ध मामले, जिनके अन्तर्गत मतदाताओं की सूची तैयार करना और उसके पुनरीक्षण और समिति के संघटन से संबद्ध अन्य विषय भी हैं ;

(२) किसी समिति के सभापति, उपसभापति या अन्य सदस्यों के पद की रिक्ति की पूर्ति ;

(३) समिति के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन :

(४) समिति की बैठकों से संबद्ध प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत गणपूर्ति भी है ;

(५) यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्ते जो किसी समिति के सदस्यों को दिये जायं ;

(६) समिति तथा उसके सभापति, सदस्य, अधिकारियों और सेवकों के कृत्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों से संबद्ध मामले ;

(७) लाइसेंस शुल्क और मंडी-शुल्क, जो समिति द्वारा लगाये तथा वसूल किये जा सकते हैं और उनकी वसूली की रीति;

(८) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के जारी किये जाने और उनके नवीकरण की शर्तें;

(९) इस अधिनियम के अधीन मतभेदों और विवादों को निपटाने के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(१०) रीति, जिसके अनुसार इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा किये जाने वाले निर्माण-कार्य के लिये नक्शे और प्राक्कलन तैयार किये जायंगे तथा स्वीकृति या अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे ;

(११) समिति द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा पुस्तिकायें ;

(१२) प्रपत्र जिसमें समिति के लेखे रखे जायेंगे, रीति जिसके अनुसार उनकी लेखा-परीक्षा की जायगी, और वह समय अथवा वे समय जब वे प्रकाशित किये जायेंगे;

(१३) किसी समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदनों और विवरणियों के प्रपत्र तथा उनमें उल्लिखित किये जाने वाले ब्योरे ;

(१४) समिति की अधिशेष निधियों के विनियोजन (Investment) और उनका निस्तरण करने की रीति ;

(१५) मंडी क्षेत्र में प्रयोग किये जाने वाले बांट तथा माप और तोलने तथा मापने के यंत्रों का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(१६) व्यापारिक परिव्यय, जो प्रधान मंडी-स्थलों या उप मंडी-स्थलों में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के किसी सौदे में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे;

(१७) निर्दिष्ट-कृषि-उत्पादन का वर्गीकरण और मान स्थापन;

(१८) व्यापारियों द्वारा निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन की मूल्य-सूची रखना,

(१९) रीति, जिसके अनुसार मंडी-क्षेत्र में निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन बिक्री या उसका नीलाम किया जायगा और बोलियां लगायी जायेंगी तथा उन्हें स्वीकार किया जायगा;

(२०) शर्तें, जिनके अधीन समिति किसी सम्पत्ति को पट्टे पर दे सकती है, बेच सकती है या अन्य रूप से उसका हस्तान्तरण कर सकती है

(२१) समिति की ओर से संविदा करने के लिए प्राधिकार और उसे करने की रीति;

(२२) समिति के अधिकारियों और सेवकों के नियोजन की शर्तें और ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के अनुशासन, नियंत्रण, दण्ड, पदच्युति सेवोन्मुक्ति तथा हटाये जाने से सम्बद्ध विषय;

(२३) इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने और उनका निस्तारण करने की प्रक्रिया;

(२४) दलालों, आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दी जाने वाली अग्रिम राशियों का, यदि कोई हो, विनियमन;

(२५) विवाचन और अपीलों का शुल्क;

(२६) व्यापारियों, आढ़तियों, दलालों और तोलकों द्वारा लेखा-पुस्तिकाओं का रखा जाना, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा निरीक्षण;

(२७) नमूना बनाने, विक्रय, क्रय, तुलाई और सौदों को अभिलिखित करने के समय, स्थान तथा रीति और भुगतान करने का ढंग;

(२८) मंडी-क्षेत्र में लाये गये किसी निर्दिष्ट कृषि उत्पादन का संग्रह करने के लिए स्थान की व्यवस्था;

(२९) वार्षिक बजट तैयार करने और अनुमोदन के लिए उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया;

(३०) समितियों के कृत्य सम्पादन का निरीक्षण करने से सम्बद्ध विषय;

(३१) दलालों का निर्दिष्ट कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में क्रेता और विक्रेता दोनों की ओर से किसी सौदे में काम करने का निषेध करना; और

(३२) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाना हो या नियत किया जा सकता हो।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या संशोधनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या संशोधन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३४ से ३७ तक इस विधेयक के अंग माने जांय।

श्री रघुनाथसिंह--

श्रीमन्, १२ नम्बर का संशोधन रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अपने आप रह जायगा, अगर उचित समझा जायगा। यह शाब्दिक है, स्पीकर साहब की तरफ से हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३४ से ३७ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३८ ।

श्री शिवनाथसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि—खंड ३८ के रूप में निम्नांकित खंड अन्त में जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार उत्पादकों को दोहरी लूट से बचाने के लिये फसल से पहले ही दाम नीति निर्धारित किया करेगी। दाम नीति यह होगी कि लागत मूल्य से दो फसलों के बीच १ आना से अधिक उतार चढ़ाव न होगा।"

श्री चरणसिंह—

यह बात तो सदन में कई बार रखी जा चुकी है और यह विषय इस विधेयक की परिधि से बाहर है इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय शिवनाथ सिंह जी इस पर इस समय ज्यादा बल नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३८ के रूप में निम्नांकित खंड अन्त में जोड़ दिया जाय—

"राज्य सरकार उत्पादकों को दोहरी लूट से बचाने के लिये फसल से पहले ही दाम नीति निर्धारित किया करेगी। दाम नीति यह होगी कि लागत मूल्य से दो फसलों के बीच १ आना से अधिक उतार चढ़ाव न होगा।"

श्री उग्रसेन—

व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं मत ले रहा हूं। आप इस समय व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खन्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया।)

उत्तर प्रदेश में कृषि-उत्पादन के क्रय-विक्रय के विनियमन और उनके लिये मंडियों की तथा उनके अधीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था करने का स्थापना।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्निलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १
प्रारम्भिक

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, १९६३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षक नाम और

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा। प्रसार।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री उग्रसेन--

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा ५ मिनट के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है । कहिये ।

श्री उग्रसेन--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आज दिन में जब माननीय कृष्णानन्द राय जो अधिष्ठाता पद पर थे तो उन्होंने १ और २ के बीच में मतदान करा दिया । लेकिन जो भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष विराजमान होते हैं उनके समय में १ और २ के बीच में मतदान नहीं होता । उन्होंने आपकी व्यवस्था को उलट दिया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था को वे उलट सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, कल इस व्यवस्था के प्रश्न को रख दीजियेगा ।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि अब वह प्रवर समिति तथा इस सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन--

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, १५ मिनट के लिये सदन का समय बढ़ाया जाता है, आप विरोध कर लीजिये ।

श्री उग्रसेन--

मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, एकाध मिनट में ही कहना चाहता हूं । हमारी पार्टी ने बहुत से महत्वपूर्ण संशोधन इस विधेयक में दिये थे और खासकर आज इस देश को महंगाई के लिये दाम बांधो नीति वाला संशोधन बहुत आवश्यक था । सोशलिस्ट पार्टी ने २ फसलों के बीच में १ आना से अधिक दामों में उतार-चढ़ाव और कारखाने के उत्पादन में और कृषि के उत्पादन मूल्यों में डेढ़ गुने से ज्यादे का अन्तर न हो यह हमने कहा था । लेकिन मंत्री जी ने कह दिया कि इससे इसका संबंध नहीं है । मंत्री जी ने विधेयक की चारदीवारी को बांध दिया है और मंडी की परिभाषा कर दी है । लेकिन अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा है कि जहां खरीददार और बेंचने वाले इकट्ठा होते हैं और एक तरह का दाम चलता है वही बाजार है । बाजार वह नहीं है जहां सिर्फ एक ही यूनिट हो या एक मूल्य का क्रम न चलता हो । मैं कहता हूं कि प्लानिंग कमीशन और अशोक मेहता जी ने कहा है कि प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ है । यहीं तक नहीं उन्होंने यह भी कह दिया है कि इम्प्लीमेंटेशन ही गलत नहीं हुआ है, यह नियोजन ही गलत है । दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं । इन तमाम बातों का असर क्या मंडी पर नहीं पड़ेगा ? हमने जो सरकार को सुझाव दिया था और जो संशोधन रखे थे वह बहुत ही महत्वपूर्ण थे लेकिन सरकार के पास चूंकि संख्यासुर का बल है तो हमारी बातों को मंजूर नहीं किया गया । मैं यह मानता हूं कि यह विधेयक मुनासिब है लेकिन आगे चलकर इससे कठिनाई होगी और यह महंगाई रुक नहीं सकती और जो यह विधेयक लाया गया है उससे उतना फायदा पहुंच नहीं सकता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब सदन का १५ मिनट समय बढ़ाया जाता है।

श्री रक्षपाल सिंह--

यह विधेयक जो रखा गया है यह अपूर्ण विधेयक है। परन्तु वह अब यहां से क्लाज-वाइज पास हो चुका है और अब तृतीय वाचन उसका चल रहा है। इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसके नियम बने तो उन सब बातों को इसमें इनकारपोरेट किया जाय जो यहां पर कही गई हैं। उन सब बातों की व्यवस्था इस विधेयक के रूल्स में होनी चाहिये।

दूसरी बात चुनाव के लिये यह कही गई है इस विधेयक के अन्दर कि वह नियत रीति से किया जायगा। उसका रूप नहीं बतलाया गया है कि वह किस तरह से किया जायगा। जब तक उसका रूप मालूम न हो कि कैसे किया जाय तब तक पता नहीं चल सकता है कि उसका ढंग क्या होगा। एक बात यह है कि निर्वाचन संबंधित नियम में सरकार द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी का जो अधिकार होगा उसकी पूर्ण रूप से विवेचना होनी चाहिये। और हर एक बात के ऊपर ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये।

एक बात और मुझे देखने को मिली। हम को ३७ धारा के अन्दर नियम बनाने के अधिकार हैं और वह नियम राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकती है। मेरा यह सुझाव है कि नियमों के अन्दर ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि वह समय एक मास से कम न हो। मेरा पिछला यह अनुभव है कि जो विज्ञप्ति मांगी जाती है अगर ४ दिन के समय के अन्दर मांगी गयी है तो उसके अन्दर १० दिन लग जाते हैं पहुंचने में और १० दिन के बाद मिलती है। तो यह व्यवस्था नियमों के अन्दर कर दी जाय कि प्रकाशन के एक मास के अन्दर वह नियम बन जायं। जिस भावना से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन--

आपने केवल ५ मिनट का समय बढ़ाया था वह समाप्त हो गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने १५ मिनट का समय बढ़ा दिया था।

श्री मैनेजरसिंह--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से सहमति प्रकट करते हुये भी मैं इसके विरोध करने का साहस इसलिये और कर रहा हूं कि जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने अपने दल के बहुमत के आधार पर स्वीकृत कराया है इससे इस विधेयक में उल्लिखित उद्देश्य और कारणों की पूर्ति नहीं होगी। इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

मुझे उपाध्यक्ष जी, सख्त अफसोस है कि विरोधी पक्ष से जो आवश्यक संशोधन प्रस्तुत किये गये उनका भी आदर माननीय मंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मान्यवर, मुझे यों शिकायत भी नहीं है कांग्रेस पक्ष से। अभी कौंसिल की बहस सुन रहा था। वहां कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री राजाराम शास्त्री बोल रहे थे। उनके भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगा कि सरकारी पक्ष के भी बहुतेरे सदस्य इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पक्ष की करनी और कथनी में महान अन्तर है और यही कारण है कि कथनी कुछ है और करनी कुछ और है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बुरा मत मानेंगे, आप भी उसी पार्टी के हैं। इस पार्टी की कथनी चाहे जितनी सुन्दर हो कितने ही सुन्दर शब्दों में विधेयक लाये जायं, लेकिन परिणाम उनका बिलकुल उनके विपरीत हुआ करता है। यह विधेयक जो बहुमत के बल पर

[श्री मैनेजरसिंह]

स्वीकृत हो रहा है इससे इसमें उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और माननीय कृषि मंत्री जी देखेंगे कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति उनकी सरकारी मशीनरी और उनका दल नहीं करा पा रहा है, इन शब्दों के साथ में इसका सख्त से सख्त विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये आग्रह करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर जिद्द है तो मैं नहीं रोकता, लेकिन कल आपके उस दूसरे विषय पर चर्चा होनी है, इसलिये अगर चाहें तो पास कर दें।

श्री उग्रसेन--

परामर्शदात्री समिति ने तीन दिन का समय दिया है। हम बीच में इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस मंडी विधेयक की मंशा को मंत्री जी गौर से देखेंगे तो एक ही मंशा इससे निकलती है और आम जनता के सामने जाकर कहा जाय कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडी विधेयक पास किया है तो सबसे पहले उसके दिमाग में कौन-सी बात आयेगी उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का किसान यह सोचेगा कि उसके उत्पादन का उचित मूल्य उसको अब मिलेगा। श्रीमन्, जब चैत के महीने में किसान के घर फसल तैयार होती है तो नाना प्रकार के तकाजे उसके ऊपर एकबएक आने लगते हैं। लड़के लड़कियों की शादी उसे करनी होती है, महाजनों का कर्ज उसे चुकाना होता है, सरकार को मालगुजारी देनी होती है, कई तरह की प्राबलम्स आ खड़ी होती हैं। उस वक्त जितने मुनाफाखोर हैं और बीच के बड़े-बड़े आढ़तिये, दलाल और पूंजीपति हैं वह उससे फायदा उठाते हैं। उस वक्त किसान का गल्ला सस्ता हो जाता है और वह जब मुनाफा खोरों के हाथ चला जाता है तो उसी गल्ले से दुगुना तिगुना वह वसूलते हैं जब फसल बोने का समय आता है।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे इस बिल का कोई मतलब नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

बिलकुल मतलब है। किसानों के ऊपर दुहरी लूट हो रही है उसको बन्द करने के लिये यह विधेयक क्या करने जा रहा है और यह मंडी विधेयक सर्वांगीण विधेयक नहीं होगा, सक्षम विधेयक नहीं माना जायगा जब तक उस लूट की रोक की व्यवस्था इसमें नहीं है। कुछ समय के बाद यही सरकार अमेंडमेंट ले आयेगी। १७ साल का इतिहास इस सरकार का देख लें, जितने विधेयक यहां पास हुए हैं सब में सरकार ने स्वयं दो-तीन साल के बाद यह महसूस किया है कि विधेयक बड़ा गड़बड़ है, कुछ संशोधन इसमें होने चाहिए। बराबर इस तरह के संशोधन विधेयक आते रहते हैं। आप मुझे एक भी विधेयक ऐसा बतायें जिसमें सरकार बाद में अमेंडमेंट न लायी हो। यह सरकार तो ज्यादा चलने वाली नहीं है साल दो साल तक चले तो चले। तो बाद में जब चरणसिंह जैसे सदस्य रहेंगे तो यह महसूस करेंगे कि इसमें संशोधन की जरूरत है। इसलिये मैं निहायत अदब से कहूंगा कि इसको उपयोगी बनाने के लिये किसानों को समुचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था इस मण्डी विधेयक में की जाय। तभी यह विधेयक सर्वांगीण हो सकेगा। अभी यह अधूरा है और इससे किसानों का लाभ होने वाला नहीं है। इसमें दाम नीति की बात अवश्य आनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह उत्पादकों के हित में नहीं है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४

श्री उपाध्यक्ष--

अब सचिव, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ मेज पर रखेंगे।

सहायक सचिव, विधान सभा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से . . .

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो टेबिल पर ले डाउन किया जा रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन यह एजेन्डा पर तो छपा नहीं है। जब एक विधेयक के तृतीय वाचन के स्तर पर हम विचार कर रहे हैं तो उस के बीच में इसको लाने की क्या आवश्यकता है। इसे आप अपने घर की चौपाल न बनाइये। यह आदरणीय सदन है। इसके लिये कुछ नियम हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन यह तो ले डाउन किया जा सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

लेकिन यह एजेन्डा पर नहीं है। मैं इसका इसी लिये विरोध करता हूं। इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये कि जब यह एजेन्डा पर नहीं है और हम एक दूसरे विधेयक पर विचार कर रहे हैं तो फिर इसे ले डाउन करने की बीच में क्या आवश्यकता है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि समय समाप्त हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

तो अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

राम प्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
६ अगस्त, १९६४।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१० पर)

किस्म घटना	घटनाओं की कुल संख्या।	कितने केसों में फाइनल रिपोर्ट लगी	कितने केस चलाये गये	कितने कामयाब हुए
डकैती	—	—	—	—
कत्ल	८	४	४	—
चोरी	८१	४९	१३	५

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७११ पर)

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	१९६३–६४ में दी गयी वार्षिक अनुदान (आवर्तक तथा अनावर्तक, की धनराशि
		रु०
१	म्यूज़ियम एसोसियेशन आफ इंडिया, बम्बई ..	३०० (आवर्तक)
२	म्यूनिसिपल म्यूज़ियम, इलाहाबाद ..	१,२०० ,,
३	ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ..	१५,००० (अनावर्त्तक)
४	रज़ा लाइब्रेरी, रामपुर	४९,५०० ,,
५	भारत कला भवन, वाराणसी	१६,००० ,,
६	महात्मा गांधी हिन्दी संग्रहालय, कालपी, जालौन ..	५,००० ,,
७	गुरुकुल विश्वविद्यालय संग्रहालय, हरिद्वार ..	५,००० ,,
८	म्युनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद ..	१६,००० ,,
९	साइंटिफिक रिसर्च कमेटी, उत्तर प्रदेश जिसका अब नाम काउन्सिल आफ साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च हो गया है	२,०१,३०० ,,
१०	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	अनुदान नहीं दिया गया ,,

डा० सीताराम,
समाज कल्याण मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१८ पर।)

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व पद	शैक्षिक योग्यता
१	श्री जनार्दन शंकर लाल, आई० सी० एस०, आयुक्त आगरा खण्ड, आगरा।	बी० ए० (आनर्स), एम० ए० इलाहाबाद
२	जनार्दन दत्त शुक्ला, आई० सी० एस०, आयुक्त, इलाहाबाद खण्ड, इलाहाबाद।	बी० ए० (आनर्स) (लन्दन एवं इलाहाबाद)।
३	श्री भैरव दत्त सनवाल, आई० सी० एस०, आयुक्त, मेरठ खण्ड, मेरठ।	बी० एस-सी० (इलाहाबाद), बी० ए० (आनर्स) (लंदन) (बार-एट-ला)।
४	श्री जगदीश बिहारी टण्डन, आई० ए० एस०, आयुक्त, वाराणसी खण्ड, वाराणसी।	बी० ए० (इलाहाबाद)।
५	श्री चन्द्र मोहन निगम, आई० ए० एस०, आयुक्त गोरखपुर खण्ड, गोरखपुर।	बी० ए० (इलाहाबाद)।
६	श्री राम सहाय, आई० ए० एस०, आयुक्त, लखनऊ खण्ड, लखनऊ।	बी० एस-सी० (आनर्स), एम० ए० (इलाहाबाद)।
७	श्री प्रकाश कृशन, आई० ए० एस०, आयुक्त, उत्तराखंड एवं कुमाऊं, नैनीताल।	बी० ए० (आनर्स)।
८	श्री लाल रत्नाकर सिंह, आई० ए० एस०, आयुक्त, फैजाबाद खण्ड, फैजाबाद	बी० ए०।
९	श्री महाबीर सरन दास, आई० ए० एस०, आयुक्त, झांसी खण्ड, झांसी	एम० ए० (इलाहाबाद)।
१०	श्री श्रीपति, आई० ए० एस०, आयुक्त, रुहेल-खण्ड डिवीजन, बरेली।	एम० ए०, एल-एल० बी०।

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२४ पर)

संयुक्त जांच समिति की मुख्य सिफारिशें

संयुक्त जांच समिति ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार जिले देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर का सर्वेक्षण किया और तत्पश्चात् इन चार जिलों में विकास की गति को तीव्र करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये :—

१—कृषि उत्पादन—अगले १५ वर्षों में कृषि उत्पादन के मूल्य में ७ से ९ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। १९६०–६१ में लगभग ३.८२ लाख टन खाद्यान्न की कमी थी और १९७०–७१ में ३.२५ लाख टन खाद्यान्न आवश्यकता से अधिक पैदा होने की सम्भावना है। १९७५–७६ में १९७०–७१ की अपेक्षाकृत ५० प्रतिशत और वृद्धि होने की आशा की जाती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये समिति ने बहुत से तरीके अपनाने के सुझाव दिये हैं, जिनमें से कुछ मुख्य तरीके हैं: उसर भूमि को खेती योग्य बनाना, अधिक भूमि में दोहरी फसलें उगाना और हरी खाद देना, ऋण संबंधी सुविधाएं बढ़ाना तथा उर्वरक, उन्नत औजार और उन्नत बीज के वितरण के लिये समुचित प्रबन्ध करना, भूमि संरक्षण करना, खेती के लिये अधिक ऋण का प्राविधान करना, चकबन्दी कार्यक्रम की गति को बढ़ाना, इत्यादि।

२—सिंचाई—समिति की राय में सन् १९७१ तक इन चार जिलों में सिंचाई के अन्तर्गत लगभग ७५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र आ जाना चाहिये। चूंकि बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ाने की अधिक गुंजायश नहीं है इसलिये समिति ने ऋण तथा अनुदान देने के नियमों में निम्नलिखित ढिलाइयां करके विभिन्न प्रकार के निजी लघु सिंचाई साधनों के निर्माण के लिये किसानों को उत्साहित करने पर अधिक बल दिया है:—

(क) समस्त छोटे सिंचाई साधनों के निर्माण के निमित्त सीरदारों तथा भूमिधरों को दी जाने वाली ऋण की रकम भू-राजस्व की १२० तथा १५० गुना क्रमशः तक बढ़ा दी जाय।

(ख) पक्के कुएं गहरी बोरिंग तथा बंधियों के लिये राज्य द्वारा दिये जाने वाली अनुदान की दर २५ से बढ़ाकर ५० प्रतिशत कर दी जाय।

(ग) ऋण वापस करने का कार्यकाल ५ से बढ़ाकर १० वर्ष कर दिया जाय।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के कार्यक्रम की गति को तेज कर दिया जाय ताकि संहृत क्षेत्रों (Compact areas) में कुओं में पम्पिंग सेट लगाने में सुविधा हो।

३—बाढ़ नियंत्रण—समिति ने कुछ बांधों के निर्माण के अतिरिक्त, तीसरी योजनावधि में देवरिया जिले में ४८८ गांवों और आजमगढ़ जिले में १४० गांवों से ऊंचा किये जाने तथा आजमगढ़ और जौनपुर जिलों में क्रमशः ११८ मील तथा ६४ मील लंबी नालियां बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि चौथी और पांचवीं योजनावधि में जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के कुछ इलाकों की रक्षा के लिए एक बांध तथा एक रेगुलेटर बनाया जाय तथा देवरिया जिले में २५८ गांवों को ऊंचा किया जाय।

४—उद्योग—यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र में विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है, और समिति ने निजी क्षेत्र में कई प्रकार के उद्योगों का विकास करने की सिपारिश की है। समिति ने उद्योगों को विकसित करने के लिये निम्नलिखित रियायतें देने का सुझाव दिया है:—

(क) उद्योगों के लिये शीघ्रतापूर्वक भूमि अध्यापित (aquire) की जाय।

(ख) कारखाना निर्माण करने के लिये ऋण देने के लिये विशिष्ट धनराशियों की व्यवस्था की जाय ।

(ग) उद्योगों के लिये न्यूनतम दरों पर विद्युत् शक्ति उपलब्ध की जाय ।

(घ) विकास की प्रारम्भिक अवस्था में बिक्री कर छोड़ दिया जाय ।

(ङ) स्थानीय करों की दरों में रियायत दी जाय ।

(च) अधिक कच्चा माल उपलब्ध किया जाय ।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि इस क्षेत्र के लिये एक उप उद्योग निदेशक की नियुक्ति की जाय ।

५—संचार साधन—तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के अतिरिक्त समिति ने निम्नलिखित और कार्यक्रम १९७४–७५ तक पूरा करने की सिफारिश की है:—

	लागत (लाख रुपयों में)
(क) नई सड़कों का निर्माण (३८० मील)	४६३.६०
(ख) जिला परिषद की वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण (४७.६ मील) ..	४८.६३
(ग) नये पुलों का निर्माण (गाजीपुर का पुल मिलाकर)	५५७.१०
(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान सड़कों का सुधार (१४५ मील)	१०७.४०
(ङ) भवन, सामग्री, शोध तथा प्रकीर्ण	१९५.२७
कुल लागत ..	१३७२.००

६—परिवार नियोजन—जनसंख्या की वृद्धि को १९६५–६६ तक प्रति वर्ष १.२ से १.४ प्रतिशत तक सीमित करने के लिये भारी प्रयास करना चाहिये । परिवार नियोजन कार्यक्रम को वाराणसी तथा गोरखपुर प्रभागों के समस्त जिलों में चलाना चाहिये ।

७—प्रशासन—निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं:—

(क) ग्राम सेवकों तथा सहायक विकास अधिकारियों की संख्या में वृद्धि ।

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के ८ से लेकर १० वर्ष तक की ज्येष्ठता के अधिकारियों को जिला विकास अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया जाय ।

(ग) जिला कृषि अधिकारियों की सहायता के लिये विशेषज्ञों को नियुक्ति किया जाय ।

(घ) जिन स्थानों पर सहायक विकास आयुक्त कार्य कर रहे हैं वहां उप विकास आयुक्त नियुक्त किये जायं ।

(ङ) ट्यूबवेल आपरेटरों को खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशासकीय अधिकार में रखा जाय ।

८—प्रक्रिया तथा संगठन—

(क) स्थानीय अधिकारियों को अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देने चाहिये ।

(ख) एक बहुत ही ज्येष्ठ अधिकारी के नियंत्रण में राज्य सरकार के मुख्यालय पर एक स्पेशल एरियाज सेल की स्थापना की जाय ।

(ग) मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण विकास विभागों के मंत्रियों की विशेष क्षेत्र से संबंधित एक समिति बनाई जाय ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२८ पर)

दिनांक १७–४–६३ से २७–४–६४ थाना कमालगंज (फर्रुखाबाद) पर दर्ज हुए विभिन्न अपराधों का विवरण

अवधि	रिपोर्ट	खारिज	बाकी	अदम तफतीश	तफतीश	चालान	सजा	रिहा	जेर तजबीज	जेर तफतीश	लापता
१७–४–६३ से २७–४–६४ तक ..	२५२	६	२४६	३१	२१५	१४६	६०	१६	७०	११	५८

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

ऐसी अधिकारियों की सूची जिन्हें सचिवालय की किसी शाखा या विभाग में सचिव के पद पर अप्रैल १, १९६४ तक तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् स्थानान्तरण किया गया और उन अधिकारियों के नाम जिनकी नियुक्ति उनके स्थान पर की गई

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विभाग व शाखा का नाम जिसमें सचिव के पद पर कार्य किया	स्थानान्तरण की तिथि	उन अधिकारियों के नाम जिन्हें स्थानान्तरित अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया गया
१—	श्री बसंतसिंह सेठ, आई० ए० एस०	सचिव, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और खाद्य तथा रसद विभाग और आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।	२–५–६४	(१) श्री हरि कृष्ण टंडन, आई०ए० एस०, सचिव, सार्वजनिक निर्माण, आबकारी, तथा पुनर्वासन विभाग और पदेन आयुक्त सहायता तथा पुनर्वासन, उत्तर प्रदेश तथा विशेष सचिव नियोजन विभाग को उनके कार्य के अतिरिक्त २–५–६४ से सचिव, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग नियुक्त किया गया। उन्होंने दिनांक ४–५–६४ और ४–६–६४ से क्रमशः (१) सचिव, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग तथा आयुक्त, सहायता तथा पुनर्वासन विभाग और (२) सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पदों का कार्य छोड़ दिया। (२) श्री प्रकाश चन्द्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विभाग व शाखा का नाम जिसमें सचिव के पद पर कार्य किया	स्थानान्तरण की तिथि	उन अधिकारियों के नाम जिन्हें स्थानान्तरित अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया गया
				सक्सेना, आई० ए० एस०, स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी तथा संयुक्त सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग को २-५-६४ से ४-५-६४ तक और श्री प्राननाथ कपूर, आई० ए० एस०, सचिव, स्वायत्त शासन शाखा को ५-५-६४ से १९-६-६४ तक अपने कार्य के अतिरिक्त सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग और आयुक्त, खाद्य तथा रसद, उत्तर प्रदेश नियुक्त किया गया था। (३) श्री राज कुमार तलवार, आई० ए० एस०, को २०-६-६४ से आयुक्त तथा सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग नियुक्त किया गया है।
२	श्री अशोक सेन, आई० ए० एस०।	सचिव, गृह विभाग।	४-४-६४	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद जोशी, आई०ए०एस०, आयुक्त तथा सचिव, श्रम तथा परिवहन विभाग और प्रिंसिपल, अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, उत्तर प्रदेश को अपने कार्य के अतिरिक्त ४-४-६४ से आयुक्त तथा सचिव, गृह विभाग नियुक्त किया गया। उन्होंने २७-५-६४ से आयुक्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	विभाग व शाखा का नाम जिसमें सचिव के पद पर कार्य किया	स्थानान्तरण की तिथि	उन अधिकारियों के नाम जिन्हें स्थानान्तरित अधिकारियों के स्थान पर नियुक्त किया गया
				तथा सचिव, श्रम विभाग के पद का कार्य छोड़ दिया है और अब वह आयुक्त तथा सचिव, गृह कारागार तथा परिवहन विभाग नियुक्त किये गये हैं। वह प्रिंसिपल, अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, उत्तर प्रदेश भी हैं।
३	श्री लक्ष्मी प्रसाद निगम, एच० जे० एस०	सचिव, न्याय विभाग तथा उत्तर प्रदेश शासन के विधि परामर्श दाता (लीगल रिमेम्ब्रेन्सर) तथा पदेन निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय), उत्तर प्रदेश तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, निर्वाचक निदेशक (पंचायत)। इसके अतिरिक्त सचिव, विधायिका विभाग।	५-४-६४	(१) श्री रामेश्वर चन्द्रा, संयुक्त सचिव (लिटिगेशन), न्याय शाखा तथा संयुक्त विधि परामर्शदाता को ५-४-६४ से सचिव, न्याय विभाग तथा उत्तर प्रदेश शासन के विधि परामर्शदाता नियुक्त किया गया। (२) श्री कृष्ण चन्द्र पुरी, सचिव, विधान मंडल को ५-४-६४ से सचिव, विधायिका विभाग तथा विधि परामर्शदाता तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश और निर्वाचन निदेशक (स्थानीय निकाय) तथा निर्वाचन निदेशक (पंचायत) नियुक्त किया गया।

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील में ग्रामोद्योगों तथा वित्तीय वर्ष १९५७ से १९६३ तक जिन इकाइयों को आर्थिक सहायता दी गई है, का विवरण

क्र०सं०	इकाइयों के नाम	उद्योग का नाम	बांटा गया ऋण	धनराशि अनुदान	वर्ष
१	कुम्भियावां गुड़ खंड-सारी उद्योग, सहकारी समिति लि०, कुम्भियावां।	गुड़ उद्योग	८,४५०	..	५९–६०
२	ग्रामीण तेल घानी उद्योग, सहकारी समिति लि०, भरवारी।	तेल उद्योग	७,३२५	७५०	५८–५९
३	दुर्गादेवी एजूकेशन सोसायटी, ओसा।	अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग।	१९,२५०	१०,४५०	५८–५९
४	श्री सादिर हुसैन, सैयद वाड़ा, मंझनपुर।	वायर नेटिंग	४,०००	–	६२–६३
५	बदरुल हसन, मंझनपुर	तेल उद्योग	५००	–	६२–६३
६	रामदुलारे, कुन्दर, ओसा।	लकड़ी उद्योग	५००	२,१००	६२–६३
७	रामदेव, खजुवापुर, मंझनपुर।	,,	५००	४१५	६२–६३
८	दशरथलाल, तेवा	,,	१,५००	–	६२–६३
९	सीताराम, गरौली	लौहगीरी	४१०	४९८	६२–६३
१०	गुरुप्रसाद, लोगांव	लकड़ी उद्योग	४००	–	६२–६३
११	शारदा प्रसाद, हमारूपुर।	लकड़ी उद्योग	६३०	–	६२–६३
१२	श्री शुक्ला, पुरादहाव	हस्तकरघा उद्योग	६८०	–	६२–६३
१३	श्री महाबीर, बाकर-गंज।	लकड़ी उद्योग	८८०	–	६२–६३
१४	श्री शिव बोध तिवारी, तेवा।	रस्सी एवं वान उद्योग।	१,०००	–	६२–६३
१५	श्री राजाराम विश्व-कर्मा, सरसवा।	लौहगीरी उद्योग	५००	–	५८–५९

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

घटना का विवरण

१० मई, १९६४ को श्रीमती वीरेन्द्र सिंह का प्रतापगढ़ से लिखा हुआ एक पत्र श्री आर० एन० श्रीवास्तव, अतिरिक्त एस० डी० एम० मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ को मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि उनके पति ५ मई, १९६४ को प्रतापगढ़ पहुंचने वाले थे परन्तु अभी तक नहीं पहुंचे और उनका कोई पता नहीं है। इस पर श्री श्रीवास्तव ने तुरन्त उसी दिन १० बजे रात्रि में श्री सिंह की गुमशुदगी की एक लिखित रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई और एस० ओ० कोतवाली को तुरन्त जांच कर परिणाम सूचित करने को लिखा, जिससे श्रीमती सिंह को सूचित किया जा सके। उन्होंने यह भी लिखा कि श्री वीरेन्द्र सिंह ने चार दिवस का आकस्मिक अवकाश लिया था।

इस पर एस० ओ० कोतवाली एक थानेदार व सिपाही के साथ तुरन्त श्री वीरेन्द्र सिंह के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्हें मकान से दुर्गन्ध-सी आती हुई प्रतीत होने पर संदेह हुआ। उनके आदेश पर एक सिपाही मकान की छत पर चढ़ गया और कमरे के रोशनदान से टार्च के प्रकाश में देखा कि श्री सिंह की लाश फर्श पर अत्यन्त सड़ी हुई अवस्था में पड़ी है। जिलाधिकारियों को टेलीफोन पर सूचित करने के उपरान्त अधिकारियों व गवाहों के समक्ष उक्त कमरे के दरवाजे का ताला तोड़ा गया और लाश बरामद की गई। पंचायतनामे के उपरान्त शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया। खून के धब्बे आदि कब्जे में लेकर एक मुकदमा भा० दं० विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत दर्ज किया गया जिसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

१२ मार्च, १९६४ को श्री बृज बिहारी द्वारा पूछ गये तारांकित प्रश्न ४–५, ६ तथा उनके उत्तर

प्रश्न	उत्तर
*४—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत थाना महाराजगंज के पुलिस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध वहां के एक कार्यकर्त्ता श्री लक्ष्मीकान्त ने गत मास के अन्तिम सप्ताह में अनशन आरम्भ कर दिया था ?	४—जी हां, २४ जनवरी को अनशन आरम्भ किया था।
*५—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ लोगों के समझाने बुझाने के पश्चात् तथा यह आश्वासन दिये जाने के बाद कि उन आरोपों की पूरी जांच होगी उक्त कार्यकर्त्ता ने अपना अनशन स्थगित कर दिया था ?	५—जी हां। ऐसा आश्वासन दिये जाने पर उन्होंने अपना अनशन उसी दिन समाप्त कर दिया था।
६—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त कार्यकर्त्ता ने भ्रष्टाचार की तालिका देते हुये एलान किया है कि यदि उन मामलों में न्याय नहीं मिला तो वे दिनांक १४ फरवरी, १९६४ से विधान सभा के सामने आमरण अनशन आरम्भ करेंगे ?	६—जी हां, इस आशय का श्री लक्ष्मी कान्त मिश्र का पत्र दिनांक २९ जनवरी, १९६४ शासन को प्राप्त हुआ था।

हरगोविन्द सिंह,
गृह मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०५ एल० ए०—१९६४—८६०